वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2013-2014

केंद्रीय रेशम बोर्ड
वस्त्र मंत्रालय-भारत सरकार

CENTRAL SILK BOARD
Ministry of Textiles-Govt. of India

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2013-14

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार
केरेबो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
बेंगलूरु - 560 068, भारत

CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles - Govt. of India
CSB Complex, B T M Layout, Madiwala
Bangalore - 560 068, INDIA

अक्टूबर 2014

द्विभाषी (हिन्दी और अँग्रेजी) : 500 प्रतियाँ

प्रकाशित

श्रीमती ईशिता रॉय, भा.प्र.से.

सदस्य-सचिव

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु - 560 068

मुद्रित

क्रियेटिव ग्राफिक्स

#149, सुल्तानपेट

बेंगलूरु - 560 053

दूरभाष : 080-2237 0262

October 2014

Bilingual (Hindi & English) : 500 Copies

Published by

Ms. Ishita Roy, I.A.S.

Member Secretary

Central Silk Board

Bangalore - 560 068

Printed by

Creative Graphics

#149, Sultanpet,

Bangalore - 560 053

Ph : 080-2237 0262

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

I. कार्यकलापों की विशिष्टताएँ

- प्रस्तावना 05
- अनुसंधान एवं विकास में उपलब्धि 05
- संसद से संबंधित मामले 10
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 10
- राजभाषा 10

II. कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

- बोर्ड के कार्य 13
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन 13
- बोर्ड एवं स्थायी समिति की बैठकें 14

III. केरेबो के मुख्य योजना कार्यक्रम

अनुसंधान व विकास / प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 17

- प्रस्तावना 17
- केरेअवप्रसं, मैसूरु 17
- केरेअवप्रसं, बहरमपुर 20
- केरेअवप्रसं, पाम्पोर 23
- केरेजसंके, होसूर 25
- रेबीप्रौप्र, कोडती, बेंगलूरु 26
- रेजैअप्र, कोडती, बेंगलूरु 27
- केतअवप्रसं, राँची 28
- केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ 31
- केरेप्रौअसं, बेंगलूरु 33
- **प्रशिक्षण** 34
- **सूचना प्रौद्योगिकी पहल** 35
- **रेशम उत्पादन के विकास में सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का अनुप्रयोग** 36
- **बीज संगठन** 38
  - क. शहतूत बीज 38
  - ख. वन्य बीज 42

समन्वय 43
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संगठन 43
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 43
- राजभाषा नीति 45
- प्रचार कार्यक्रम 48
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय 52

विपणन विकास 53
- तसर और मूगा कच्चा माल बैंक 53

अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग तथा अन्य देशों / संगठनों के साथ संबंध 54
- **गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली** 55
  क. कोसा एवं कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्रों की स्थापना 55
  ख. भारतीय रेशम मार्क संगठन (भा रे मा सं) 55
  ग. नयी योजना: निर्यात / भारतीय रेशम का ब्राण्ड संवर्धन 56
- **उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम** 57
  क. बीज क्षेत्र 58
  ख. कोसा क्षेत्र 59
  ग. कोसोत्तर प्रौद्योगिकी 60
  घ. सहायता सेवा 61
  वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष (वरेबासंक) 63
  उत्पाद अभिकल्प, विकास एवं विविधता (पीउडी) 65
  कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (कौविप्र एवं उविका) 66

IV. अन्य संगठनों से निधि प्राप्त परियोजनाएं

- **मगाँराग्रारोगाअ** 69
- **उपूक्षे वसंयो** 70
- **मकिसप** 72
- **एजविका** 74
- **स्वजस्वयो** 75
- **एकौवियो** 77

V. वित्त व लेखा

- वर्ष, 2013-14 की प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान) 81
- वर्ष, 2013-14 के लिए व्यय 83
- वर्ष, 2013-14 के लिए ऋण 86
- वर्ष, 2014-15 के लिए आकलित बजट में वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रवधान 86
- आंतरिक लेखा-परीक्षा 88

VI. रेशम उत्पादन सांख्यिकी

- कच्चा रेशम उत्पादन 91
- आयातित शहतूत कच्चा रेशम (चीन) का मूल्य 94
- रेशम वस्तुओं का आयात एवं निर्यात 94
- ग्राफ़

अनुबंध

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों की सूची 99
केरेबो की संगठनात्मक रूपरेखा 103
केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाई 104
अंचल-वार, राज्य-वार अनुमोदित बजट आकलन तथा निर्मोचित निधि 105
उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम 106
राज्य-वार शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन 118
राज्य-वार वन्य कच्चा रेशम उत्पादन 119
संक्षिप्त रूप 121

कार्यकलापों की विशिष्टताएँ

• प्रस्तावना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) संसद के एक अधिनियम अर्थात् केरेबो अधिनियम, 1948 द्वारा स्थापित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत सांविधिक संगठन है । बोर्ड को रेशम उद्योग से संबंधित मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के अलावा, देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पूरे देश में विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा अंतर-संबद्ध समर्थन कार्यक्रम के साथ-साथ अनुसंधान व विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं । बोर्ड रेशम उत्पादन अनुसंधान आयोजित करने, रेशम उत्पादन कार्मिकों के प्रशिक्षण, बुनियादी बीज उत्पादन, मूल्यों तथा आयात व निर्यात के प्रभाव का अनुश्रवण, मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों, आदि के लिए भी सीधे उत्तरदायी है ।

तीन केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अधीन केरेबो के अधिदेश विभिन्न राज्यों में स्थित अनुसंधान इकाइयों एवं सेवा केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा जारी रखे जा रहे हैं । मूल रूप से, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं में 3 मुख्य योजनाएँ अर्थात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड के योजना कार्यक्रमों के अधीन XII वीं योजना के दौरान (क) अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल (ख) बीज संगठन, समन्वय तथा बाज़ार विकास (मानव संसाधन विकास) और (ग) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली शामिल हैं । अधिकांश अ व वि संस्थान भारत वर्ष में रेशम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु (i) नयी प्रौद्योगिकियों (ii) रेशमकीट की नस्लों (iii) खाद्य पौधों की क़िस्मों और (iv) मौजूदा उपकरणों व तकनीकों को विकसित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं । भारत सरकार ने XII वीं योजना के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड और भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् (भा रे नि सं प) द्वारा कार्यान्वयन हेतु भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन/मार्का (ब्राण्ड) संवर्धन के लिए नयी योजना अनुमोदित की है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में उद्योग के समग्र विकास तथा रेशम उद्योग में शामिल लोगों के हित के लिए गैर-सरकारी संगठन व स्वयं सहाय समूहों, आदि जैसे विभिन्न राज्य रेशम उत्पादन विभागों तथा अन्य कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों के सहयोग से बारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)" का कार्यान्वयन करता आ रहा है । अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हस्तांतरण करने के लिए उविका एकमात्र एवं प्रभावी उपकरण है । XII वीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समूह तौर-तरीके से देश में उत्पादन विशेष रूप से गुणवत्ता द्विप्रज एवं उन्नत संकर नस्ल रेशम कोसों का उत्पादन बढ़ाना। उविका को क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा क्षेत्र के स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने हेतु पुनः संरचित किया गया है।

• अनुसंधान एवं विकास में उपलब्धि

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने शहतूत के लिए मैसूर (कर्नाटक), बहरमपुर (पश्चिम बंगाल) तथा पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर) में 3 मुख्य अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है । राँची (झारखण्ड) स्थित संस्थान तसर का कार्य करता है; जबकि, लाहदोईगढ़ स्थित संस्थान मूगा एवं एरी उत्पादन से संबंधित अनुसंधान व विकास की देखभाल कर रहा है। केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (केरेप्रौअसं), बेंगलूरु द्वारा कोसोत्तर अनुसंधान व विकास कार्यकलाप किए जाते हैं । रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (रेबीप्रौप्र), बेंगलूरु (कर्नाटक) बीज उत्पादन से संबंधित मामलों के अनुसंधान में लगा है । हालाँकि, केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र (केरेजसंके), होसूर (तमिलनाडु) को रेशम उत्पादन जननद्रव्य के रखरखाव का उत्तरदायित्व है, रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (रेजैअप्र), बेंगलूरु रेशमकीट की प्रजातियों एवं शहतूत क़िस्मों के आण्विक लक्षण-वर्णन जैसे मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्य करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 102 अनुसंधान परियोजनाएँ जारी रखी गईं, 23 नयी अनुसंधान परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं तथा लक्ष्य के अनुसार 42 अनुसंधान परियोजनाएँ समाप्त की गईं ।

शहतूत क्षेत्र

शहतूत रेशम उत्पादन सबसे लोकप्रिय तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम के रूप में लैस है तथा कुल

कच्चा रेशम उत्पादन का 79% योगदान करता है। देश में तीन प्रकार के शहतूत रेशमकीट का पालन किया जाता है अर्थात् द्विप्रज, जो विद्युत करघे के लिए उपयुक्त श्रेणीकरण योग्य रेशम उत्पादित करने के लिए सक्षम आयात प्रतिस्थानी 3 ए श्रेणी से अधिक गुणवत्ता रेशम, उन्नत संकर नस्ल (उ सं न) एवं संकर नस्ल/बहुप्रज है, जो बहुत कड़ा और कीटपालन करने के लिए आसान है और पर्यावरणीय दशा के उतार-चढ़ाव में अपनाने योग्य है, का उत्पादन किया जाता है । पहले से उपलब्ध पौधारोपण तथा नए पौधारोपण के लिए समर्थन अवसंरचना प्रदान करते हुए, बारहवी योजना के अंत तक शहतूती रेशम का उत्पादन 23,000 मीटरी टन तक पहुँचने का लक्ष्य है।

शहतूत उन्नयन

एसएसआर चिह्नक विश्लेषण तथा आकारिकी विशेषता के माध्यम से 300 भिन्न जननद्रव्य से अधिकतम आनुवंशिक भिन्नता के साथ 150 शहतूत जननद्रव्य अभिगमों के एक प्रमुख उप-समूह की पहचान की गई । तेरह अभिगम अर्थात् फिलिपीन्स, साइप्रस, एम.रोटुण्डि लोबा, कोलित्ता-3, कोलित्ता-8, टोलिगुंगे-ए, मैसूर स्थानीय, सी-1726, सी-741, सी-1540, सी-1622 तथा सी-1618 की पहचान शीघ्र प्रस्फुटन तथा देर से सठियाव के रूप में की गई । जैव रासायनिक प्राचलों के लिए विश्लेषित किए गए 10 जननद्रव्य बैंक अभिगमों में से कोकसु-27 अधिक प्रोटीन अंश तथा लिमोन्सिना ने अधिक कार्बोहाइड्रेट अंश दर्शाया । शहतूत में राइज़ोक्टोनिया बेटेटिकोला के कारण होने वाले मूल गाँठ रोग को नियंत्रित/उन्मूलन करने के लिए अन्त: पादपी जीवाणु का टैल्क आधारित जैव सूत्रीकरण विकसित किया गया। चूर्णिल आसिता के प्रति बेहतर प्रतिरोधी तथा एस-1 से अधिक पत्ती उपज क्षमता वाले टीएस-1 X वियतनाम संकर की कुछ अतिक्रामी संततियों की पहचान की गई। नव विकसित शहतूत चयन के बहुस्थानीय परीक्षण ने दर्शाया कि चयन एस-140 ने अन्य चयनों तथा नियंत्रण गोशोएरामी, कश्मीर में प्रचालित शहतूत पत्ती जीनप्ररूप की तुलना में पत्ती उपज, मूलन क्षमता,शीघ्र प्रस्फुटन तथा पाला सहने के विषय में बेहतर निष्पादन दिया।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत, बिखरे शहतूत वृक्षों में खाद लगाने से नियंत्रण की तुलना में 14.71% तक पत्ती उपज में वृद्धि हुई । शहतूत रोगों पर उपयोग करने के लिए ट्राइकोडर्मा रोज़ियूम तथा टी.पारसीरामोसम बिस्सेट की पहचान की गई। पहली बार सिम्नुस पैलीडिकॉली को चूर्णी मत्कुल का प्राकृतिक परभक्षी के रूप में पहचाना गया।

शहतूत में प्रतिबल सहनशीलता के मूल्यांकन के लिए सूक्ष्म भूखंड तकनीक अनुकूल तरीका पाया गया । शहतूत जननद्रव्य की जाँच करने के लिए कम पत्ती ऊतकक्षय तथा लवणता सहनशीलता तथा क्षारीयता सहनशीलता हेतु पर्ण हरित की स्थिरता के लिए सोडियम+पोटेशियम के अनुपात महत्वपूर्ण प्राचल पाए गए । वर्ष के दौरान चौंतीस नए शहतूत जननद्रव्य स्टॉक का आरंभ किया गया ।

रेशमकीट उन्नयन

लोकप्रियता परीक्षण के अंतर्गत नियंत्रण, सीएसआर2 X सीएसआर4 तथा पीएम X सीएस आर2 की तुलना में द्विसंकर कृष्णराजा ने कोसा उपज में क्रमश: 19.97% तथा 5.27% उन्नत दर्शाया । बीज कीटपालकों तथा वाणिज्यिक संकर कीटपालकों के लाभ के लिए एल14 नस्ल तथा एल14 X सीएसआर2 संकर की एक कीटपालन प्रणाली विकसित की गई ।

बहु X द्वि संकर, एन X (एसके6 X एसके7) तथा एम6डीपीसी X एसके4सी को वाणिज्यिकरण हेतु अधिकृत किया गया । क्षेत्र के बहुत उतार-चढ़ाव तथा विविध जलवायु स्थिति के लिए तीन संकर नस्ल यथा: सामान्य3 X दून22, सामान्य X डी 6(पी) एन तथा सामान्य3 X एसके6 को उपयुक्त होने के रूप में पहचाना गया ।

मूल्यांकन किए गए नए रेशमकीट संकरों में से अल्प अनुकूल कीटपालन दशा के अधीन एस ओएच1 ने 70 किग्रा कोसे/100 रोमुबीच उपज दिया। उच्च कोशितीकरण दर के लिए 12 रेशमकीट संकर नस्लों का मूल्यांकन किया गया, संकर नस्ल बीपीएच-1 ने 91-93% कोशितीकरण दर दर्शाया ।

वन्य रेशम उत्पादन

वन्य रेशम का उत्पादन महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़कर 7004 मीटरी टन तक पहुँच गया, जिसमें क्रमश: तसर 2619 मीटरी टन, एरी 4237 मीटरी टन तथा मूगा 148 मीटरी टन शामिल है । इस उत्पादन में वृद्धि का श्रेय पणधारियों को प्रदान किए गए अनुसंधान एवं विकास समर्थन को दिया जा सकता है ।

खाद्य पौधे का उन्नयन

- मात्रात्मक तथा गुणात्मक ऊर्ध्ववर्ती संकर नस्लों के विकास के लिए चयनित टर्मिनेलिया अर्जुन तथा टर्मिनेलिया असन अभिगमों में पन्द्रह संकर किए गए। इस तरह से विकसित वंश मूल्यांकनाधीन हैं। उष्णकटिबंधीय तसर संवर्धन के तसर खाद्य पौधा पीड़क तथा रेशमकीट परजीवी व परभक्षी के आपतन संबंधी पत्रा विकसित किया गया है।
- केसेरू, एलेन्थस एक्सेल्सा तथा ए-बृहत्काय के दस अभिगमों को संग्रहित कर लक्षण निर्धारण किया गया और जननद्रव्य बैंक में रखा गया। विभिन्न केसेरू जीनप्ररूपों के रासायनिक आमापन ने कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील शक्कर, कच्चा तंतु, फ़िनोल, टैनिन का अधिक अंश दर्शाया। जैव-आमापन ने सबसे अधिक कोसा (3.20 ग्राम) तथा कवच भार (0.40 ग्राम) दर्शाया ।
- विभिन्न वन्य एरण्डी उगाने के स्थानों के मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया और आठ प्रजाति, चौदह एंज़ोबेकटर प्रजाति, पन्द्रह फोस्फेट घुलनशील जीवाणु (फो घु जी) तथा एज़ोस्पिरिलम आठ स्यूडोमोनास प्रजाति को पृथक किया गया। इन रोगाणुओं का उपयोग जैव-खाद के रूप में किया जा सकता है ।

रेशमकीट उन्नयन

- क्रमश: 241-260, 261-280 तथा 281-300 तक की बहुप्रजता की डाबा पारि-प्रजाति के तीन प्रजनन समूह विकसित किए गए हैं ।
- साल की पत्तियों में फिनोलिक्स, टैनिन तथा ऑक्सीडेन्ट्स के उच्च स्तर साल पर लारिया पारि-प्रजाति की कम उत्पादकता का कारण रेशमकीट में निम्न पाचन एन्जाइम को माना जा सकता है।
- संस्थान तथा क्षेरेअके, इम्फाल में क्रमश: उष्णकटिबंधीय तसर की बारह पारि-प्रजाति तथा ओक तसर रेशमकीट की एक पारि-प्रजाति का रखरखाव लक्षण निर्धारण तथा आगे के अध्ययन हेतु किया गया ।
- एएम सीपीवी के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयोग किए गए डाबा द्विप्रज तथा डाबा त्रिप्रज की पारि-प्रजातियों में सहनशीलता लाने के लिए प्रजनन ने चौथी पीढ़ि के अंत में 12.5% सहनशीलता की उपलब्धि दर्शायी ।
- तसर रेशमकीटों में पेब्राइन तथा सीपीवी संक्रमण का शीघ्र पता लगाने के लिए फीनॉलआक्सिडेस तथा एसिड फॉस्फेटेज आधारित चिन्हक प्रणाली विकसित की गई है ।
- प्रस्फुटन तथा कीटपालन निष्पादन को प्रभावित किए बिना मूगा रेशमकीट अंडों के संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की गई ।
- संस्थान में रखरखाव किए गए आठ वन्य मूगा रेशमकीट नस्लों का उपयोग कर नयी नस्ल विकसित की गई, जो नियंत्रण की तुलना में अधिक बहुप्रजता, प्रस्फुटन, अतिजीविता, कोसा उपज, कोसा भार दर्शाया । नयी नस्ल प्रयोगात्मक परीक्षण के अधीन है ।
- असम, बोड़ो राज क्षेत्रीय परिषद् (बो रा प), नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर के मूगा पारितंत्र से 417 कीट नमूने संग्रहीत किए गए और पहचान तथा दस्तावेजीकरण हेतु संरक्षित किए गए ।
- असम तथा मेघालय के विभिन्न मूगा संभाव्य क्षेत्रों के मूगा रेशमकीट डिम्भकों से 30 आहार नली - सूक्ष्म वनस्पतिजात को अलग कर उसका जैव-रासायनिक तथा आण्विक विश्लेषण किया गया।

एकस्व / वाणिज्यिकृत

निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली में एकस्व आवेदन-पत्र पंजीकृत किया गया।

- i) कोसा एकत्र यंत्र, ii) रेशम कमरा ऊष्मक, iii) चॉकी झाड़ने की मशीन, iv) पीवीसी चॉकी स्टैण्ड, v) जल प्रधारित प्रणाली तथा vi) भुक्तशेष शलभ का उपयोग तथा vii) कॉडिसेप्स संवर्धन प्रक्रिया। इसके अलावा, निजी उद्यमी के माध्यम से कोसा एकत्र यंत्र तथा रेशम कमरा ऊष्मक का वाणिज्यिकृत किया गया।
- सेरिसिलिन, रेशमकीट संस्तर रोगाणुनाशक का एकस्व करने के लिए पंजीकृत किया गया तथा उसे वाणिज्यिकृत किया गया।
- केरेप्रौअसं पारि-विगोंदन मशीन का एकस्व पंजीकृत किया गया तथा दाबानुकूलित दशा में रेशम लच्छी के विगोंदन के लिए नयाचार प्रकियाधीन है।

कोसोत्तर प्रौद्योगिकी

नयी धागाकरण मशीन का मॉडल विकसित किया गया तथा इसका चाँपा (छत्तीसगढ़), कुर्वा, दुमका (झारखण्ड) तथा महादेवपुर (आन्ध्र प्रदेश) में मूल्यांकन किया गया । इस मशीन ने धागाकरण निष्पादन में सुधार तथा परिणाम (275-300 ग्राम रेशम प्रतिदिन) के मामले में आशाजनक परिणाम दिया ।

- तसर तथा मूगा कोसा दोनों के धागाकरण के उपयुक्त कम लागत की आठ छोरीय बहुछोरीय धागाकरण मशीन निर्मित की गई । 4 छोरीय धागाकरण मशीन प्रणाली विकसित की गई तथा तसर एवं मूगा क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई ।
- मॉडल मशीन के माध्यम से तसर सूत पर सरेस लगाने हेतु एक तकनीक विकसित किया गया तथा इस प्रौद्योगिकी का प्रसार प्रगति पर है ।
- प्यूपा उपोत्पाद का उपयोग करने हेतु गर्म वायु शुष्कन यंत्र तथा प्यूपा पृथक्कीकरण मशीन निर्मित की गई और प्रयोगात्मक आधार पर स्थापित की गई । प्यूपा शुष्कन प्राचलों का मानकीकरण किया गया है ।
- निम्नलिखित उत्पाद/वस्त्र यथा; मिल मटका X मिल मटका, शेरवानी वस्त्र (तसरXमूगा स्पन, रेशम नॉइल सूत कालीन, पुरूषों का टी-शर्ट (एरी बिनाई) कॉलर के साथ व कॉलर के बिना महिलाओं का टॉप (एरी बिनाई विशुद्ध एरी), महिलाओं का टॉप (एरी +सूती बिनाई), सेरीसिन चूर्ण, रसायन संरचित शहतूत रेशम वस्त्र, बलकल सूत का तसर शाल तथा प्राकृतिक रंग से रंगे एरी डेनिम (जैव परिष्करण, बाउन्सी परिष्कृत, स्टोन वॉश व सैण्ड वॉश) विकसित किए गए ।
- केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने जा अ स अ (जाइका) विशेषज्ञों की सहायता से एक निजी केरेप्रौअसं अधिकृत धागाकरण मशीनरी उत्पादन इकाई में 10 छोरीय स्वचालित रेशम धागाकरण मशीन की संकल्पना विकसित की ।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने निम्नलिखित संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया :
  - "रेशम-कॉयर मिश्रित वस्त्र तथा उत्पाद के विकास" के उद्देश्य से केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, कॉयर बोर्ड, कलवूर, आलपुषा, केरल (अक्टूबर 2013) ।
  - शहतूत तथा वन्य रेशम दोनों में रेशम बिनाई के उत्पादों के विकास की सुविधा करने के लिए "अनुसंधान तथा विकास केन्द्र" स्थापित करने के उद्देश्य से निफ्ट-टी निटवेयर फैशन इन्स्टिट्यूट (निफ्ट-टी केएफआई) (दिसम्बर 2013) ।

बीज संगठन

केरेबो के बीज संगठनों ने शहतूत तथा वन्य के अंतर्गत राज्यों एवं अन्य अभिकरणों को प्रगुणन हेतु गुणवत्तापूर्ण बुनियादी बीज की आपूर्ति करने में प्रभावी

रूप से योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013-14 के दौरान रेशम उत्पादन का स्तर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 23060 मीटरी टन से 26480 मीटरी टन तक पहुँच गया, जो असाधारण उपलब्धि है । XII वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे रेशम उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 32000 मीटरी टन है, जिसमें से शहतूत रेशम का लक्ष्य 23000 मीटरी टन तथा वन्य रेशम का लक्ष्य 9000 मीटरी टन है।

शहतूत बीज

वर्ष 2013-14 के दौरान, देश के बड़े भागों में भारी सूखे के बावजूद, रारेबीसं ने 325.00 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 338.57 लाख रोमुबीच उत्पादित किया । यह लगातार तीसरा वर्ष है जब उत्पादन स्तर 3.00 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है ।

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बुतरेबीसं विभिन्न राज्यों में कार्यरत उष्णकटिबंधीय तसर के अपने 21 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (बुबीप्रवप्रके) तथा छत्तीसगढ़ के कोटा में स्थित केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) सहित उष्णकटिबंधीय तसर के क्रमबद्ध बीज उत्पादन तथा संगठित करने व आपूर्ति के उत्तरदायी है। केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) विभिन्न रेशमकीट प्रजातियों के जननद्रव्य के अनुरक्षण के अलावा, आगे के प्रगुणन हेतु बुबीप्रवप्रके को तसर नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं वितरण के उत्तरदायी है। केतरेबीके, कोटा ने वर्ष के दौरान 29185 तसर नाभिकीय रोमुबीच का उत्पादन एवं आपूर्ति की । 9 राज्यों में स्थित इन 21 बुबीप्रवप्रके, केन्द्रों के निष्पादन में क्रमिक सुधार हुआ है, जिसने वर्ष 2013-14 के दौरान 37.89 लाख रोमुबीच उत्पादित किया है।

ओक तसर : 6 राज्यों में स्थित दो क्षेतअके, एक ओक तसर बीजागार, तीन अविके तथा दो अविके-सह-बुबीप्रवप्रके के वर्ष के दौरान ओक तसर बीज उत्पादन का संचित उत्पादन 0.55 लाख रोमुबीच रहा ।

मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं)

वर्ष 2013-14 के दौरान, मूगा बुनियादी बीज केन्द्रों का संचित निष्पादन 3.44 लाख मूगा रोमुबीच रहा। इसके अलावा, असम के कालियाबारी (बोको) में स्थित एक मूगा रेबीउके ने 1.56 लाख रोमुबीच उत्पादित किया ।

एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं)

गुवाहाटी, असम में स्थित एरेबीसं ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित अपने एकमात्र एरी रेबीउके तथा गैर-परंपरागत राज्यों के चार एरी रेबीउके सहित वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न राज्य विभागों को वितरित करने हेतु 3.61 लाख एरी रोमुबीच उत्पादित कर अच्छा निष्पादन किया।

नीति हस्तक्षेप

रेशम उद्योग के विकास के लिए की गई पहल

घरेलू रेशम उद्योग की हित की रक्षा के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पहल की गई कार्रवाई के फलस्वरूप, भारत सरकार ने नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार नीति निर्णय किया था ।

(क) कच्चे रेशम तथा रेशम वस्त्र पर पाटन विरोधी शुल्क

भारत सरकार ने चीन से कच्चे रेशम और वस्त्र के आयात पर पाटन विरोधी शुल्क लगाया था। इसके परिणाम स्वरूप, 2ए श्रेणी और नीचे के कच्चे रेशम के आयात पर निर्धारित संदर्भ मूल्य अमेरिकी डालर 37.32 प्रति किग्रा जनवरी, 2014 तक लागू था । अगले 5 वर्ष की अवधि तक चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पाटन विरोधी शुल्क लगाने हेतु महानिदेशक पाटन विरोधी व संश्रित शुल्क के पास मामला दर्ज करने हेतु कार्रवाई की गई है । इसी प्रकार, 20-100 ग्रा/मी तक भार के रेशम वस्त्र के आयात हेतु निर्धारित संदर्भ मूल्य अमेरिकी डालर 2.08 से 7.59 प्रति मीटर दिसम्बर 2016 तक लागू रहेगा । कच्चे रेशम और वस्त्र के आयात पर शुल्क लगाने से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई ।

(ख) कच्चे रेशम के आयात पर सीमा-शुल्क

बजट घोषणा 2013-14 के दौरान, कच्चे रेशम के आयात पर मूल सीमा-शुल्क 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया और इसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं.12/

2013-सीमा-शुल्क दिनांक 01.03.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया । कच्चे रेशम के आयात पर शुल्क के प्रवर्तन से रेशम उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ।

• संसद से संबंधित मामले

संसदीय प्रश्नों के दिए गए उत्तर

वर्ष 2013-14 के दौरान, केरेबो ने नीचे दिए विवरण के अनुसार 72 संसदीय प्रश्नों के लिए उत्तर की सामग्री प्रस्तुत की, जो वस्त्र मंत्रालय से संबंधित थे :

संसद सदन	बजट सत्र अप्रैल -2013	मानसून सत्र अगस्त, 2013 सितंबर-2013	शीतकालीन सत्र नवंबर-2013 - फरवरी-2014	योग
लोक सभा	13	20	16	49
राज्य सभा	4	2	17	23
योग	**17**	**22**	**33**	**72**

संसदीय समिति की बैठकें

श्री गोबिन्द चन्द्र, सांसद (लोक सभा) की अध्यक्षता में संसदीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति एवं उक्त समिति के अन्य सदस्यों ने केरेअवप्रसं, मैसूर का दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को निरीक्षण किया और केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं वस्त्र मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधियों के साथ परस्पर चर्चा बैठक हुई । केरेबो की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए केरेबो द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों पर चर्चा हुई । इस बैठक के दौरान अजा/अजजा के लिए विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरेबो द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा भी समिति द्वारा की गई ।

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन, मुख्यालय एवं क्षेत्र की इकाइयों के पदनामित क्रमश: 40 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं 215 सहायक लोक सूचना अधिकारी रेशम उत्पादन से संबंधित सूचना जन सामान्य को देते हैं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 17 मैन्युअलों / प्रतिवेदनों को अद्यतन कर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वेबसाइट www.csb.gov.in में डाला है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना माँगने के 180 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान 13 आवेदन-पत्र निपटान के लिए लंबित रहे । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 2013-14 के दौरान, 26 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है । इस सूचना कक्ष को किसान कॉल सेन्टर [नि:शुल्क सं. 1551] से एकीकृत किया गया है ।

• राजभाषा

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का संपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा, राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी एवं द्विभाषी में ही दिए गए । वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 में मूल पत्राचार, फैक्स, आदि के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त किए गए। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अब तक बोर्ड सचिवालय सहित 106 कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने हेतु आदेश/ज्ञापन जारी किया गया।

वीडियो वार्तालाप सुविधा

केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो में स्थापित वीडियो वार्तालाप सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग पूरे देश में बैठकें, समीक्षा, आदि आयोजित करने के लिए किया जा रहा है। केरेबो की इकाइयाँ प्रभावी संचार तथा समीक्षा हेतु वीडियो वार्तालाप स्टूडियो स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

• बोर्ड के कार्य

केन्द्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित कार्यों में समन्वय एवं सहायता प्रदान करता है -

- ➢ रेशम उद्योग के विकास का संवर्धन ऐसे उपायों द्वारा करना जैसे वह ठीक समझे ।
- ➢ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान करना, उसमें सहायता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना ।
- ➢ शहतूत की खेती, रेशम कीटपालन की समुन्नत पद्धतियों, स्वस्थ रेशमकीट बीजों के विकास एवं वितरण, कोसों और रेशमकीट अपशिष्ट के रेशम धागाकरण और कताई की समुन्नत पद्धतियों, कच्चे रेशम की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय करना और इसके लिए आवश्यक होने पर अच्छी तरह से लैस कच्चा रेशम परीक्षण व अनुकूलन गृहों में सभी कच्चे रेशम के परीक्षण एवं श्रेणीकरण के बाद ही विपणन अनिवार्य करना ।
- ➢ कच्चे रेशम के विपणन में सुधार लाना ।
- ➢ केन्द्र सरकार को कच्चे रेशम के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श देना ।
- ➢ रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रहण ।
- ➢ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए रेशम उद्योग से संबंधित अन्य रिपोर्टें तैयार करना।

• केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष की अवधि तक नियुक्त 39 सदस्यों से गठित है । नीचे की तालिका रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नियुक्त नए सदस्यों का ब्यौरा निर्दिष्ट करती है :

#	नामित सदस्य का नाम व पदनाम	नामांकन की अवधि	अधिसूचना ब्यौरा
1	संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	07.05.2013 से 06.05.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 07.05.2013 (3) (ख) के अधीन
2	निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार	07.05.2013 से 06.05.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 07.05.2013 4(3)(झ) के अधीन
3	निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय, नागालैण्ड सरकार	07.05.2013 से 06.05.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 07.05.2013 4(3) (झ) के अधीन
4	निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार	07.05.2013 से 06.05.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 07.05.2013 4(3)(छ) के अधीन
5	विशेष सचिव व निदेशक, हथकरघा, रेशम उत्पादन एवं बुनाई, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार	07.05.2013 से 06.05.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 07.05.2013 4(3)(छ) के अधीन
6	प्रधान सचिव,ग्रामीण उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	24.06.2013 से 23.04.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 24.06.2013 4(3)(छ) के अधीन
7	श्री हूमायूँ कबीर, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल	01.08.2013 से 31.07.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 01.08.2013 4(3)(च) के अधीन
8	श्री आज़ाद कुमार चालासानी, हैदराबाद	12.09.2013 से 11.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 12.09.2013 4(3)(झ) के अधीन
9	श्री एन. रमेश, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	12.09.2013 से 11.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 12.09.2013 4(3)(झ) के अधीन
10	श्री आर.के. रामकृष्णप्पा, चिक्कबल्लापुर, कर्नाटक	05.09.2013 से 04.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 05.09.2013 4(3)(झ) के अधीन
11	श्री एम.पी. लक्ष्मीकांत, विजयनगर,बेंगलूरु	05.09.2013 से 04.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 05.09.2013 4(3)(झ) के अधीन
12	श्री पिटचिकला लक्ष्मी नारायण, पश्चिमी गोदावरी,	17.10.2013 से 16.10.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 17.10.2013 4(3)(ञ) के अधीन
13	श्री अब्दुल गनी वकील, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	26.09.2013 से 25.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 26.09.2013 4(3)(ञ) के अधीन
14	श्री बी. सी. उमेश बाबू, आनेकल तालुक, बेंगलूरु	18.09.2013 से 17.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 18.09.2013 4(3)(ञ) के अधीन
15	श्री आर.एच. जयराम रेड्डी, वी. कोटा मंडल, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	27.09.2013 से 26.09.2016	25012/56/99-रेशम दिनांक 27.09.2013 4(3)(ञ) के अधीन

विभिन्न धारा के अधीन दिनांक 31.03.2014 को यथाविद्यमान बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है ।

वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में परिवर्तन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इसके प्रशासनिक भाग और रेशम उत्पादन विकासात्मक कार्यों के निर्बाध रूप से चलाने की वित्तीय ज़िम्मेदारी के भाग के रूप में अनुसंधान के निदेशकों के स्तर पर रिक्तियों को भरा है । रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है :

- डॉ. एस. निर्मल कुमार ने दिनांक 22.04.2013 को निदेशक, केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर का पदभार ग्रहण कर लिया ।
- डॉ. सी. जयशंकर ने दिनांक 22.04.2013 को निदेशक, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर का पदभार ग्रहण कर लिया है । उन्होंने दिनांक 18.07.2013 को केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची का अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण कर लिया है ।
- डॉ. बी. बी. बिन्द्रू ने दिनांक 25.04.2013 को निदेशक, केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर का पदभार ग्रहण कर लिया है ।
- डॉ. बी. एस.अंगड़ी ने दिनांक 08.07.2013 को निदेशक, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, बेंगलूरु का पदभार ग्रहण कर लिया है ।
- डॉ. वी. शिवप्रसाद ने दिनांक 09.07.2013 को निदेशक, रेशम जैव-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, बेंगलूरु का पदभार ग्रहण कर लिया है । उन्होंने दिनांक 05.09.2013 को केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर का भी पदभार ग्रहण कर लिया है ।
- श्री आर. सतीश कुमार, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (1996) ने दिनांक 04.02.2013 को निदेशक (वित्त), केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु का पदभार ग्रहण कर लिया है ।
- श्री एम. के. घोष, वैज्ञानिक-घ ने दिनांक 05.03.2014 को केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलूरु के निदेशक प्रभारी का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

• बोर्ड एवं स्थायी समिति की बैठकें

वर्ष 2013-14 के दौरान, स्थायी समिति की दो बैठकें दिनांक 12.11.2013 एवं 26.02.2014 को और बोर्ड की एक बैठक दिनांक 12.11.2013 को आयोजित की गई ।

केरेबो के मुख्य योजना कार्यक्रम

अनुसंधान व विकास/प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

• प्रस्तावना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान वं विकास संस्थानों द्वारा दिए गए उचित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहायता से रेशम उत्पादन (शहतूत तथा वन्य क्षेत्र) की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता मिली , जिससे कमज़ोर वर्ग के आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई और रेशम उद्योग का संवर्धन हुआ और सांस्कृतिक परंपरा संरक्षित हुई। गुणवत्तापूर्ण द्विप्रज रेशम उत्पादन में अभिलिखित महत्त्वपूर्ण वृद्धि समूह संवर्धन के माध्यम से केरेबो के संस्थानों के अनुसंधान व विकास प्रयासों से किए गए योगदान का सबूत है। इससे रेशम के आयात पर हमें कम आश्रित होने में भी सहायता मिली।

शहतूत क्षेत्र के अनुसंधान व विकास में कार्यरत मुख्य संस्थान मैसूर (कर्नाटक), बहरमपुर (पश्चिम बंगाल) तथा पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर) स्थित केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान हैं, जबकि राँची (झारखण्ड) स्थित केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान एवं लाहदोईगढ़ (असम) स्थित केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान वन्य क्षेत्र के वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । इसके अतिरिक्त, कोड़ती (कर्नाटक) स्थित रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, शहतूत एवं वन्य दोनों के बीज क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और बेंगलूरु (कर्नाटक) स्थित रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर, तमिलनाडु शहतूत रेशमकीट तथा इसके खाद्य पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का रखरखाव और आपूर्ति करता है । केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु कोसोत्तर क्षेत्र की अनुसंधान व विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है । अनुसंधान कार्य नीचे प्रस्तुत हैं :

शहतूत क्षेत्र

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु (कर्नाटक)

वर्ष के दौरान, दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ़सल उन्नयन, शहतूत तथा रेशमकीट का उत्पादन एवं संरक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण की समस्याओं को हल किया गया है । अनुसंधान व विकास में गुणवत्ता प्रबंधन, रेशम उद्योग को प्रशिक्षण एवं सेवा सहायता की उत्कृष्टता में प्रमाण स्वरूप, संस्थान को अन्तरराष्ट्रीय मानक संगठन (अं मा सं) 9001:2008 प्रमाणन से प्रत्यायित किया गया है ।

शहतूत फ़सल उन्नयन, उत्पादन एवं संरक्षण

- अंतिम उपज परीक्षण के अंतर्गत आर्द्रता प्रतिबल दशा में एस-13 की तुलना में शहतूत संकर जैसे एमएस-2, एमएस-7 तथा एमएस-26 ने 20.4%, 17.23% तथा 35.5% अधिक पत्ती उपज दी ।
- शहतूत प्रजातियों के 48 लक्षणों की विशिष्टता, समानता तथा स्थिरता डिस्क्रिप्टर (अकारिकी, प्रजनक, शरीर रचना विज्ञान एवं वृद्धि, को अंतिम रूप दिया गया है, जिसका अध्ययन के अंतर्गत परीक्षण किया जा रहा है ।
- एस एस आर चिह्नक विश्लेषण एवं अकारिकी विशेषकों के माध्यम से अधिकतम आनुवांशिक विविधता के साथ 150 जननद्रव्य अभिगमों के प्रमुख उप-जोड़े पहचाने गए हैं ।
- मृदा पीएच, मृदा जैव कार्बन तथा ढेर सघनता पोषक उद्ग्रहण के मुख्य कारक पाए गए हैं।
- यूरिया के साथ नाइट्रीकरण निरोधक से पोषक उद्ग्रहण तथा पत्ती उपज में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- राइज़ोक्टोनिया बैटाटिकोला जनित मूल गॉठ रोग को नियंत्रित/उन्मूलन करने के लिए एन्डोफाइटिक जीवाणु का टैल्क आधरित जैव सूत्रीकरण विकसित किया गया ।
- मृदा विश्लेषण के आधार पर, 2086 कृषकों के मृदा नमूनों के लिए उर्वरक अनुशंसा प्रदान की गई।
- वेबसाइट विकसित करने के लिए शहतूत रोगों के एसईएम प्रतिरूपों के साथ पर्णीय रोग पत्रा तैयार किए गए ।

रेशमकीट फ़सल उन्नयन, उत्पादन तथा संरक्षण

- द्विसंकर नस्ल कृष्णराजा, सीएसआर2 X सीएसआर4 तथा पीएमXसीएसआर2 लोकप्रियता परीक्षण की तुलना में श्रीरंगपटना तालुक, मंडया जिला में कोसा उपज में 19.97 तथा 5.27% उन्नयन दर्शाया ।
- दक्षिणी राज्यों के 1250 कृषकों के साथ सीएसआर16X सीएसआर17 का बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण ने 64.2 किग्रा /100 रोमुबीच का औसत उपज दर्ज किया ।
- दो चयनित संकर, तीन प्रकार से संकर नस्ल एफसी 1Xसीएसआर2 तथा एफसी3 X सीएसआर 17 ने लोकप्रिय एकल संकर नस्ल सीएसआर 2X सीएसआर4 से बेहतर तथा द्विसंकर नस्ल, एफसी1X एफसी2 के बराबर निष्पादन किया।
- ताप सहनशीलता से जुड़े एसएसआर चिन्हक (एलएफएल 0329 तथा एलएफएल 1123) पहचाने गए तथा ताप सहनशील नस्ल विकसित करने हेतु दाता जनक, एपीएस110 तथा एस के4सी का उपयोग कर चिन्हक समर्थित चयन प्रजनन के लिए इन चिन्हक का उपयोग कर प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ।
- एक्स चिन्हक एनपीवी सहनशील द्विप्रज संकरों के विकास हेतु 10 वंशों को पहचानने में बीएम एनओ ने सहायता प्रदान किया ।
- एफ9 पीढ़ी के माध्यम से आठ प्रतिबल सहनशील (एनपीवी तथा उच्च तापमान) बहुप्रज वंशों को सूचीबद्ध किया गया ।
- एल14 नस्ल के उन्नयन के अंतर्गत बहु-स्थानीय प्रजनन तौर-तरीके द्वारा न्यूनतम त्रिनिर्मोकी वंशों के तथा शीतनिष्क्रियता एवं समान कोसा रंग, आकार तथा आकृति के साथ एल14 पहचाना गया ।
- जैव-चिकित्सीय तथा औषधीय अनुप्रयोग हेतु उच्च मूल्य उत्पाद कार्डिसेप्स के संवर्धन के लिए देशी तरीका विकसित किया गया और 80-100% संक्रमण दर के साथ रेशमकीट के प्यूपे पर सफलतापूर्वक जीवे उगाया गया । पात्रे संवर्धन के लिए संवर्धन माध्यम का मानकीकरण भी किया गया है । इस प्रक्रिया के लिए एकस्व पंजीकृत किया गया है ।
- एल14 नस्ल तथा एल14 X सीएसआर2 संकर के लिए कीटपालन प्रणाली विकसित की गई ।
- शहतूत बागान में विशाल अफ्रीकी घोंघों के प्रबंधन के लिए 2 किग्रा/एकड़ की दर से 2.5% मेटल डिहाइड पेल्लेट लेकर तथा जलाकर अथवा 25% लवण घोल में डुबोकर तैयार करना अनुशंसित किया गया है ।
- मिश्रित फ़सल प्रजाति के आस-पास शहतूत में परभक्षी भृंगों की प्रतिप्राप्ति सबसे अधिक पायी गयी।
- अरासायनिक पीड़क तथा रोग प्रबंधन प्रणाली (ऊज़ी मक्खी फंसाना, एन.थाइसस की थैली रखना तथा रेशमकीट कूड़ा-कचरा को पैक करना, मिट्टी में गाड़ना) का उपयोग करने से अपनाए गए गाँवों में ऊज़ी मक्खी का उत्पीड़न 2% तक कम हो गया ।
- दक्षिणी राज्यों तथा महाराष्ट्र में ऊज़ी मक्खी के विरुद्ध टुकड़ा एवं एन.थाइम्स के नियंत्रण के लिए जैव-नियंत्रण कारक (परभक्षी भृंग) के उपयोग को लोकप्रिय बनाया गया ।
- नोसिमा बॉम्बिसिस के मेट एपी2 जीन के जातिवृत्तीय विश्लेषण ने मधुमक्खी के नोसिमा प्रजाति से समानता दर्शाया ।
- रेशमकीट रोग सर्वेक्षण ने तीन दक्षिणी राज्य अर्थात् कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में मास्कार्डिन, ग्रसरी तथा फ्लेचरी का आपतन 5% से कम दर्शाया। इस अवधि के दौरान पेब्राइन रोग का आपतन नहीं था ।
- सूक्ष्म-जेट का उपयोग कर कीटपालन गृह के रोगाणुनाशन के लिए नई प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दिया गया, यह रेशमकीट पालन में कड़ी मेहनत को कम करने में सहायता प्रदान करता है, रोगाणुनाशी को बचाता है और कृषकों को रसायन लगाने से बचाता है ।

➢ एक ज्ञात प्रोबयोटिक जीवाणु बेसिलस सब्टिलिस को रेशमकीट बॉम्बिक्स मोरि एल के रोगाणुजनक जीवाणु, बी-थुरिनजेनिसिस तथा स्टप्टोकोकस फेकालिस के विरूद्ध विरोधी कार्य-कलाप करते हुए पाया गया । साथ-साथ रेशमकीट की आँत के एक जीवाणु, जो बी. थुरिनजेनिसिस के विरोधी होना साबित किया, को अलग किया गया ।

मानव संसाधन विकास

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत 27 दलों में कुल 518 लाभार्थियों को चार विषय अर्थात् कोसा हस्तकला, शहतूत कृषि व इसके बीज प्रगुणन, गुणवत्ता द्विप्रज कोसा उत्पादन एवं चॉकी कीटपालन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य संस्थान और इसकी संबद्ध इकाइयों में संरचित एवं आवश्यकता आधारित कार्यक्रम के अधीन 1539 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, नया केरेबो बीज अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक चॉकी कीटपालन पर 37 महीनों की अवधि के लिए 3 दलों में 37 चॉकी कीटपालन केन्द्र के मालिकों को प्रशिक्षित किया गया। समूह संवर्धन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 192 समूह सुविधाकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार दल भी आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, बंग्लादेश तथा अफगानिस्तान के प्रत्येक के 21 कर्मचारियों के लाभ के लिए क्रमश: 33 दिनों एवं 10 दिनों का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

रेशम उत्पादन विस्तार

➢ समूह संवर्धन कार्यक्रम (स सं का) के अंतर्गत कार्यान्वित 6 राज्यों के 106 समूहों में 142.41 लाख रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 8809 मीटरी टन कोसे उत्पादित किए गए । 100 रोमुबीच के लिए 68.31 किग्रा की उत्पादकता से 1420 मीटरी टन के कुल कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है। 12,341 कृषकों के पास शहतूत पौधारोपण 16515 एकड़ तक बढ़ा ।

➢ दक्षिणी राज्यों एवं महाराष्ट्र में उन्नत संकर नस्ल एल14X सीएसआर2 के बड़े पैमाने पर क्षेत्र - परीक्षण से 51.75 किग्रा/100 रोमबीच की औसत उपज रिकार्ड किया गया ।

➢ 'द्विप्रज रेशम उत्पादन में चॉकी कीटपालन केन्द्रों की भूमिका' और 'दीर्घकालीन जीविका के लिए रेशम उत्पादन' पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। द्विप्रज कीटपालन, शहतूत तथा रेशमकीट रोग प्रबधन एवं गुणवत्ता कोसा उत्पादन पर नयी प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए 1076 विस्तार संचार कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

एकस्व तथा वाणिज्यिकरण

मशीनरी जैसे i) कोसा एकत्रयंत्र ii) रेशम कमरा ऊष्मक iii) चॉकी झाड़ने की मशीन iv) पी वी सी चॉकी स्टैण्ड, v) जल प्रधारित प्रणाली तथा vi) भुक्तशेष शलभ का उपयोग तथा vii) कॉडिसेप्स संवर्धन प्रक्रिया के एकत्र करने के एकस्व हेतु पंजीकृत किया गया । कोसा एकत्रयंत्र तथा रेशम कमरा ऊष्मक का वाणिज्यीकरण निजी उद्यमी के माध्यम से किया गया ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों (क्षेरेअके) की उपलब्धि

क्षेरेअके, अनंतपुर

➢ अर्ध-शुष्क कृषि मौसमी दशा में चयनित पाँच प्रवर शहतूत क़िस्मों (जी2, आरसी1, आरसी2, ताईवान,वी-1 एवं अनंता) में से जी2 ने सबसे अधिक उपज दर्ज की।

➢ परीक्षण संकर नस्ल एफसी3 X सीएसआर17, एफसी1 X सीएसआर2, 2सी X 4एस तथा जी 11 X जी19 ने केन्द्र में परीक्षण के अधीन नियंत्रण की तुलना में बेहत्तर निष्पादन किया ।

➢ ऊज़ी मक्खी के प्रभावी प्रबंधन के लिए एन.थाइम्स उत्पादित कर कृषकों को आपूर्ति की गई । नवीन्या का उपयोग कर मूल गाँठ रोग के नियंत्रण करने हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया।

➢ द्विप्रज संकर नस्लों के प्रसार के अधीन सीएसआर16 X सीएसआर17, सीएसआर46 X सीएसआर47,

सामान्य3 X सामान्य2 तथा एपीएस45 X एपीएस12 के 1.5 लाख रोमुबीच के कीटपालन से 62.78 किग्रा/100 रोमुबीच की कोसा उपज प्राप्त हुई ।

➢ ए कौ वि यो के अधीन 105 बेरोज़गार महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षित किया गया ।

➢ प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन 885 कृषकों को भी प्रशिक्षित किया गया ।

क्षेरेअके, चामराजनगर

➢ आय में वृद्धि हेतु रेशम-लाह आदर्श का विकास प्रारंभ किया गया ताकि शहतूत बागान में लाह के उत्पादन की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके।

➢ जल प्रतिबल दशा में कृषि के लिए आरसी-1 तथा आरसी-2 शहतूत उपजातियाँ उपयुक्त पायी गईं। एआर-12 उपजाति सिंचित दशा में क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त पायी गई ।

➢ कृषक के क्षेत्र में सिंचित दशा में जैविक कृषि से शहतूत पत्ती उपज 5.32% तक बढ़ी ।

➢ तीन प्रकार से संकर नस्ल ने एफसी1 X सीएसआर2 तथा एफसी3 X सीएसआर17 ने उच्च उत्तरजीविता तथा उपज दर्शायी ।

➢ क्षेत्र में एन.थाइम्स तथा सोनपंखी को छोड़ने से ऊज़ी मक्खी आपतन 14.11 से 6.27% तक तथा चूर्णी मत्कुण का आपतन 20.67% से 6.83% तक कम हुआ।

➢ ए कौ वि यो के अधीन कुल 60 कृषकों को तीन दलों में तथा आवश्यकता आधारित कार्यक्रम के अधीन 180 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया ।

क्षेरेअके, कोड़ती

➢ तीन प्रकार से संकर नस्ल, एफसी3 X सीएसआर17 तथा एफसी1 X सीएसआर2, एकल संकर नस्ल 2सी X 4एस तथा द्वि संकर नस्ल, जी11 X जी19, डी1 X डी2 एवं डी2 X डी3 तथा बहु X द्विप्रज संकर, एनडीवी6 X सीएसआर51 एवं एल14 X सीएसआर50 कोसा उत्पादन तथा अन्य कोसोत्तर विशेषकों में उत्कृष्ट पाए गए ।

➢ 549 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा उचित मृदा सुधार उपाय सुझाए गए ।

➢ प्रसार परीक्षण के अधीन सीएसआर16 X सीएसआर17 ने 62-83 किग्रा/100 रोमुबीच का औसत कोसा उपज दर्ज किया और एल14 X सीएसआर ने 56.8 किग्रा/100 रोमुबीच की कोसा उपज दर्ज की ।

➢ टुकड़ा तथा ऊज़ी मक्खी आपतन के नियंत्रण हेतु एकीकृत पोषक प्रबंधन (ए पो प्र), पीड़क प्रबंधन (ए पी प्र) एवं मूल गाँठ रोग के लिए नविन्या का प्रौद्योगिक प्रदर्शन किया गया ।

➢ ए कौ वि यो के अधीन 75 व्यक्तियों एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन 975 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया ।

क्षेरेअके, सेलम

➢ तीन प्रकार से संकर नस्ल, एफसी3 X सीएसआर17 तथा एफसी1X सीएसआर2, एकल संकर नस्ल 2सी X 4एस, द्वि संकर, डी1 X डी2 तथा डी2 X डी3 एवं बहु X द्विप्रज संकर नस्ल एनडीवी6 X सीएसआर 51 तथा एल14 X सीएसआर50, कोसा उपज एवं कोसोत्तर विशेषकों में उत्कृष्ट पाए गए ।

➢ 94 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा उचित मृदा सुधार के उपाय सुझाए गए ।

➢ असेरोफेगस पपायी का सामूहिक प्रगुणन कर पपाया चूर्णी मत्कुण का आपतन नियंत्रित करने हेतु क्षेत्र में छोड़ा गया ।

➢ ए कौ वि यो के अधीन 105 लाभार्थियों को एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन 1230 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया ।

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पश्चिम बंगाल)

शहतूत फ़सल उन्नयन, उत्पादन एवं संरक्षण

➢ तेरह शीघ्र प्रस्फुटन तथा उत्तरावस्था जीर्णन अभिगम, फिलिपीन्स, साइप्रस, एम. रोटुन्डिलोबा, कोलित्ता-

3, कोलित्ता-8, टोलिगुंगे-ए, मैसूर स्थानीय, सी-1726, सी-741, सी-1540, एस-1622, एवं एस-1618 पहचाने गए ।

- घास के आच्छादन के साथ मध्यम जुताई पत्ती उपज एवं कार्बन स्वांगीकरण के विषय में विद्यमान कृषि प्रणाली के समान पायी गयी ।
- एस-1635 की कार्बन प्रग्रहण क्षमता 5.84 से 7.03 मीटरी टन/वर्ष आकलित किया गया है।
- अनुकूलतम व पर्णीय आवश्यकता तथा मृदा में उपलब्धता के आधार पर शहतूत के लिए धनायनिक-सूक्ष्म-पोषक -छिड़काव सारणी तैयार की गई है ।
- मुख्य कवक रोगों के नियंत्रण हेतु कवकनाशी की सारणी विकसित की गई है ।
- पश्चिम बंगाल की गंगा नदी के मैदानों में शहतूत के मूल गाँठ रोग का आँकड़ा आधार तैयार किया गया ।
- रोग पूर्वानुमान प्रणाली विकसित कर संस्थान के वेबसाइट से जनता को उपलब्ध कराया गया ।
- चूर्णिल आसिता के प्रति बेहत्तर सहनशीलता तथा पत्ती उपज संभाव्यता (एस-1 से अधिक) के साथ टीएस-1 X वियतनाम संकर के कुछ अतिक्रामी संतति पहचाने गए ।
- शहतूत में 7 महत्त्वपूर्ण कृषीय विशेषकों के लिए मुख्य क्यूटीएल तथा उच्च पर्ण समूह जैवमात्रा संभावना के साथ तीन संतति पहचाने गए ।
- प्रथम बार इस संस्थान द्वारा *सिमनुस पल्लीडिकोली* को चूर्णी मत्कुण के प्राकृतिक परभक्षी के रूप में पाया गया, जिसका उपयोग चूर्णी मत्कुण के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है ।
- 0.015% थायामिथोक्साम छिड़काव के 15 दिनों के अंदर 96% तक सफेद मक्खी की संख्या को कम करने में प्रभावशाली पाया गया, जिसके फलस्वरूप 21-28% पत्ती उपज प्राप्त हुई ।
- साधारण सक्षम आर्थिक पारि-अनुकूल खरपतवार काटने वाला-सह-प्ररोह कटाई यंत्र-छंटाई मशीन (ई 3 डब्ल्यू एम C एस एच/पी एम) का वैधीकरण किया गया ।
- सिंचाई जल की अनुकूलता आवश्यकता के आधार पर किफ़ायती ड्रम किट टपकन सिंचाई प्रणाली विकसित की गई ।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादन एवं संरक्षण

- बहु X द्विसंकर, एन X (एसके6 X एसके7)तथा एम6डीपीसी X एसके4सी को वाणिज्यिकरण हेतु अधिकृत किया गया ।
- जेन3 X दून2, जेन3 X डी6 (पी) एन तथा जेन3 X एसके6 संकरों को उच्च उतार-चढ़ाव एवं वैविध्य जलवायु दशाओं हेतु उपयुक्त पाया गया।
- प्रजनन कार्यक्रम के लिए उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के सहन-क्षम नस्लों को छाँटकर सूचीबद्ध किया गया ।
- अधिकृत रेशमकीट संकरों/द्विप्रज द्वि-संकर के व्यापक क्षेत्र परीक्षण में एफसी1 X एफसी2 से 47 किग्रा/100 रोमुबीच, बहु X द्विसंकर-एमकॉन1 X बीकॉन 4 से 54.16 किग्रा/ 100 रोमुबीच तथा बहु X बहुप्रज संकर-एमकॉन1 X एमकॉन4 से 30.18 किग्रा/100 रोमुच का कोसा उत्पादन दर्ज किया गया ।
- कमरे के विसंक्रमण के लिए किफ़ायती, सुरक्षित, प्रयोक्ता अनुकूल, जैव-निम्नीकरण, बिना जोखिम का, कम क्षयकारी, बिना प्रदाह वाले व्यापक वर्णक्रम का चयन किया गया ।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम (आईवीएलपी) के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप पर्ण उत्पादन में 14.2% तथा सिंचित दशाओं में विभिन्न संकरों से कोसा उत्पादन में 16.6 से 29.1% का लाभ हुआ। वर्षाश्रित दशाओं में पर्ण उत्पादन में 17.5% की वृद्धि हुई । कोसा उत्पादन की दृष्टि से बहु X बहु संकरों में 10%, बहु X द्विसंकरों में 13% तथा द्वि X द्विसंकरों में 19.4% की वृद्धि हुई ।

- 5 स्थानों में 100 कृषकों को गंधक (सल्फर) उर्वरकीकरण, पोटैशियम क्लोराइड तथा पीड़क प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया ।
- सचल विसंक्रमण प्रतिदर्श के प्रदर्शन से वृद्धिपरक फसल संरक्षण सुनिश्चित हुआ जिससे कृषक स्तर पर आय में वृद्धि हुई ।
- 168 कृषकों को सन्निहित करते हुए 52.56 हेक्टेयर में उच्च उत्पादक शहतूत प्रजातियों का पौधारोपण किया गया ।

मानव संसाधन विकास

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत कुल 1003 अभ्यर्थियों (रेशम उत्पादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा -55, प्रबंधन विकास कार्यक्रम -20, कौशल उन्नयन कार्यक्रम -92, एकीकृत कौशल विकास योजना - 391 तथा तदर्थ - 445) को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा कृषकों तथा प्रतिभागियों को शहतूत कृषि, रेशमकीट पालन प्रौद्योगिकी, रोग एवं पीड़क प्रबंधन आदि का नियमित प्रशिक्षण दिया गया ।

विस्तार संचार कार्यक्रम

संस्थान स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रसार क्षेत्र में करने हेतु 425 विस्तार संचार कार्यक्रम चलाए गये ।

एकस्व (पेटेण्ड) एवं वाणिज्यिकरण

सेरिसिलिन, एक रेशमकीट शय्या संक्रमणहारी को एकस्व (पेटेण्ड) एवं वाणिज्यिकरण हेतु पंजीकृत किया गया ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियाँ

क्षेरेअके, कालिम्पोंग (पश्चिम बंगाल)

- कीटपालन प्रौद्योगिकी उन्नयन के अंतर्गत प्ररोह कीटपालन प्रौद्योगिकी से पर्ण आहार की तुलना में बेहतर उत्पादन हुआ ।
- रोग अनुश्रवण कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल से सितम्बर के दौरान 1.5 से 6% तक ग्रेसरी रोग का होना दर्ज किया गया ।
- मूगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी के सहयोग से मूगा संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ।

क्षेरेअके, कोरापुट (ओडिशा)

- परीक्षण आधारित रासायनिक उर्वरकों के अनुप्रयोग से पर्ण उत्पादन में 12.5% (11.4 मी.टन/हेक्टे/वर्ष) का लाभ हुआ ।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं इसके अभिग्रहण से पर्ण उत्पादन में 12.5 % का लाभ (30.87%) तथा द्विप्रज कोसा उत्पादन में 12.15% का लाभ एवं बहुप्रज X द्विप्रज में 11.5% का लाभ (33.21 किग्रा/100 रोमुच) दर्ज किया गया ।
- उच्च उत्पादक शहतूत प्रजातियों की लोकप्रियता के अंतर्गत एस 1635 एवं सी 1730 के पौध उगाए गये तथा छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के रेशम निदेशालय को इसकी आपूर्ति की गई ।
- सितंबर तथा नवबंर, 2013 के दौरान बीज फसल कीटपालन किया गया तथा पश्चिम बंगाल के बीज उत्पादकों को बीज कोसों की आपूर्ति की गई ।

क्षेरेअके, राँची (झारखण्ड)

झारखण्ड में वर्षाश्रित दशाओं में शहतूत के लिए 10 मी.टन/हेक्टेयर/वर्ष की दर से वर्मी कम्पोस्ट + 10 किग्रा/ हेक्टे/वर्ष की दर एजोटोबैक्टर + 75 नाइट्रोजन: 50 फास्फोरस: 50 पोटाश के अनुप्रयोग से होने वाले लाभ का प्रदर्शन कृषकों को किया गया। वर्षाश्रित दशाओं में मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक छिड़काव के अनुप्रयोग सें पर्ण उत्पादन 8.3% से 13.1% तक बढ़ गया ।

क्षेरेअके, जोरहाट (असम)

- उत्तर-पूर्वी राज्यों के शहतूत बगीचे में उत्पादन अंतराल हेतु उत्तरदायी घटकों को पहचाना गया।
- नव-अधिकृत द्विप्रज रेशमकीट संकर से कृषक स्तर पर 8.9% उच्चतर कोसा उत्पादन दर्ज किया गया।

- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पर्ण उत्पादन में 15.82% तथा कोसा उत्पादन में 13.70% का लाभ दर्ज हुआ ।
- गुणवत्तापूर्ण द्विप्रज रेशम संवर्धन के अंतर्गत 6.24 मी.टन द्विप्रज तथा 0.768 मी.टन संकर नस्ल के रेशम का उत्पादन किया गया ।
- 15.5 एकड़ में उच्च उत्पादक शहतूत प्रजातियों को रोपा गया ।
- एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया ।

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर)

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर अपने 3 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों तथा 7 उत्तर-पश्चिम राज्यों में 18 प्रसार केन्द्रों के माध्यम से रेशम उत्पादन में अनुसंधान विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकताओं के प्रति समर्पित है। इसके अलावा द्विप्रज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम भारत में बारहवीं योजना के अधीन 49 समूह संचालित हैं।

संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ निम्न हैं :

शहतूत उन्नयन, उत्पादकता एवं संरक्षण

- बहु-स्थानीय परीक्षण के अंतर्गत नव-विकसित शहतूत चयन एस-140 का निष्पादन गोसोएरामी जो कश्मीर में पर्ण उत्पादन, मूलन योग्यता, शीघ्र अंकुरण तथा शीत-सह-क्षमता आदि की दृष्टि से विद्यमान शहतूत जीन प्ररूप है, की अपेक्षा बेहतर रहा ।
- संघटित पोषक प्रबंधन अभिगम (आई एन एम) से मृदा में वृद्धिपरक सूक्ष्म जैविक भार परिलक्षित होता है जिसमें, जीवाणु का 1.18 से 1.56 X 106 प्रति ग्राम (सी एफ यू) तथा कवकीय जैव मात्रा का 1.2 से 2.1X 105 प्रति ग्राम कॉलोनी निर्माण इकाई (सी एफ यू) दर्शित होता है ।
- जम्मू व कश्मीर में शहतूत के मूल परिवेषी मृदा में *ग्लोमस मैक्रोकार्पम, ग्लोमस आरबंरिम, ग्लोमस क्लेरम* अधिक प्रभावी कूर्चक माइकोरिजॉल कवक थे तथा अधिकांश जीवाणु पृथक्कारी आक्सीडेंस के लिए धनात्मक एवं कैटालेस एन्जाइम थे ।
- जननद्रव्य अभिगमों के जैव रासायनिक मूल्यांकन के अंतर्गत कोक्सू-27, उच्चतर प्रोटीन तत्व तथा लिमॉनसिना, उच्चतर कार्बोहाइड्रेट तत्व दर्शाया।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत बिखरे हुए शहतूत वृक्षों पर उवर्रक अनुप्रयोग से पर्ण उत्पादन, नियंत्रण की तुलना में 14.71 बढ़ गया ।
- कृषक क्षेत्र पर विशाल पौध की उत्तरजीविता 68% दर्ज की गई ।
- कश्मीर क्षेत्र में पहली बार परजीव्याभ (पैरासिट्वायड) अध्ययन के अंतर्गत *पेरीलैम्पस एस पी. कैम्पोलेटिस एस पी* तथा *ब्रैचीमेरिया लैसस* (वाकर) की रिपोर्ट की गई ।
- पाँच *कॉक्सिनेलिडी* नामत: *हाल्जिया सिस्ट्स चेरिनी (सेमेनॉर), इलिसिण्डिका (टिम्बरो, हाल्जिया सैंक्रिटा (मुलसैण्ट), प्रोपीलिया ल्यूटियोपस्टुलेट (मुलसैण्ट)* तथा *स्टेथोरस एपटस (कपूर)* आदि को रिकार्ड किया गया जो चूर्णिल आसिता का आहार ग्रहण करता है । बाद में तीन अन्य की रिपोर्ट पहली बार कश्मीर क्षेत्र से की गई ।
- शहतूत रोग के विरुद्ध *ट्राइकोडर्मा रोसियम* तथा *टी. परसेरामोसम* (विसेट) के प्रयोग का चयन किया गया ।

रेशमकीट उन्नयन

- उप-इष्टतम कीटपालन दशाओं में नव रेशमकीट संकर मूल्यांकन के अंतर्गत एसओएच 1 से 70 किग्रा कोसा /100 रोमुच का उत्पादन हुआ।
- उच्च प्यूपीकरण दर हेतु रेशमकीट संकर के मूल्यांकन के अंतर्गत वीपीएच-1 की प्यूपीकरण दर 91-93% देखी गई।

जीन निकाय एवं बीज उत्पादन

- पाम्पोर में शीतोष्ण जननद्रव्य के रूप में 80 शहतूत जीन प्ररुपों का रखरखाव किया गया । सहसपुर मे उप-उष्णकटिबंधीय जननद्रव्य के रूप में 82 अभिगमों का रखरखाव किया गया तथा 18 अभिगमों का मूल्यांकन क्षेरेअके, जम्मू में किया जा रहा है ।
- पाम्पोर में शीतोष्ण जननद्रव्य के रूप में 165 रेशमकीट अभिगमों तथा उप-उष्णकटिबंधीय जननद्रव्य के रूप में सहसपुर में 54 अभिगमों का रखरखाव किया गया ।
- वसन्त 2013 कीटपालन के लिए द्वि-संकर एवं परंपरागत संकरों को तैयार करने के लिए रेशम निदेशालय जम्मू व कश्मीर को सीएसआर 2, सीएसआर 4, सीएसआर 6, सीएसआर 26, सीएसआर 27, एस एच 6 एवं एनबी4डी2 मूल बीज के 2752 रोगमुक्त चकत्तों की आपूर्ति की गई ।

मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण

- वर्ष 2013-14 के दौरान रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर जम्मू व कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश रेशम निदेशालय के 554 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।
- एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के 662 बेरोज़गार युवकों को वाणिज्यिक कीट का चॉकी कीटपालन, रेशम उत्पादन अवशिष्टो का पुनर्चक्रण, किसान पौधशाला, कोसा हस्तकारी तथा विसंक्रमण एवं स्वास्थ्यकर दशाओं का प्रशिक्षण दिया गया, इसके साथ ही साथ प्रशिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत 40 वैज्ञानिकों / रेशम निदेशालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।
- कृषक क्षेत्र विद्यालय के अंतर्गत शहतूत तथा रेशमकीट पालन प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर 1359 कृषकों (847 पुरुष एवं 512 महिला) को प्रशिक्षित किया गया।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत 'रेशम उत्पादन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम' में 42 विद्यार्थियों ने भाग लिया ।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- लोकप्रियता कार्यक्रम के अंतर्गत 2,68,910 रोमुच के कीटपालन से 36.94 किग्रा./100 रोमुच के औसत उत्पादन के साथ कुल 99327.210 किग्रा कोसा उत्पादन हुआ।
- महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत कश्मीर घाटी में रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से 11.35% का सुधार दर्ज किया गया। जिससे 41.20 कि.ग्रा. / 100 रोमुबीच का औसत उत्पादन हुआ।

विस्तार कार्यकलाप

- वर्ष के दौरान, 5507 कृषकों ने 163 समूह परिचर्चा, 101 जागरूकता कार्यक्रम, 49 फिल्म शो, 56 कृषक क्षेत्र दिवस तथा 15 विचार गोष्ठियों में भाग लिया ।
- विसंक्रमण की उन्नत विधि, विसंक्रामकों का प्रयोग, चॉकी कीटपालन का प्रभाव, प्ररोह फसल प्रौद्योगिकी का प्रभाव, काले कपड़े में कोसों को सुखाना तथा कोसा छंटाई आदि का प्रचार-प्रसार कृषकों को किया गया ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियाँ

क्षेरेअके, सहसपुर

इस केन्द्र (12 अनुसंधान विस्तार केन्द्र/समूह विकास केन्द्र) ने उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए अपना अनुसंधान जारी रखा। 3 राज्यों में 23 समूह कार्य कर रहे हैं।

क्षेरेअके, जम्मू

- पाँच सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएँ नामत: (1) बॉम्बेक्स मोरी (एल) का उन्नयन (2) अखिल भारतीय रेशमकीट जननद्रव्य मूल्यांकन कार्यक्रम-II (3)

एआईसीईएम चरण-III (4) जम्मू क्षेत्र में रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण तथा (5) उत्तर पश्चिम भारत (एआईबी-3492) में रेशमकीट संकरों के अधिकृत होने के बाद का परीक्षण प्रतिवेदित अवधि के दौरान जारी रही ।

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान चार नई परियोजनाएँ/ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रारंभ किया गया ।
- प्रौद्योगिक हस्तांतरण के अंतर्गत टिकरी तथा नौशेरा क्षेत्र से लिए गये नये कीटपालकों द्वारा कोसा उत्पादन में 20-25% का सुधार दर्ज किया गया ।
- "क्षेत्र पर परीक्षण" के अंतर्गत कृषकों के कृषि क्षेत्र में मेंड तथा बाह्य सतह पर विशाल एस -146 तथा एस-1635 किस्म के पौधों के वृक्षनुमा पौधारोपण से 100% उत्तरजीविता देखी गई ।
- रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत - नई प्रौद्यागिकियों के परिभ्रामी (पेरीपैटेटिक) प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप कोसा उत्पादन में 45.340 किग्रा/100 रोमुच तक की वृद्धि हुई और इस प्रकार रु. 8330/- की आय हुई ।
- अविके, सुजानपुर, पंजाब के अंतर्गत लिए गए कृषकों के माध्यम से वसन्त 2013 के दौरान उच्चतम कोसा उत्पादन 51.650 किग्रा/100 रोमुच, शरत् 2013 के दौरान 40.880 किग्रा/100 रोमुच और उसके बाद क्षेविका, बरनौटी, जम्मू के माध्यम से वंसत 2013 के दौरान 48.640 किग्रा/100 रोमुच तथा शरत् 2013 के दौरान 32.360 किग्रा/ 100 रोमुच का उत्पादन दर्ज किया गया ।
- अविके, सुजानपुर (पंजाब), अविके, नौशेरा (ज व क) तथा उप-अविके, टिकरी (ज व क) के माध्यम से कृषक क्षेत्र विद्यालय के अंतर्गत 584 रेशम उत्पादक कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- "रेशम उत्पादन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के लिए क्षेरेअके, जम्मू के इग्नू (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत 18 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया ।
- रेशम उत्पादन में संक्षिप्त/तदर्थ पाठ्यक्रम के अंतर्गत रेशम निदेशालय, ज व क द्वारा प्रायोजित 16 सेवाकालीन अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- क्षेरेअके, जम्मू व इसके उप-एककों द्वारा कोसा बिक्री, कांट-छांट की गई लकड़ियों की बिक्री, अन्तर फसलों की बिक्री आदि से रु.1,41,681 का राजस्व प्राप्त हुआ ।

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र (के रे ज सं के) होसूर (तमिलनाडु)

केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र की स्थापना देश में रेशम जैव विविधता के संरक्षण एवं उपयोग हेतु की गई थी। यह केन्द्र राष्ट्रीय पादप जननद्रव्य संसाधन ब्यूरो (एनबीजीपीआर), नई दिल्ली द्वारा शहतूत के लिए राष्ट्रीय सक्रिय जननद्रव्य स्थल तथा रेशमकीट के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रमुख कीट ब्यूरो (एनबीएआईआई) बेंगलूरु द्वारा मान्यता प्राप्त है । केरेजसंके की दीर्घाविधि दृष्टि का उद्देश्य रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन में वृद्धि एवं प्रजनकों (प्राथमिक प्रयोक्ता) तथा अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा जीन बैंक प्रक्रियाओं पर लगी लागत को बनाए रखने के लिए उनका प्रयोग तथा रेशम उत्पादन अनुसंधान हेतु निवेश प्रदान करना है ।

अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य आकर्षण निम्न हैं :

शहतूत प्रभाग

- पर-स्थाने क्षेत्र के जीन बैंक में 1269 शहतूत जननद्रव्य अभिगमों का रखरखाव किया गया । वर्ष के दौरान 34 नये शहतूत जननद्रव्य अभिगमों को प्रवर्तित किया गया ।
- क्रायो जीन बैंक में 125 अभिगमों को संरक्षित किया गया । 31 अभिगमों को राष्ट्रीय अभिगम संख्या (राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली) में डालने हेतु सौंपा गया ।
- मूल्यांकन किए गए 120 अभिगमों में से सत्तरह अभिगमों को जल प्रयोग प्रवीणता तथा पच्चीस अभिगमों को नाइट्रोजन प्रयोग प्रवीणता हेतु छांटकर इसे सूचीबद्ध किया गया ।

- लवण तथा क्षार सहनक्षम प्रजातियों तथा इन विशेषकों के आण्विक चिह्नक के विकास हेतु लवण के लिए 20 तथा क्षार के लिए 18 सहनक्षम अभिगमों को पैतृक के रूप में प्रयोग हेतु पहचाना गया ।
- शहतूत में प्रतिबल सहनक्षम के मूल्यांकन हेतु सूक्ष्म प्लॉट तकनीक को उपयुक्त पाया गया । लवण सहनक्षम हेतु अल्प पर्ण ऊतकक्षय तथा सोडियम$^{+}$/पोटाश$^{+}$ का अनुपात तथा क्षारीय सहनक्षम हेतु क्लोरोफिल स्थिरता को शहतूत जननद्रव्य की छंटाई के लिए महत्वपूर्ण मापदण्ड पाया गया ।
- आण्विक विश्लेषण तथा गुणवत्ता व मात्रात्मक विशेषकों के साथ इसके सह-संबंध के आधार पर 150 अभ्यंतर शहतूत अभिगमों को पहचाना गया तथा विशिष्ट शहतूत अभिगमों के लिए एक ई-हरबैरियम तैयार किया गया ।
- अकारिकी, जनन क्षमता, शरीरिकी निरूपक आदि के लिए 22 शहतूत जननद्रव्य अभिगमों तथा प्रचार - प्रसार में वृद्धि एवं उत्पादन विशेषकों के लिए 25 अभिगमों का लक्षण निर्धारित किया गया जिसमें पर-स्थाने क्षेत्र जीन बैंक में प्रमुख कवक रोगों का होना सन्निहित है । फसल निष्पादन हेतु 60 अभिगमों का मूल्यांकन किया गया तथा शहतूत जननद्रव्य सूचना प्रणाली में आकड़ा को अद्यतन किया गया ।
- 150 अभिगमों का शहतूत जननद्रव्य सूची पत्र (भाग-5) प्रकाशित किया गया जिसमें अकारिकी आकड़ा, प्रजनन, पर्ण शरीरिकी, वृद्धि एवं उत्पादन, प्रचार-प्रसार , जैव रसायन, रोग आपतन तथा पासपोर्ट सूचना आदि निहित है ।

रेशमकीट प्रभाग

- 458 विद्यमान रेशमकीट जननद्रव्य में छह नये अभिगमों को प्रवर्तित किया गया जिसमें 77 बहुप्रज, 361 द्विप्रज तथा 20 उत्परिवर्ती सन्निहित हैं। रेशमकीट जननद्रव्य सूचना प्रणाली में कीटपालन निष्पादन का आकड़ा तथा कोसोत्तर मापदण्डों को अद्यतन किया गया।
- कोसोत्तर मापदण्डों के लिए आठ बहुप्रज तथा दो द्विप्रज अभिगमों तथा फाइब्रॉइन/सेरिसिन तत्वों का मूल्यांकन किया गया ।
- 8 नेटवर्क केन्द्रों में वसन्त तथा शरत् ऋतु के दौरान इन द्विप्रज अभिगमों का मूल्यांकन किया गया।
- अनुसंधान तथा प्रजनन उद्देश्य से विभिन्न अ व वि संस्थानों को 71 शहतूत तथा 196 रेशमकीट अभिगमों की आपूर्ति की गई ।

• रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, कोडती, बेंगलूरु (कर्नाटक)

यह प्रयोगशाला व्यापक रूप से शहतूत तथा वन्य रेशमकीट नस्ल के भ्रूणीय विकास के मानचित्र, रेशमकीट बीज के अनुरक्षण कार्यक्रम, बीज संचालन तकनीक के मानकीकरण, रोग अनुश्रवण तथा रेशमकीट बीज क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति को तैयार करने संबंधी कार्यकलापों में संलग्न है । अनुसंधान प्रयास निम्न रूप से सूचीबद्ध है :

- ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के सहयोग से विकसित सौर अनुकूल कीटपालन गृहों की प्रवीणता का मूल्यांकन किया गया तथा इसे रेशमकीट बीज फसल के कीटपालन हेतु विभिन्न ऋतुओं के दौरान तापमान एवं आर्द्रता के रखरखाव में समुपयुक्त पाया गया है । कीटपालन गृह मे सीएसआर 2 एवं सीएसआर 4 के संकर कीटपालन से सभी ऋतुओं में 60-71 किग्रा/100 रोमुच का उत्पादन हुआ ।
- एकप्रज प्रजाति, बारापत तथा द्विप्रज संकर एसके 6 एवं एसके 7 के अनुरक्षण हेतु वर्तमान शीतनिष्क्रिय कार्यक्रम के सुरक्षित उपयोग से प्रदर्शित हुआ कि यह उनके प्रस्फुटन कीटपालन मापदण्ड को प्रभावित किए बिना 10 माह तक अनुरक्षित किया जा सकता है ।
- एरी रेशम कीटाण्डों हेतु समुचित द्विचरण अनुरक्षण कार्यक्रम का विकास किया गया जिसके अनुसरण से प्रस्फुटन तथा कीटपालन निष्पादन को प्रभावित किए बिना इसे 12 दिनों तक रखा जा सकता है।

- रोग अनुश्रवण के अंतर्गत, पेब्रिन की उपस्थिति तथा बीज फसल कीटपालन एवं मूल बीज उत्पादन में इससे मुक्ति के लिए दक्षिणी राज्यों से 2062 नमूनों (525 द्विप्रज एवं 1537 बहुप्रज) तथा पी 4 एवं पी 3 मूल बीज फार्मों की जांच की गई ।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत संकर नस्ल के चकत्तों के दीर्घावधि अनुरक्षण के साथ अण्डा उत्पादन तथा संचालन तकनीक , बीज फसल कीटपालन तथा रेशमकीट रोग प्रबंधन आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रर्दशन किया गया । इससे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु के रेशम निदेशालय, रारेबीसं, बीज कृषक तथा पंजीकृत बीज उत्पादक के 492 कार्मिक लाभान्वित हुए।
- मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, राज्य के रेशम निदेशालय, केरेबो तथा कृषकों को मिलाकर एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसटीएस) के 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा बीज फसल कीटपालन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अन्य पाठ्यक्रमों में 303 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ।

• रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोशाला, कोडती, बेंगलूरु (कर्नाटक)

रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, रेशम की उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधारने, रेशम प्रोटीन को जैव सामग्री में इस्तेमाल करने और अनुसंधान उत्पादों को वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तन करने आदि के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से रेशमकीट तथा उनके परपोषी पौधों पर गहन मूल तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान संबंधी कार्यों में संलग्न है । प्रयोगशाला, आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए बहु-अनुशासनिक अभिगमों के माध्यम से लाभकारी अनुसंधान करती है। संस्थान ने पारजीवी रेशमकीट के विकास, आण्विक चिह्नकों का चयन एवं उपयोग, जीन कार्यकलापों की व्याख्या, पैथोजनों की सरल एवं संक्षिप्त खोज तथा पर्याप्त आर्थिक एवं स्वास्थ्यकर लाभों के साथ ही साथ नये साधनों में रेशम प्रोटीन का प्रयोग आदि की दिशा में पहले ही अपनी एक पहचान बनाई है। वर्ष के दौरान प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियॉ अग्रलिखित हैं :

- आरएनएआई अभिगम तथा पारंपरिक प्रजनन के मिश्रण द्वारा लोकप्रिय द्विप्रज नस्लों सीएसआर 4 तथा सीएसआर 27 से बीएमएनपीवी प्रतिरोधी परजीवी रेशमकीट वंशों के दो समुच्चयों का विकास किया गया । बीएमएनपीवी से उन्मुक्त होने से बीसी 4-एफ 8 तथा बीसी5-एफ1 पीढ़ी पर पारजीवी वंशों ने 40% उत्तरजीविता दर्शाई ।
- आरआरएनए अनुक्रम विश्लेषण के आधार पर शहतूत रेशमकीट में वंश नोसेमा तथा एक पीढ़ी वैरीमॉर्फा से संबंध रखने वाले दो नये लघुबीजाणु को पहचाना गया ।
- माइक्रोस्पोरडिया के जाति-विशेष खोज के लिए प्राइमरों के दो समुच्चयों का विकास किया गया।
- उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में शरत् ऋतु के दौरान जीन अभिव्यक्ति तथा उत्तरजीविता पर आधारित ऊष्म सहनक्षम तथा बीएमएनपीवी के प्रतिरोधी सात द्विप्रज पैतृक नस्लों का चयन किया गया ।
- *सामिया रिसिनी* से लीपीफोरिन अवग्राही (एलपीआर) तथा वाइटेलोजेनिन अवग्राही (वीजीआर) जीन तथा बाम्बिक्स मोरी से वीजीआर का लक्षण निर्धारण किया गया । अण्डों के विकास में प्रोटीन जरदी अवग्राही भूमिका का प्रदर्शन आरएनएआई निःशब्दता के माध्यम से किया गया। रेशमकीटों के मध्य वीजीआर जीव अभिव्यक्ति का स्तर शुद्ध मैसूर, सारुपत, सीएसआर 2, सीएसआर 26 तथा एनबी4डी2 में उच्चतर था ।
- बीएमएनपीवी प्रतिरोधी जीन यथा एरिलफोरिन, लेबोसिन, ग्लोवेरिन, केथेपसिन तथा डाइसर-2 के अभिव्यक्ति विश्लेषण से पता चला कि इन जीनों का उपरिविनियमन सीएसआर2 की अपेक्षा निस्तरी में काफी अधिक था ।
- ओक तसर रेशमकीट के चीता बैण्ड रोग के आकस्मिक अवयवी *एन्थीरिया प्रॉयली* ग्रेनुलोसिस वाइरस (एपीजीवी) के रूप में पहचाना गया तथा विषाणु के लिए पीसीआर आधारित खोज पद्धति का विकास भी किया गया ।

वन्य क्षेत्र

• केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राँची (झारखण्ड)

केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, तसर तथा ओक तसर के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास संबंधी आवश्यकतों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है । उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण तसर क्षेत्र के अनुकूल उपयोगी सूचनाओं और प्रौद्योगिकियों के सृजन की जिम्मेदारी के साथ तसर उत्पादक राज्यों को 4 क्षेत्रीय केन्द्रों (आरटीआरएस)/8 अनुसंधान विस्तार केन्द्रों/ 3 शीतोष्ण क्षेत्रों तथा 2 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के नेटवर्क के साथ सहायता प्रदान कर रहा है । वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान तथा इसके एककों द्वारा संचालित कार्य के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं :

परपोषी पौध सुधार

टर्मिनेलिया एसपी के 15 संकर संयोजनों के विकास के साथ ही साथ आकारिकी एवं वृद्धि मापदण्डों के आधार पर आगामी मूल्यांकन हेतु 22 एफ नवोद्भिद पौध का चयन किया गया।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादन तथा सुरक्षा

- ➢ पुनरावर्ती चयन के माध्यम से डाबा द्विप्रज के तीन प्रजनन वंशों को पृथक किया गया और नर कवच भार, मादा प्यूपा भार तथा जनन क्षमता (>250) के आधार पर वन्य डाबा से विशेषकों का अंतर्गमन (जीन का) किया गया ।
- ➢ पर-स्थाने दशा के अंतर्गत सितम्बर मध्य से अंत तक की अवधि में लारिया का कूर्चन सफल फसल हेतु अनुकूल पाया गया।
- ➢ कृत्रिम कर्मता विकास के एक भाग के रूप में, ओडिशा के पूर्णपानी क्षेत्र में प्रचुर डोलोमाइट खदान के पारि-पूर्वावस्था में लाने वाले स्थल में बरहरवा पारि-प्रजाति प्रवर्तित की गई ।
- ➢ साल वनस्पति पर कीटपालित लारिया के एफ1 संकर X रैली में मात्रात्मक विशेषता का सुधार देखा गया।
- ➢ तसर रेशमकीट में प्रेबिन तथा सीपीवी संक्रमण का पता लगाने के लिए दो एन्जाइम चिह्नक यथा एसिड फॉस्फेटेज एवं फेनोलॉक्सीडेज को पहचाना गया ।
- ➢ एएमसीपीवी के प्रति 14.34% तथा 14.28% तक सहनक्षम तत्व को क्रमश: डाबा द्विप्रज तथा डाबा त्रिप्रज में 6वीं पीढ़ी के अंत में डाला गया।
- ➢ तसर कोसों को 15 दिनों तक 20° से. पर अनुरक्षित करने से निगर्मन में 10-15 दिनों का विलम्ब हुआ तथा बीजागार के समक्रमण में मदद मिली ।
- ➢ डेपूरैटेक्स, एक नव-विकसित अण्ड-प्रक्षालन तथा सतह विसंक्रमण संरूप, की वैधता का परीक्षण झारखण्ड में बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र, प्राथमिक उत्पादन केन्द्र, प्रदान के बीजागार तथा आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के रेशम निदेशालय आदि में करने से प्रस्फुटन में 2% का सुधार देखा गया तथा प्रक्षालन में जन-शक्ति की आवश्यकता में कमी आई ।
- ➢ क्षेत्र में तसर रेशमकीट के जीवाण्विक एवं विषाण्विक प्रबंधन हेतु कृषकों को एलएसएम की कुल 527 शीशी तथा जीवन सुरक्षा के 110 पैकेटों की आपूर्ति की गई।
- ➢ परपोषी पौधों तथा रेशमकीट के विभिन्न पीड़कों हेतु पीड़क कैलेण्डर तथा भविष्य-सूचक प्रतिदर्शों का विकास किया गया।

कोसोत्तर प्रौद्योगिकी

- ➢ एक मोटर चालित धागाकरण चरखा विकसित किया गया जिससे क्षेत्र स्तर पर प्रति संचालक 8 घंटे में 60/70 डेनियर के 333.84 ग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन होता है, धागा कम टूटता है, 30% तक धागाकरण क्षमता में सुधार होता है तथा 14% तक रेशम वसूली होती है । इस मशीन के लिए एकस्व (पेटेन्ट) आवेदन दाखिल किया गया है ।

- वर्ष के दौरान मोटर-चालित ऊर्ध्वस्थ धागाकरण सह कताई मशीन 'कामधेनु' से 22% धागाकरण क्षमता, 55% रेशम वसूली तथा 70 डेनियर का धागाकृत तसर-उत्पादन प्रदर्शित हुआ। एकस्व आवेदन दाखिल किया जा चुका है।
- तसर रेशम सूत के प्राकृतिक रंग तथा भौतिक गुणों को बनाए रखने के लिए बोरैक्स के प्रयोग से पकाने की गैर-पैरॉक्साइड विधि का विकास किया गया।
- कोसा पकाने के उपरांत अवशिष्ट जल से घुले हुए सेरिसिन पृथक्करण का मानक तैयार किया जा रहा है ।

पी 4 तसर रेशमकीट प्रजनन केन्द्र की उपलब्धियाँ

- पी4 तसर रेशमकीट प्रजनन केन्द्र, करगी, कोटा ने 30,221 बीज कोसों का संसाधन कर 3,959 रोमुच तैयार किया जिसमें से 2441 रोमुच की आपूर्ति की गई तथा 1,518 रोमुच का इस्तेमाल विभागीय कीटपालन तथा नस्ल के रखरखाव हेतु किया गया। विभागीय कीटपालन से 37 कोसा/रोमुच की दर से 56,758 कोसों के उत्पादन का परिणाम सामने आया।
- पी4 तसर प्रजनन केन्द्र, चक्रधरपुर ने 58,000 बीज कोसों से 7,575 रोमुच तैयार किए । 6,475 रोमुच की आपूर्ति की गई तथा 1,100 रोमुच का इस्मेताल विभागीय कीटपालन के लिए किया गया, परिणामत: 48 कोसा/रोमुच की दर से कुल 53,245 कोसों का उत्पादन हुआ ।
- पी4 तसर प्रजनन केन्द्र,बटोट (ज व क) ने ओक तसर के 200 रोमुच का कीटपालन किया जिससे 77.42 कोसा प्रति रोमुच की दर से 15,485 कोसों का उत्पादन हुआ, 7,605 बीज कोसों को अनुरक्षित किया गया तथा 5,853 बीज कोसों का संसाधन किया गया। तैयार किए गए 611 रोमुच से, 411 की आपूर्ति भगिनी इकाइयों को की गई तथा शेष 200 रोमुच का प्रयोग विभागीय कीटपालन के लिए किया गया।

क्षेत्रीय केन्द्रों की उपलब्धियॉ

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र स्थानीय तसर पारि-प्रजाति संरक्षण के अंतर्गत, प्राकृतिक प्रचुरोद्भवन के लिए 78 रोमुच को वन में विमोचित किया गया तथा 479 रोमुच का उपयोग प्रगुणन हेतु किया गया। तसर प्रौद्योगिकी पार्क में प्रशिक्षणार्थियों/कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया तथा तिरुमलगांदी गाँव के कृषक क्षेत्र विद्यालय में 25 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा (महाराष्ट्र)

भंडारा पारि-प्रजाति के संरक्षण हेतु सहायता दी जाती रही । समूह अभिगम के अंतर्गत उत्पादकता सुधार में सुविधा प्रदान करने के लिए एककों द्वारा अनुरक्षित 6 स्वयं सहाय समूहों (64 कृषक) ने व्यावसासिक फसल ऋतु के दौरान 9740 डीटीवी रोमुच का कीटपालन किया तथा इससे 61 कोसा प्रति रोमुच की दर से 5.94 लाख कोसों का उत्पादन हुआ ।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, बारीपदा (ओडिशा)

उष्णकटिबंधीय तसर रेशमकीट प्रजातियों का संरक्षण एवं मूल्यांकन करते हुए, जिसमें सिमिलिपॉल जैव-मंडल में मोदल पारि-प्रजाति का रखरखाव सन्निहित है, रेशम निदेशालय, ओडिशा को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। सुकिन्दा (टीवी) की लोकप्रियता के अंतर्गत 600 रोमुच का कीटपालन किया गया तथा इसमें 24,260 कोसों का उत्पादन हुआ। कृषक सहभागी अभिगम के साथ किफायती एवं समाकलित प्रौद्योगिकी पैकेज को लोकप्रिय बनाने हेतु कोसा-पूर्व क्षेत्र में संलग्न 5 स्वयं सहाय समूहों (100 कृषक) को वाणिज्यिक फसल कीटपालन में बीज सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

रैली पारि-प्रजाति के संरक्षण, प्रगुणन तथा इसकी लोकप्रियता हेतु रेशम निदेशालय, छत्तीसगढ़ को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती रही। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत समूह संवर्धन कार्यक्रम के तहत 12 बीज कीटपालकों

द्वारा 2,400 रोमुच का कीटपालन किया गया तथा 54.13 कोसा प्रति रोमुच के औसत उत्पादन के साथ 1,29,900 कोसों का उत्पादन हुआ । 6 बीज कीटपालकों द्वारा 26,400 रोमुच का उत्पादन किया गया, 1,15,000 कोसों का संसाधन कर 132 वाणिज्यिक कीटपालकों को इसकी आपूर्ति की गई। वाणिज्यिक फसल के लिए 132 वाणिज्यिक कीटपालकों ने 26,400 रोमुच का कीटपालन किया तथा 57.7 कोसा प्रति रोमुच की दर से 15,23,310 कोसों का उत्पादन किया गया। कृषक क्षेत्र विद्यालय के अंतर्गत बाकावंद ब्लॉक में 5 बैठकें चलाई गईं । प्रत्येक बैठक में 25 कृषक सम्मिलित थे ।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, दुमका (झारखण्ड)

सारिहन पारि-प्रजाति संरक्षण के अंतर्गत अर्जुन पौधों पर 500 रोमुच का कीटपालन किया गया तथा 5320 रोमुच का उत्पादन हुआ । तसर प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र भीमताल (उत्तराखण्ड)

विभिन्न अभिकरणों को तसर रेशमकीट के 15850 रोमुच की आपूर्ति की गई । 200 रोमुच का कीटपालन घर के अंदर ली जाने वाली फसल के पहले किया गया तथा इससे प्रति रोमुच 140 कोसों का उत्पादन हुआ। वसन्त ऋतु में 200 रोमुच के कीटपालन से 80 कोसा प्रति रोमुच का उत्पादन हुआ। कृषकों के मध्य प्रमाणिक प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु तसर प्रौद्योगिकी पार्क का रखरखाव किया गया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर)

लीथोकार्पस डीलबाटा पर *एन्थीरिया फ्रीथि* मूरे का सर्वेक्षण किया गया तथा सेनापति जिला के फाईबंग खुल्लेन वन (1700 मी. समुद्र से ऊपर) से 15040 बीज कोसों को एकत्र किया गया । मणिपुर (700 मी. - 2000 मी मध्यमान समुद्र से ऊपर) के विभिन्न जिलों के सर्वेक्षण से *सामिया कनिंगी , अटैकस एटलस, एक्टीयास सेलेने, बॉम्बेक्स हुट्टोनी, एन्थिरिया रॉयली, ए. फ्रीथि, ए. हेलफेरी, डेंड्रोलिमस ग्रिसिया, एस.कैनिंगई तथा एटैकस एटलस* आदि की उपस्थिति का पता चला। केन्द्र ने *ए.प्रॉयली, ए. पेमई, ए.फ्रीथि तथा विभिन्न नस्लों जैसे पीआरपी2, पीआरपी3 पीआरपी5, पीआरपी12, पीआरपी4 नीला, सी27, बी6, बीवाई, आरपीआरपीपी, पीआर तथा पीपीआर का* संरक्षण जननद्रव्य बैंक में किया।

मानव संसाधन विकास, विस्तार संचार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 65 बैंचों में 1295 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर द्वि-फसल प्रणाली हेतु टी-अर्जुना के चाकी उद्यान की स्थापना का परीक्षण किया गया तथा इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए ।
- अविके, कपिस्ठा के 20 कृषकों के साथ एसएम 5 की अभिपुष्टि से पर्ण उत्पादन में 30.85% तथा कोसा उत्पादन में 22.25 की वृद्धि देखी गई ।
- क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा, वारंगल, अविके, कपिस्ठा, राबर्ट्सगंज तथा कटघोरा में बीडीआर10 का बहु-स्थानीय परीक्षण किया गया ।
- 81 स्वयं सहाय समूहों में 1,504 कृषकों का अनुरक्षण किया गया ।
- नायलॉन की जाली, नीम आधारित कीटनाशी, 1.5% यूरिया का पर्णीय छिड़काव तथा पर्ण सतह रोगाणु के साथ चाकी उद्यान तैयार करते हुए कीटपालन का एक समाकलित पैकेज विकसित किया गया।
- ओक तसर में सहकारिता संस्कृति के विकास हेतु 11 स्वयं सहाय समूहों में 152 कृषकों का अनुरक्षण किया गया। बीज फसल के लिए 78 कृषकों द्वारा 16,600 रोमुच का कीटपालन किया गया जिससे 28.21 कोसा/रोमुच का उत्पादन हुआ। 2.500 रोमुच के वाणिज्यिक कीटपालन से 20.57 कोसा/रोमुच का उत्पादन हुआ।
- क्षेत्र विद्यालय के 13 कार्यक्रमों में 211 कृषकों ने भाग लिया ।
- तसर कृषि के विभिन्न पहलुओ के अंतर्गत 12 बैचों में 300 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।
- रेशम निदेशालय तथा गैर सरकारी संगठनों को आवश्यकतानुसार 54,616 ओक तसर रोमुच की आपूर्ति की गई।

• केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लहदोईगढ़, जोरहाट (असम)

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अपने क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र तथा अनुसंधान विस्तार केन्द्रों के साथ उत्तर-पूर्व तथा देश के अन्य भागों में मूगा एवं एरी उत्पादन हेतु अनुसंधान एवं विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करता है । यह संस्थान रेशमकीट तथा परपोषी पौधों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु मूलभूत, कार्यनीतिपरक तथा अनुप्रयोगी अनुसंधान संचालित करता है। यह नव-विकसित प्रौद्यौगिकियों के स्थायित्व-मूल्यांकन हेतु सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान भी करता है तथा अनुसंधान खोजों को विस्तार तथा प्रशिक्षण तन्त्रों के माध्यम से अंतिम प्रयोक्ता तक इसका प्रसार करता है । संस्थान के उत्कृष्ट गुणवत्ता निष्पादन पर विचार करते हुए इसे आई एस ओ 9001: 2008 से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान संचालित अनुसंधान व विस्तार कार्यकलापों के मुख्य आकर्षण निम्न हैं :

- कशेरू *आइलैन्थस इक्सेलसा* तथा *ए.ग्रान्डिस* के 10 अभिगमों को एकत्र कर इसका लक्षण निर्धारण किया गया तथा इसे जननद्रव्य बैंक में रखा गया । विभिन्न कशेरू जीन प्ररूपों के रस-आमापन से पता चला कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील शर्करा, अपरिष्कृत तन्तु, फेनॉल, टेनिन आदि के उच्च तत्व हैं । जैव आमापन से उच्चतम कोसा (3.20 ग्रा.) तथा कवच भार (0.40 ग्रा.) का पता चला ।
- जैव उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल करने हेतु विभिन्न वन्य एरण्डी उगाए जाने वाले स्थानों में मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा 8 एजोस्पिरिलम एसपी, 14 एजोटोबैक्टर एसपी, 15 फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (पीएसबी) तथा 8 सूडोमोनस एसपी आदि को पृथक किया गया।
- मूगा रेशमकीट का भ्रूणीय नक्शा तैयार किया गया। मूगा रेशम कीटाण्डों के प्रस्फुटन एवं कीटपालन निष्पादन को प्रभावित किये बिना इनके रखरखाव हेतु यथोचित प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।
- संस्थान में अनुरक्षित 8 वन्य रेशमकीट नस्लों का उपयोग करते हुए नये नस्लों का विकास किया गया जिसने नियंत्रण की तुलना में उच्च जनन क्षमता, प्रस्फुटन, उत्तरजीविता, कोसा उत्पादन, कोसा भार, कवच भार दर्शाया। नये नस्लों का प्रयोगिक परीक्षण चल रहा है।
- असम, बोडो क्षेत्र परिषद (असम), नागालैण्ड, मेघालय तथा मणिपुर के मूगा पारि-प्रणाली से 417 कीट नमूनों को एकत्र किया गया तथा पहचान एवं प्रलेखन हेतु अनुरक्षित किया गया।
- असम तथा मेघालय के मूगा सक्षम क्षेत्रों के मूगा रेशमकीट डिम्भकों से 30 आँत-सूक्ष्म वनस्पतिजात को पृथक किया गया तथा इसका जैव-रासायनिक एवं आण्विक विश्लेषण किया गया ।
- असम के तीन जिलों नामत: जोरहाट, गोलाघाट तथा शिवसागर से चयनित 405 लाभार्थियों को 20 एरी कताई मशीन, 90 प्लास्टिक की चन्द्रिके, बांस के बने 90 कीटपालन उपकरणों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निवेशों जैसे रोगाणुनाशी, खाद, बीजागार सामग्री आदि की आपूर्ति की गई, साथ ही सामग्रियों के वितरण हेतु 20 स्वयं सहायता समूह बनाए गये।
- 12 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा 5 प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए जिसमें क्रमश: 226 तथा 205 लाभार्थी सम्मिलित हुए। संस्तुत प्रक्रिया पैकेज अपनाने से एरी कोसा उत्पादन 7.20 से 12.85 किग्रा प्रति 100 रोमुच बढ़ गया। पाद-सह-मोटर चालित एरी कताई मशीन अपनाने से प्रति 8 घंटे 205 ग्राम तक सूत उत्पादकता बढ़ने के साथ-ही-साथ महिलाओं की कड़ी मेहनत में काफी कमी आई।
- उत्तर-पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों से वन्य रेशम शलभों की 17 प्रजातियां एकत्र की गई तथा एक विनिबन्ध तैयार किया जा रहा है ।
- मूगा परपोषी पौध तथा रेशमकीट के पीड़क एवं रोग की पूर्व सूचना का कैलेण्डर तैयार किया गया है

तथा प्रभावी रोग प्रबंधन हेतु इसे संस्थान की वेबसाइट में अपलोड किया गया है । प्रभावी रोग प्रबंधन हेतु स्थानीय भाषा में संदेश (एसएमएस) भी भेजे जा रहे हैं ।

- मूगा रेशमकीट में जनन क्षमता बढ़ाने के लिए 4 सस्ते एवं अनुरूप किशोर हार्मोन प्रभाविकता का परीक्षण कृषक स्तर पर किया जा रहा है ।
- दूसरे चरण तक घर के अंदर रेशमकीट पालन करने से 50.5% प्रभावी कीटपालन दर की प्राप्ति हुई ।

विस्तार, मानव संसाधन विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (राकृविसं), कृषि मंत्रालय, जयपुर, भारत के समन्वय से मेघालय, नागालैण्ड, बीटीसी (असम), त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में एरी तथा मूगा कृषि पर आयोजित कृषक जागरूकता कार्यक्रम में 635 कृषकों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा आयोजित अभ्यन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रेशम निदेशालय मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम तथा बीटीसी (असम) के 150 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- परिभ्रामी तथा संक्षिप्त प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 398 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया ।
- मूगा तथा एरी कीटपालन तथा कोसोत्तर कार्यकलापों पर एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत 310 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- शोधकर्त्ताओं / स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अनुसंधान परियोजनाओं को करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का प्रदर्शन किया गया ।
- एरी तथा मूगा कृषि पर 13 विभिन्न प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने हेतु 400 प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित किए गए । कृषि विज्ञान केन्द्र (के वी के) के सहयोग से रेशम निदेशालय, जोरहाट के कृषकों तथा असम के सोनितपुर जिले में चयनित स्थानों पर मूगा तथा एरी कृषि की समाकलित प्रौद्योगिकी पर अग्रणी प्रदर्शन का संचालन भी किया गया ।
- 7 राज्यों के रेशम उत्पादन ईएसजी/ईसीसी फार्मों में एरी सी 2 नस्ल का कीटपालन किया गया तथा इसका निष्पादन सभी परीक्षण केन्द्रों एवं असम, बी टी सी एवं मेघालय के कृषकों के यहाँ बेहतर था । विभिन्न स्थानों पर रेशम निदेशालयों के सहयोग से व्यापक पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण प्रगति पर है ।
- नई प्रौद्योगिकियों की लोकप्रियता हेतु 2 कृषि मेला, 6 प्रदर्शनी, 28 क्षेत्र दिवस, 18 प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम आदि संचालित किए गए।

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों (क्षेअके) की उपलब्धियां

क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, बोको

- पर-स्थाने दशा के अंतर्गत 8 वन्य अनुवांशिक संसाधनों का रखरखाव किया गया।
- दो रोग-सहनशील सोम चित्र प्ररूपों, एस 3 तथा एस 6 का चयन किया गया तथा क्षेत्र आपूर्ति हेतु व्यापक पैमाने पर प्रगुणन किया गया।
- मूगा परपोषी पौधों पर नव-विकसित रासायनिक संरूप (2% टी एस पी, 1% यूरिया तथा जल में 0.5% बुझे चूने के छिड़काव से डिम्भकों की मृत्युदर कम हुई तथा कोसा उत्पादन 15-20% तक बढ़ गया ।

क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, शादनगर

- शरीर क्रिया मापदण्डों, रस -आमापन तथा जैव-आमापन की वृद्धि के आधार पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में 8 अरण्डी जीनप्ररूपों का मूल्यांकन किया गया ।
- क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, मेंदीपाथर में विकसित एरी रेशमकीट नस्लों की लोकप्रियता हेतु क्षेत्र परीक्षण किया गया। दस एरी पारि-प्रजातियों के कीटपालन एवं जनन निष्पादन के मूल्यांकन से यह पाया गया

कि 4 अभिगम नामत: आरईआरएसई-201, आरईआरएसई-206, आरईआरएसई - 207 तथा आरईआरएसई-202 बेहतर हैं । तथापि, उत्तम कोसा (81.8% तथा 80.0) एवं नर शलभ निर्गमन (46.71% तथा 48.0%) के संबंध में एरण्डी तथा टैपिओका पर ई-201 का जनन निष्पादन श्रेष्ठ पाया गया।

- **केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु (कर्नाटक)**

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान अपने11 प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र (प्रसतसेके), 4 रेशम अनुकूलन एवं परीक्षण गृह (रेअवपगृ), 4 वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला (वपप्र), 1 आंचलिक कार्यालय, 2 कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र (केरेपके), 2 कोसा परीक्षण केन्द्र (कोपके) तथा 1 क्षेत्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान केन्द्र (क्षेरेप्रौअके) के साथ भारत में रेशम उद्योग की तकनीकी एवं वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान केरेप्रौअसं का मुख्य योगदान निम्न है :

- तसर तथा मूगा, दोनों के कोसा-धागाकरण हेतु 8 बहु-छोरीय उपयुक्त एवं सस्ती धागाकरण मशीन का निर्माण किया । क्षेत्र परीक्षण से पता चला कि एक धागाकार सुविधाजनक ढंग से मात्र 4 छोरों/थाला का रखरखाव कर सकता है । तदनुसार, 4 छोरीय धागाकरण मशीन तैयार की गई तथा तसर एवं मूगा क्षेत्र के लिए 4 छोरीय धागाकरण मशीन के पैकेज को संस्तुत किया गया।
- विद्यमान धागाकरण एवं कताई मशीनों को तसर रेशम क्षेत्र के अनुकूल संशोधित किया गया है। शुष्क, आर्द्र तथा अन्य संशोधित धागाकरण मशीन को क्षेत्र में अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
- तसर सूत के आकार अनुप्रयोग हेतु आदि-रूप मशीन के माध्यम से एक तकनीक विकसित की गई तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार प्रगति पर है।
- शुष्क वायु शुष्कक तथा प्यूपा अलगाव मशीन का निर्माण कर इसे लगाया गया। संसाधन पैकेज के विकास हेतु प्यूपा के लिए शुष्कन मापदण्डों का मानक तैयार किया गया । परिणाम उत्साह-वर्धक है।
- रेशम के साज-सज्जा (परदा, सोफा कवर, फर्नीचर के कपड़े जैसे वस्त्र) वाले वस्त्रों के अपघर्षण प्रतिरोध पर अध्ययन, घाव के मरहम-पटटी अनुप्रयोग हेतु रेशम आधारित मिश्रित जैव सामग्रियों का अभिकल्प एवं विकास, कोसा भंडारण हेतु मूगा कोसों की श्वांसरोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन, धागाकरण निष्पादन तथा मूगा कच्चे रेशम की गुणवत्ता, स्वचालित संवाहक कोसा शुष्कन मशीन का विकास, एरी तथा एरी मिश्रित बुनाई का विकास, रेशम कोसा को मिलाकर मिश्रित वस्त्र एवं उत्पादों का विकास आदि को परियोजना के रूप में लिया गया है ।
- मुख्य संस्थान तथा संबद्ध एककों द्वारा कोसा एवं कच्चे रेशम के 87036 लॉटों तथा वस्त्र, रंग एवं वस्त्र संपूरकों के 9504 लॉटों का परीक्षण किया गया । इसके साथ-ही-साथ वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला बेंगलूरु द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा पारि-मापदण्डों के लिए 2006 लॉटो का परीक्षण किया गया।
- केरेप्रौअसं द्वारा प्राधिकृत एक प्राइवेट धागाकरण मशीन के निर्माण-एकक में जाइका विशेषज्ञों की सहायता से केरेप्रौअसं द्वारा 10 छोरीय स्वचालित रेशम धागाकरण मशीन की अवधारणा का विकास किया गया ।
- वर्ष 2013-14 के दौरान केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा निम्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया :
  - "रेशम कॉयर को मिलाकर मिश्रित वस्त्र तथा उत्पादों का विकास" के उद्देश्य से केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, कॉयर बोर्ड, कलवूर, अलप्पूषा, केरल (अक्तूबर 2013)
  - शहतूत तथा वन्य रेशम से बुने हुए उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए 'अनुसंधान व विकास हेतु केन्द्र' की स्थापना के उद्देश्य से निफ्ट-टीईए बुनाई फैशन संस्थान (एनआईएफटी-टीईए - केएफआई) (दिसंबर-2013)

अन्वेषणात्मक कार्य

तसर कोसों के पकाने की प्रक्रिया हेतु एन्जाइमी, रासायनिक तथा व्याप्ति विधि अपनाई गई। यद्यपि सोडियम परबोरेट विधि द्वारा तसर कोसों को पकाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं, किन्तु हाइड्रोजन परॉक्साइड तथा सोडियम सिलिकेट के इस्तेमाल से व्याप्ति कक्ष में पकाने से प्रभाविकता मे वृद्धि हुई । तसर कोसों को पकाने के लिए व्याप्ति कक्ष में सोडियम परबोरेट विधि का संशोधन कर लिया गया है ।

उत्पाद विकास

मिल मटका X मिल मटका, शेरवानी वस्त्र (तसर X मूगा स्पॅन),रेशम नॉयल कारपेट, कॉलर के साथ तथा कॉलर के बिना पुरूषों का टी-शर्ट (एरी मिलाकर बुने), महिलाओं के टॉप (एरी मिलाकर बुने तथा शुद्ध एरी), सेरिसिन चूर्ण, रासायनिक रूप से तैयार शहतूती रेशम वस्त्र, बलकल सूत, प्राकृतिक रूप से रंगे एरी डेनिम (जैव-पॉलिस करना, बाउन्सी परिष्करण, स्टोन धुलाई तथा बालू या सैण्ड धुलाई) तथा तसर शॉल आदि उत्पादों/ वस्त्रों का विकास किया गया ।

एकस्व (पेटेण्ट्स)

केरेप्रौअसं पारि-विंगोदन मशीन तथा दबाव दशा के अंतर्गत रेशम लच्छी के विंगोदन हेतु प्रक्रिया नयाचार को एकस्व के लिए पंजीकृत किया गया है।

प्रशिक्षण

मुख्य संस्थान तथा इसके उप-एककों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3107 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, इनमें से 1272 व्यक्ति एसटीपी/क्यूईपी/ आरटीपी/बीईपी/तदर्थ पाठ्यक्रम/संक्षिप्त पाठ्यक्रम में तथा 1835 व्यक्ति एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए ।

विस्तार कार्यकलाप

प्रतिवेदित अवधि के दौरान 7635 लाभार्थियों को आवृत्त करते हुए 507 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा क्षेत्र कार्यक्रम संचालित किए गए । संस्थान तथा इसके एककों द्वारा 67 धागाकरण/ऐंठन/बुनाई/रंगाई तथा गैर-शहतूती एककों को अपनाया गया जिसमें 1005 से अधिक लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा संस्थान व संबद्ध इकाईयों के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने क्षेत्र संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु 1370 क्षेत्रों का दौरा किया ।

उप-इकाइयां

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान के उप-एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया संबंधी कार्यक्रम संचालित करने तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम की योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे रहे । उप-एकक, समग्र सुधार के प्रति सतत अनुश्रवण हेतु धागाकरण, बुनाई, ऐंठन तथा रंगाई एककों को अपनाने में भी संलग्न थे । रेशम परीक्षण सेवा उप-एककों के अन्य मुख्य कार्यकलापों में से एक है ।

• प्रशिक्षण

केन्द्रीय शैक्षणिक कार्य (के शै का)

केरेबो मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । प्रशिक्षण ब्योरा यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण के अंतर्गत बड़ी संख्या में पणधारियों को शामिल किया गया ।

क्र. सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थी की श्रेणी
1	संरचित पाठ्यक्रम (पीजीडीएस शहतूत व गैर शहतूत पाठ्यक्रम)	45	रेशम निदेशालय
2	संक्षिप्त पाठ्यक्रम	1199	केरेबो/रेशम निदेशालय/गैससं
3	तदर्थ पाठ्यक्रम (टीयूपी+ एसडीपी + एमडीपी आरडीपी + आवश्यकतानुसार + कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	6421	कृषक/लाभार्थी/ उद्यमी
4	एकीकृत कौशल विकास योजना	8235	लाभार्थी / रेशम निदेशालय/केरेबो
5	अन्य कार्यक्रम	2824	कृषक / कर्मचारी
	कुल	**18724**	

नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय **(इग्नू),** नई दिल्ली के सहयोग से अँगरेजी में, **रेशम उत्पादन पर छह माह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम** आरंभ किया है। देश भर में आबंटित 9 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों द्वारा इस कार्यक्रम के अधीन दस राज्यों के 511 व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया है। पाठ्यक्रम सामग्री को समझने के लिए उनकी देशी भाषा में **9 और भारतीय भाषाओं** में अनुवाद किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बहु-माध्यम अनुसंधान केन्द्र (ईएमआरसी) के अनुरोध पर केरेबो एवं इसके अनुसंधान संस्थानों से चयनित 104 वैज्ञानिक विशेषज्ञों/ संसाधन कर्मियों के माध्यम से देश-वार कक्षा के लिए रेशम उत्पादन पर ई-विषय वस्तु का विकास प्रगति पर है।

• सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कम्प्यूटरीकरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पिछले 24 वर्षों से बोर्ड के कार्यकलापों में सुधार तथा वैज्ञानिकों द्वारा उनके अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो में अनुरक्षित डेटाबेस समुच्चयों के माध्यम से विभिन्न आंकड़ा तथा रिपोर्ट का अभिगम प्रदान करते हुए समय बचाने तथा यथातथ्यता एवं गति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाएं हैं ताकि अंतिम प्रयोक्ता सूचना प्रोद्योगिकी का लाभ उठा सकें ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना:

(क) केरेबो ने द्विभाषी वेबसाइट www.csb.gov.in का प्रवर्तन किया है तथा केरेबो एककों को उच्च गति के इंटरनेट (10 एमबीपीएस आईबीडब्ल्यू) एवं दो आधुनिक सर्वरों के साथ इन्ट्रानेट की सेवा प्रदान करता है।

(ख) सर्वरों मे लाइनेक्स तथा विन्डोज सर्वर 2003 प्रचालन प्रणाली का उपयोग किया जाता है । डेस्कटॉप कम्प्यूटरों पर विन्डोज 7, विस्टा, एक्सपी तथा लाइनेक्स इस्तेमाल में लाया जाता है ।

(ग) सामान्य कार्यालय पत्राचार, अनुसंधान, तकनीकी तथा सांख्यिकी आंकड़ा के रखरखाव हेतु एम एस आफिस 2000/2007/2010 तथा ओपेन आफिस का प्रयोग किया जाता है। मुख पृष्ठ तथा लैन पर वेब इंटरफेस के विकास हेतु पावर बिल्डर, वीबी नेट, एएसपी नेट, पीएचपी, जावा आदि इस्तेमाल किया जाता है । आँकड़ा प्रबंधन के लिए अनुप्रयोगों के माध्यम से संचालित ओरैकल, माई एसक्यूएल, एमएमएक्सएस तथा फॉक्सप्रो प्रयोग में लाया जाता है । अनुसंधान एवं साख्यिकी आँकड़ा के विश्लेषण हेतु एसपीएसएस तथा विन्डोस्टेट प्रयोग में लाया जाता है ।

(घ) केरेबो में सर्वर, कोर आई7, कोर आई5, कोर आई3 तथा दोहरे कोर कम्प्यूटर एवं नोटबुक को मिलाकर लगभग 950 कंम्प्यूटर स्थापित हैं तथा के रे बो इसके एककों में अनुसंधान आँकड़ा समेकन, आंकड़ा विश्लषण, रेशम उत्पादन सांख्यिकी, कार्यालय की उत्पादकता तथा सामान्य दैनंदिन पत्राचार आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

(ड.) समयनिष्ठता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए केरेबो काम्प्लेक्स तथा केरेबो के अन्य एककों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक उंगली-छाप की प्रणाली स्थापित है ।

(च) वर्ष के दौरान विकसित एवं तैनात किए गए प्रमुख अनुप्रयोग :

i **एसएमएस सेवाएं :** रेशम उत्पादों की दर एसएमएस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मूल्य को अद्यतन करने में एसएमएस सुविधा काफी दूर तक पहुँची है।

ii **सेरी5के डेटाबेस :** सारे देश के द्विप्रज कृषक समूहों के प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु सेरी5 के डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है।

iii **सिल्क पोर्टल :** उत्तर पूर्व अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह

के माध्यम से छायाचित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना, संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली (सिल्क्स) पोर्टल का विकास किया गया तथा रेशम कृषि के संवर्धन हेतु अनुपयोगी भूमि के चयन एवं विश्लेषण हेतु इसका प्रयोग किया गया । सिल्क पोर्टल का पोषण एवं रखरखाव कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा किया जाता है ।

(छ) वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे प्रमुख अनुप्रयोग एवं सूचना पद्धति (आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत से विकसित) निम्न है :

1. वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पी आई एस)
2. वित्तीय लेखाकरण पद्धति/वेतन चिट्टा प्रणाली (एफएएस/पे रोल सिस्टम)
3. गोपनीय रिपोर्ट
4. पतालेखी एड्रेस मास्टर
5. सबवबीयो सूचना प्रणाली (जीएसएलआईएस इन्फॉरमेशन सिस्टम)
6. सा. भ. नि. सूचना प्रणाली (जीपीएफ इनफॉरमेशन सिस्टम)
7. चिकित्सा बिल प्रक्रमण प्रणाली
8. रेशम उत्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएमआईएस)
9. रेशम उत्पादन सांख्यिकी
10. सा भ नि निवेश प्रबंधन
11. पेंशन प्रक्रमण
12. मियादी जमा प्रबंधन
13. भर्ती सूचना प्रणाली
14. इण्डियन सिल्क पत्रिका अनुश्रवण प्रणाली
15. कर्मचारी एवं उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा पहचान पत्र
16. इन्टरनेट पर केरेबो की वेबसाइट
17. इंट्रानेट निहित सेवाएं जैसे ई-मेल, ऑनलाइन परिपत्र, ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध तथा सा भ नि सूचना आदि
18. अध्ययन छुट्टी, प्रशिक्षण तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
19. निधि हस्तांतरण
20. आयकर
21. शिशु शिक्षा भत्ता
22. आवक पत्र प्रबंधन
23. बीज अधिनियम अनुप्रयोग रखरखाव
24. अभिलेख कक्ष डेटाबेस
25. पेंशन अनुवर्ती कार्रवाई
26. सिल्क पोर्टल
27. भर्ती का वेब ऑन लाइन आवेदन पत्र

अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने के लिए केरेबो के अन्य अनुसंधान एककों ने भी वेबसाइट तैयार की है :

i	केरेअवप्रसं, मैसूर	- www.csrtimys.res.in
ii	केरेअवप्रसं, बहरमपुर	- www.csrtiber.res.in
iii	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	- www.csrtipam.res.in
iv	केतअवप्रसं, राँची	- www.ctrtiranchi.co.in
v	केरेजसंके, होसूर	- www.silkgermplasm.com
vi	केमूएअवप्रसं, लहदोईगढ	- www.cmerti.res.in
vii	बुतरेबीसं, बिलासपुर	- www.btsso.gov.in
viii	केरेप्रौअसं, बेंगलूरु	- www.cstri.res.in
ix	भारेमासं	- www.silkmarkindia.com

• रेशम उत्पादन के विकास में सुदूर संवेदन (आर एस) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) का अनुप्रयोग

"सिल्क्स" (सेरिकल्चर इंफारमेशन लिंकेज एवं नॉलेज) माड्यूल, जो रेशम कृषकों के लिए एकल विन्डो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित सूचना एवं सलाह की सेवा प्रणाली हैं, का संचार 24 राज्यों में चयनित 108 जिलों में कर लिया गया है । "सिल्क्स" का उद्देश्य 1) कम्प्यूटरीकृत सूचना भण्डारण, मूल्य वर्धन, कृषकों को रेशम उत्पादन संबंधी ज्ञान प्रदान करना 2) स्थानीय रेशम उत्पादकों के लिए समुचित भाषा एवं प्रपत्र

में योजना एवं सलाहकार की सेवा प्रदान करना तथा 3) इंटरनेट एवं उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से सूचना एवं सलाहकारी सेवाओं की आपूर्ति आदि है ।

क) केरेबो एककों तथा संबंधित राज्यों के उपयोगार्थ चयन किए गए सक्षम क्षेत्रों का जिलावार, ब्लॉकवार सारांश विवरण उपलब्ध कराया गया ।

ख) केरेबो मुख्यालय में विन्डोज प्लेटफार्म पर एक नई वेबसाइट संस्थापित की गई तथा "सिल्क्स" का बेटा रूपांतर उपलब्ध कराया गया ।

ग) तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के सुझाए गए तालुक/ब्लॉकों में सर्वेक्षण मूल्यांकन पूरा किया गया।

घ) आन्ध्र प्रदेश के जिलों में सुझाव के साथ जिला-विशेष सूचना तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कृषक-विशेष प्रौद्योगिकियों को लोड करते हुए कृषक उपयोगी माड्यूल के आधार पर प्रमुख माड्यूल घटकों में सुधार किया गया और चरणबद्ध ढ़ंग से अन्य राज्यों के लिए भी प्रक्रिया जारी है ।

ड.) "सिल्क्स" वेब पोर्टल का प्रवर्तन

नई दिल्ली में राज्यों के वस्त्र मंत्री सम्मेलन के दौरान 9 अक्तूबर, 2013 को केन्द्रीय वस्त्र मंत्री डॉ. के. सांबशिव राव ने "सिल्क्स" वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। "सिल्क्स" वेब पोर्टल व्यापक तौर पर स्थानिक एवं गैर-स्थानिक सूचना तथा योजना प्रबंधन और इसे तैयार करने के लिए योजनाकर्त्ताओं को सांख्यिकी प्रदान करता है। यह पणधारियों के लाभार्थ मौसम का पूर्वानुमान तथा रोगों की पूर्व-सूचना भी देता है।

च) सिल्क्स पोर्टल के बारे में प्रयोक्ता विभागों को अवगत कराने के लिए संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय सुदूर अन्तरिक्ष केन्द्र के सहयोग से उत्तर-पूर्व अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनईएसएसी), शिलांग ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला "हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप" आयोजित की तथा विभिन्न योजना, विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए जिला अधिकारियों को सिल्क्स पोर्टल के प्रयोग के बारे में प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया। ऐसी कार्यशालाएं कर्नाटक, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु राज्यों में भी आयोजित की गईं ।

• बीज संगठन

क. शहतूत बीज

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रा रे बी सं) जो गुणवत्तापूर्ण वाणिज्यिक द्विप्रज तथा संकर नस्ल रेशमकीट संकर नस्लों के उत्पादन एवं आपूर्ति के अलावा, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी रेशमकीट बीज के उत्पादन को शामिल करते हुए, देश में रेशम उद्योग में एक से अधिक तरीके से मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने ग्राहकों की सेवा विशिष्टता से करना जारी रखा । रारेबीसं वर्ष 2013-14 के दौरान, देश में शहतूत के गुणवत्ता बीज उत्पादन में अग्रगण्य रहा और देश के शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन करने में प्रमुख योगदान निभाया । रारेबीसं रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अपना अधिदेश एवं निष्ठावान कर्मचारियों की सेवा के साथ विभिन्न राज्यों के पणधारियों को पूरी बुनियादी और मूल रेशमकीट बीज की आवश्यकता को पूरा किया है। यह संगठन निरंतर प्रगति के साथ बीज कोसा उत्पादन, बुनियादी बीज उत्पादन और द्विप्रज वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूराकर नई ऊँचाइयों को छू लिया। इसके अलावा, इसके इतिहास में, द्विप्रज संकर नस्लों के अत्यधिक उत्पादन करते हुए, रारेबीसं ने अपने महत्त्वपूर्ण हिस्से के साथ संकर नस्ल के रेशमकीट बीज के ग्राहकों को बनाए रखा है । रारेबीसं अपने सभी बीज उत्पादन केन्द्रों का अं मा सं 9001 : 2008 प्रमाणित किया, उच्चतम गुणवत्ता का बीज उत्पादन सुनिश्चित किया। देश में शहतूत बीज क्षेत्र में संगठन के सामर्थ्य एवं उच्च क्षमता का मुख्य श्रेय इसके विस्तार के क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ प्रधान कर्मचारियों की पूर्ण प्रतिबद्धता और निरंतर समर्थन को जाता है ।

बुनियादी बीज फार्मों में बीज कोसा उत्पादन एवं बुनियादी रेशमकीट बीज उत्पादन

बुनियादी बीज फार्म (बुबीफा) गुणवत्ता बीज कोसों एवं बुनियादी बीजों का उत्पादन कर रारेबीसं की गतिविधियों की रीढ़ बन गई । इस दिशा में, बीजों का रख-रखाव एवं प्रगुणन के लिए रारेबीसं के 19 बुनियादी बीज फार्मों (9 द्विप्रज एवं 10 बहुप्रज) और एकमात्र रेशम उत्पादन विकास केन्द्र में मान्य नस्लों के प्रगुणन को अपनाते हुए समर्पित कर्मचारियों द्वारा सही योजना, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध कार्यान्वयन करते हुए गुणवत्ता बीज कोसा एवं बुनियादी बीज उत्पादन करने का आश्वासन दिया है। ये फार्म अत्यंत सफलता प्राप्त किए हैं और प्रथम बार द्विप्रज एवं बहुप्रज दोनों बीज कोसों के उत्पादन के लक्ष्यों को पार किया है । वर्ष के दौरान 58.30 और 70.03 लाख बीज कोसों के लक्ष्य के मुकाबले क्रमश: 63.14 लाख द्विप्रज एवं 70.13 लाख बहुप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया गया। पिछले पाँच सालों में बुनियादी बीज फार्मों में द्विप्रज और बहुप्रज बीज उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति **चित्र-1 एवं 2** में प्रस्तुत है ।

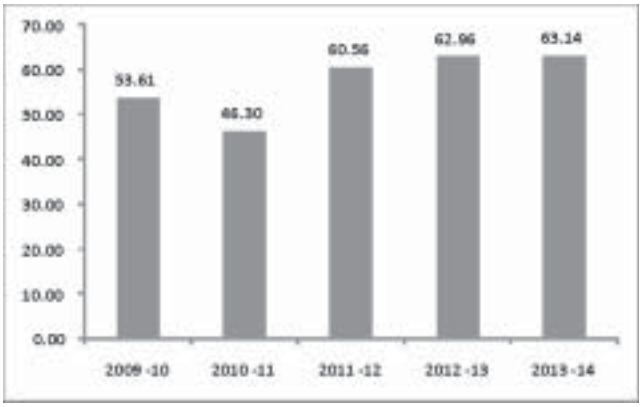

चित्र-1. रारेबीसं के बुनियादी बीज फार्मों में द्विप्रज बीज कोसा उत्पादन का तुलनात्मक विवरण।

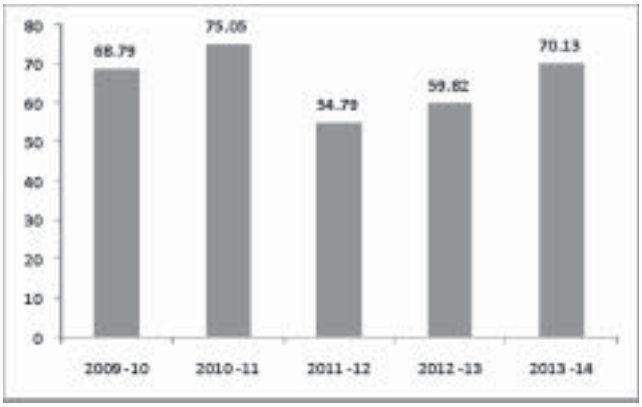

चित्र-2. रारेबीसं के बुनियादी बीज फार्मों में बहुप्रज बीज कोसा उत्पादन का तुलनात्मक विवरण

वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल 15.45 लाख बुनियादी बीज रोमुबीच (11.77 लाख द्विप्रज एवं 3.68 लाख बहुप्रज) का उत्पादन किया गया और 9.61 लाख द्विप्रज रोमुबीच और बहुप्रज बीज की पूरी मात्रा का वितरण और उसका ब्योरा नीचे प्रस्तुत है :

बुनियादी बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति				
नस्ल		पी3	पी2	पी1
उत्पादन	द्विप्रज	5014	50654	1125277
	बहुप्रज	2479	23110	342345
	योग	**7493**	**73764**	**1372989**
आपूर्ति	द्विप्रज		20277	941192
	बहुप्रज	2479	23110	342345
	योग	**2479**	**43387**	**1283537**

वर्ष 2013-14 के दौरान, रारेबीस द्वारा राज्यवार पी1 द्विप्रज और बहुप्रज बुनियादी बीज वितरण का ब्योरा चित्र-3, 4, 5 एवं 6 में प्रस्तुत है।

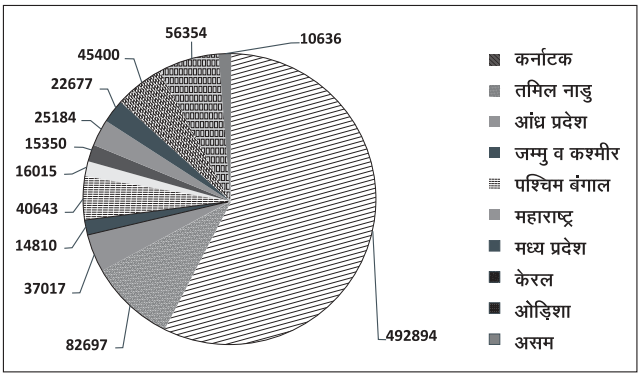

चित्र-3. रारेबीसं द्वारा राज्यवार द्विप्रज बुनियादी बीज वितरण

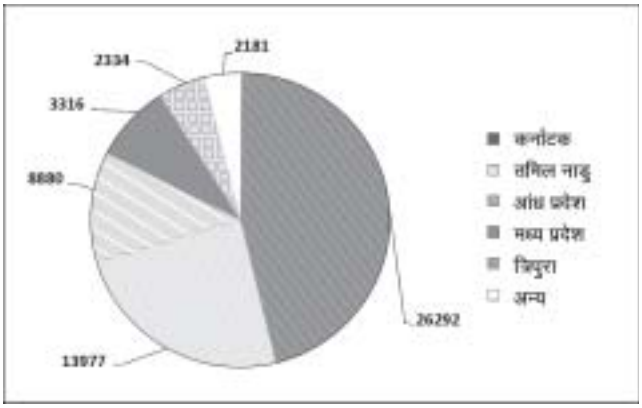

चित्र-4. रारेबीसं द्वारा राज्यवार बहुप्रज बुनियादी बीज वितरण

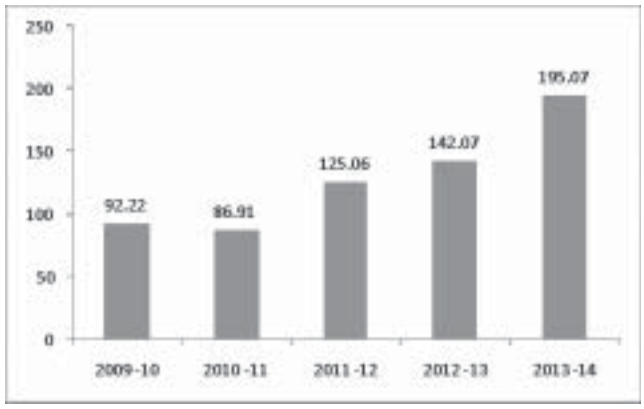

चित्र-5. रारेबीसं के द्विप्रज वाणिज्यिक बीज उत्पादन का तुलनात्मक विवरण

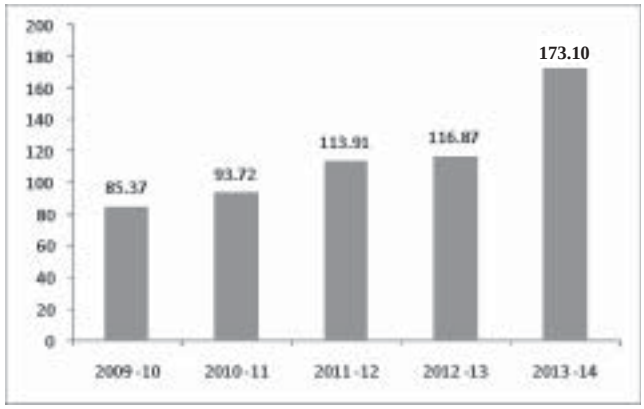

चित्र-6. रारेबीसं द्वारा द्विप्रज वाणिज्यिक बीज वितरण का तुलनात्मक विवरण

गुणवत्ता बीज कोसों का उत्पादन : द्विप्रज संकर नस्ल एवं संकर नस्ल रोमुबीच के उत्पादन के लिए विभिन्न रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों द्वारा अभिग्रहित अधिकतम सफल हुए अंगीकृत बीज कीटपालकों (अंबीकी) और सक्षम बीज कीटपालकों की सहायता से वर्ष के दौरान 799.46 लाख द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया गया। रेबीउके के अलावा, रारेबीसं भी रेशम उत्पादन विभागों, पंजीकृत बीज उत्पादकों (पं बी उ) को मदद किया और पश्चिम बंगाल में स्थित रारेबीसं के रेबीउके और रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने दक्षिण भारत में 57.70 लाख (32.32 लाख-पश्चिम बंगाल एवं 14.73 लाख-उत्तर प्रदेश) द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन कर उन्हें 47.05 लाख बीज कोसों (32.32 लाख-पश्चिम बंगाल व 14.73 लाख-उत्तर प्रदेश) की माँग के प्रति आपूर्ति की, इससे 122.64% उपलब्धि दर्ज की गई।

बीज कोसा क्रय केन्द्र (बीकोक्रके), कुणिगल ने संकर नस्ल बीज चकत्तों को तैयार करने के लिए 93.37 लाख बहुप्रज बीज कोसों का क्रय कर रेबीउके को सहायता किया । रेकोक्रके, डेंकनिकोट्टाई ने शुद्ध मैसूर एवं अन्य प्रजातियों के 36298 पी1 रोमुबीच वितरित किया और 41.13 किग्रा प्रति 100 रोमुबीच के औसत उत्पादन के साथ 82.38 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया । इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों के अंगीकृत बीज कीटपालकों द्वारा कुणिगल से 67.27 लाख बीज कोसों एवं पुंगनूर से 13.90 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में बीज कोसा उत्पादन और गुणवत्ता बीज उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत बीजकीट पालकों द्वारा समर्थित निर्दिष्ट एवं सफल उत्पादन आर्दश को रिकार्ड गुणवत्ता बीज उत्पादन के रूप में पहले ही माना जाता है।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक बीज उत्पादन

अच्छे किस्म एवं उच्च गुणवत्ता की वाणिज्यिक रेशमकीट संकर नस्ल रोमुबीच (द्विप्रज X द्विप्रज और बहुप्रज X द्विप्रज) का उत्पादन करना और किसानों में इसका वितरण करना रारेबीसं का मुख्य कार्य है । तदनुसार, वर्ष 2013-14 में, रारेबीसं ने अपने उन्नीस अं मा सं प्रमाणित रे बी उ के के माध्यम से 325.00 लाख रोमुबीच लक्ष्य के मुकाबले 338.57 लाख से अधिक मात्रा में उत्पादन किया और 104.18% उपलब्धि प्राप्त की । कुल 338.57 लाख रोमुबीच उत्पादन में से 195.07 लाख रोमुबीच द्विप्रज संकर नस्ल के थे (57.62%) (चित्र-5) और संकर नस्ल के बीज चकत्ते 143.50 लाख रोमुबीच (42.38%) थे । 157.00 लाख (124.25% उपलब्धि) लक्ष्य के मुकाबले 195.07 लाख द्विप्रज संकर चकत्तों का उत्पादन किया गया । इसमें 47.40 लाख सीएसआर संकर नस्ल, 127.91 लाख द्विसंकर नस्ल 10.19 लाख पारंपरिक संकर नस्ल और 9.57 लाख नयी संकर नस्ल शामिल है । बहुप्रज X द्विप्रज संकर उत्पादन का प्रमुख हिस्सा पीएम X सीएसआर2 (49.91 लाख) रहा; इसके बाद निस्तरी X द्विप्रज (39.65 लाख) का हिस्सा रहा ।

गुणवत्ता एफ1 रोमुबीच का उत्पादन : बीज गुणवत्ता रारेबीसं के सभी रेबीउके में बनाए रखी गयी है और बीज उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर में अं मा सं की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन किए जाते हैं । दक्षिण क्षेत्र में उत्पादित बहु X द्विप्रज संकर नस्ल की प्रतिप्राप्ति 28% के मानक के मुकाबले 29.39% रही। द्विप्रज संकरों में, 60 ग्रा/किग्रा कोसा के मानक के मुकाबले सीएसआर संकर नस्ल में औसत अंडे उत्पादकता 61.79 ग्रा/किग्रा रही और द्विसंकर नस्ल में 65 ग्रा/किग्रा कोसा के मानक के मुकाबले 61.62 ग्रा/किग्रा कोसा रही ।

वर्ष के दौरान रारेबीसं ने विभिन्न राज्य विभागों और केन्द्रीय रेशम बोर्ड एककों को 173.10 लाख द्विप्रज संकरों की आपूर्ति की ।

विस्तार गतिविधियाँ

रारेबीसं के रेबीउके के वैज्ञानिकों के साथ रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र तथा रेशम उत्पादन सेवा इकाई सहित विस्तार इकाई न केवल रारेबीसं के रेबीउके में उत्पादित वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति करते हैं, बल्कि फ़सल अनुश्रवण के माध्यम से विस्तार समर्थन तथा क्षेत्र में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण में भी अपनी अनिवार्य भूमिका निभाते हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान, 31 रेशम उत्पादन सेवा केन्द्रों एवं 29 रेशम उत्पादन सेवा इकाइयों ने 173.10 लाख रोमुबीच वितरित किए, जिसमें 57.29 लाख द्विप्रज संकर नस्ल रोमुबीच शामिल है। रारेबीसं द्वारा पिछले 5 सालों में वितरित द्विप्रज वाणिज्यिक बीजों का तुलनात्मक विवरण **चित्र-3** में प्रस्तुत है। विशेषाधिकार चॉकी कीटपालन केन्द्रों के द्वारा रोमुबीच के वितरण से असीम लोकप्रियता प्राप्त हुई, क्योंकि ये चॉकी कीटपालन केन्द्र रेबीउके से रोमुबीच खरीद कर एवं चॉकी कीटपालन कर उसे वाणिज्यिक कृषकों को आपूर्ति किए, जिससे कोसा उत्पादकता में सुधार हुआ । 58 विशेषाधिकार चॉकी कीटपालन केन्द्रों ने वर्ष के दौरान 60.07 लाख रोमुबीच वितरित किया।

नयी रेशमकीट संकर नस्लों के प्राधिकरणोत्तर परीक्षण

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्राधिकरणोत्तर परीक्षण कार्यक्रम जारी रखा गया । इसके माध्यम से विभिन्न पहचाने गए द्विप्रज, बहुप्रज X द्विप्रज एवं बहुप्रज X बहुप्रज संयोगों के रोमुबीच का उत्पादन कर आपूर्ति की गई । कार्यक्रम के अनुसार रारेबीसं ने संकर नस्ल के रोमुबीच का उत्पादन किया और संबंधित अनुसंधान संस्थानों से पी1 रोमुबीच की आपूर्ति की गई और इन रोमुबीच का क्षेत्र परीक्षण हेतु किसानों में वितरण करने के लिए समन्वय करने वाले संस्थानों को आपूर्ति की गई । रारेबीसं द्वारा समर्पित बीज कीट पालकों के माध्यम से संबंधित पैतृक संकरों के बीज कोसों का उपयोग करते हुए रेकोक्रके की सहायता से पहचाने गए नए संयोजनों के रोमुबीच का उत्पादन एवं आपूर्ति करने हेतु सभी प्रयास किए गए । 7.29 लाख द्विप्रज X द्विप्रज संयोगों (7) के 13.43 लाख रोमुबीच, बहुप्रज X द्विप्रज संयोगों (5) के 4.45 लाख तथा बहुप्रज X बहुप्रज संयोगों (3) के 1.69 लाख रोगमुक्त बीज चकत्तों को तैयार कर आपूर्ति की गई । रेशमकीट संकर समन्वयकर्त्ता संस्थानों के माध्यम से रेशमकीट संकर नस्ल बीज के आबंटन दक्षिण, उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी भारत के किसानों में किए गए ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

रारेबीसं ने बीज फ़सल कीटपालन, बीज उत्पादन तथा अं मा सं की जानकारी जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन कार्यक्रमों में 270 लक्ष्य के मुकाबले कुल 448 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया । इसके साथ-साथ इस संगठन के 89 कर्मचारियों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रशिक्षित किया गया ।

बीज अधिनियम का कार्यान्वयन

वर्ष 2013-14 के दौरान, रारेबीसं ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने का अपना प्रयास जारी रखा ।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 3645 नये आवेदन-पत्रों की जाँच कर कार्रवाई की गई। इस प्रयोजन हेतु विकसित विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग कर 3673 बहु-रंगी द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) पंजीकरण प्रमाण-पत्र तैयार किए गए । 420 आरएसपी, 123 आरसीआर और 3130 आरएससीपी से संबंधित प्रमाण-पत्रों को मुद्रित कर औसत 26 दिनों के अंदर प्रेषित किया गया । भारत वर्ष के पूरे विभिन्न राज्यों के सभी पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं चॉकी कीटपालकों को संबंधित बीज अधिकारियों और बीज उत्पादकों के साथ जोड़ा गया और बीज विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों को नियमित रूप से अधिसूचित किया गया । पंजीकृत पणधारियों के आँकड़ा आधार को समय-समय पर अद्यतन कर सभी राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को भेजा गया और केरेबो के वेबसाइट में डाला गया । बीज कीट विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं चॉकी कीटपालकों के कार्यालय परिसरों का क्रमश: सुव्यवस्था एवं उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण किया गया । केरेअवप्रसं, मैसूर में चॉकी कीटपालन एवं रेबीप्रौप्र, कोड़ती में बीज उत्पादन के लिए तीन महीने की अवधि के प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । चॉकी कीटपालन में 3 दलों में 37 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया और बीज उत्पादन तकनीकों में 2 दलों में 57 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया । प्रवेशिका (मैट्रिक) उत्तीर्ण व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे बीज अधिनियम के अधीन पंजीकरण के योग्य बनेंगे । केन्द्रीय बीज अधिनियम के संबंध में "बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों" की विस्तृत द्विभाषी पुस्तिका बांग्ला-अंग्रेजी में प्रकाशित की गई ।

प्रकाशन

वर्ष के दौरान, रारेबीसं वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित वैज्ञानिक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए प्रस्तुत/स्वीकृत सभी शोध पत्रों/लोकप्रिय लेखों को शामिल कर कुल 46 लेखों का प्रकाशन किया गया । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दो पुस्तिकाओं को भी प्रकाशित किया गया है :

1. केन्द्रीय बीज अधिनियम विषय पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न बांग्ला-अंग्रेजी (द्विभाषी) में ।
2. रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र-अं मा सं प्रमाणीकरण मैन्युअल ।

द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन पर रारेबीसं का प्रभाव

रारेबीसं 173.10 लाख द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच को प्रत्यक्ष रूप से वितरण कर देश के लगभग 60% द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन और उसका उपयोग वाणिज्य द्विप्रज रेशमकीट बीज उत्पादन के हेतु विभिन्न राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को द्विप्रज मूल बीज की आपूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से कर 40% योगदान किया और द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन के कार्यक्रम में अग्रणी रहा ।

ख. वन्य बीज

उष्णकटिबंधीय तसर - बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बुतरेबीसं विभिन्न राज्यों से कार्यरत उष्णकटिबंधीय तसर के अपने 21 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों (बुबीप्रवप्रके) के स्कंधों और छत्तीसगढ़ के कोटा स्थित केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) से उष्णकटिबंधीय तसर के क्रमबद्ध बीज उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है । केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) विभिन्न रेशमकीट प्रजातियों के जननद्रव्य के रखरखाव करने के अलावा, आगे के प्रगुणन हेतु तसर नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं इनके वितरण बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र को करने के लिए जिम्मेदार है । केतरेबीके, कोटा ने वर्ष के दौरान 29185 तसर नाभिकीय रोमुबीच उत्पादन कर आपूर्ति की है। 9 राज्यों में स्थित इन 21 बुबीप्रवपक्रे के कार्य निष्पादन में लगातार सुधार हो रहा है, जिसने वर्ष 2013-14 के दौरान 37.89 लाख रोमुबीच उत्पादित किया। उत्पादन कार्यनीति में एक परिवर्तन को अपनाया गया है, जिसमें बुतरेबीसं मात्र अपेक्षित संपूर्ण नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करेगा। राज्य बीज उत्पादन इकाइयाँ निजी प्रतिभागिता के साथ उनकी माँग को पूरा करने के लिए मूल बीज का उत्पादन करेंगी।

ओक तसर : 6 राज्यों में स्थित दो क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों, एक ओक तसर बीजागार, तीन अनुसंधान विस्तार केन्द्रों और दो अनुसंधान विस्तार केन्द्र-सह-बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ओक तसर बीज उत्पादन का संचयी उत्पादन 0.55 लाख रोमुबीच रहा ।

मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मूगा बीज विकास परियोजना के अधीन मूगा रेशमकीट बीज संगठन स्थापित किया । इसमें दो पी4, पाँच पी3 मूगा बीज केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र), दस पी2 बीज केन्द्र तथा छह धागाकरण इकाइयाँ (राज्य क्षेत्र) शामिल हैं । राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सृजित अवसंरचना को परियोजना अवधि पूरी होने के पश्चात् आगे के रखरखाव के लिए संबंधित रेशम निदेशालय को सौंप दिया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन सृजित इकाइयों के साथ वर्तमान पुनः गठित मूगा रेशमकीट बीज संगठन के बुनियादी बीज के उत्पादन के दो पी4 इकाइयाँ, छह पी3 इकाइयाँ बुनियादी बीज के उत्पादन हेतु और एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन के लिए है । ग्रीष्म और शीतकाल के मूगा बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कालिम्पोंग (पश्चिम बंगाल) एवं बागेश्वर (उत्तराखंड) में दो मूगा बीज अंचल भी स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, मूगा बुनियादी बीज केन्द्रों का संचयी निष्पादन 3.44 लाख मूगा रोमुबीच रहा । इसके अलावा, कलियाबारी (बोको), असम में स्थित एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र ने 1.56 लाख मूगा रोमुबीच उत्पादित किया है।

एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं)

गुवाहाटी, असम स्थित एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं) ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के अपने एकल एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र और गैर-परम्परागत राज्यों के चार एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों सहित विभिन्न राज्य विभागों को वितरण के लिए 2013-14 के दौरान 3.61 लाख एरी रोमुबीच का उत्पादन कर अच्छा निष्पादन किया।

समन्वय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संगठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) संसद के एक अधिनियम अर्थात् केरेबो अधिनियम 1948 द्वारा गठित, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है । बोर्ड को देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, रेशम उद्योग से संबंधित मामलों में भारत सरकार को आवश्यक सलाह भी देनी है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विविध विकासात्मक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों से परस्पर संबद्ध समर्थन कार्यक्रम के साथ-साथ अनुसंधान व विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया किया जा रहा है ।

केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलूरु में है, जो अनुसंधान व विकास, अग्रणी प्रदर्शनी, चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन तंत्र का रखरखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया में मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रचालन के संबंध में शिक्षा देना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम के संवर्धन संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर संघ सरकार को परामर्श देना।

केंद्रीय रेशम बोर्ड की संगठनात्मक अवसंरचना **अनुबंध-II (क एवं ख)** में दिया गया है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की दिनांक 31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान समूहवार स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे निर्दिष्ट है :

समूह	स्वीकृत	भरे गए	सामान्य	अ.जाति	अ.जजा.	अ.पि.वर्ग	अपाहिज	कुल
क	811	745	512	132	51	47	3	745
ख	1499	1470	955	283	138	76	18	1470
ग	1543	1345	664	398	189	76	18	1345
घ	4	4	-	-	4	-	-	4
योग	3857	3564	2131	813	382	199	39	3564
%			59.79%	22.81%	10.72%	5.58%	1.09%	100%

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के निदेश के अनुसार सीधी भर्ती के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है और पदोन्नति के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का भी अनुपालन कर रहा है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार के समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्व सहभागिता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सभी समूह में सीधी भर्ती के लिए और समूह-ग में पदोन्नति के लिए अपाहिजों के लिए आरक्षण नीति का भी अनुपालन कर रहा है ।

कुल 3564 कर्मचारियों में से, अनुसूचित जाति के 813 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 382 कर्मचारी, अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के 199 तथा 39 अपाहिज कर्मचारी हैं।

सतर्कता

सतर्कता के संबंध में सतर्कता कक्ष को सौंपे गए मुख्य विषय नीचे दिए गए हैं :

(क) भ्रष्टाचार के प्रति मदों एवं संवेदनशील पदों की पहचान करना तथा परिस्थिति की माँग के अनुसार बोर्ड के विभिन्न एककों का आकस्मिक और समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करना ।

(ख) शिकायत/प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन, आकस्मिक व नियमित प्रकार/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जाँच प्रतिवेदन

एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, आदि के कारण उत्पन्न मामलों के आधार पर संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना ।

(ग) शिकायतों और प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति से लेकर, जिसका चरम बिन्दु दण्ड लगाना और बाद में अपराधियों द्वारा दायर किए गए अपील एवं समादेश याचिका के चरण तक, विभिन्न चरणों में कार्रवाई करना ।

कार्य प्रणाली को सरल व कारगर बनाकर निवारक सतर्कता के सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाइयों के संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है और निवारक सतर्कता, निगरानी व खोज हेतु उपाय किए गए हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी के अलावा, विभिन्न अंचलों में स्थित बोर्ड के निदेशकों/प्रभारी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट रूप में सीमांकित करते हुए इकाइयों/संवेदनशील क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है । आकस्मिक निरीक्षण प्रतिवेदन जो समय-समय पर प्राप्त है, की जाँच की जाती है और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसा भी हो, वर्ष 2013-14 के दौरान, ऐसी रिपोर्टों के आधार पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। आँचलिक लेखा-परीक्षा दलों से समर्थित आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध सभी इकाइयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करता रहा है। अनुसंधान संस्थानों/अनुसंधान केन्द्रों के निदेशकों तथा विभिन्न इकाइयों के स्वतंत्र प्रभार रखने वाले वैज्ञानिक-घ स्तर के अधिकारियों को कुछ संवर्ग के अधिकारियों के विषय में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार दिए गए हैं। जब और जैसे प्रत्यक्षत: मामला स्थापित होता है, प्राप्त शिकायतों तथा याचिकाओं की जाँच की जाती है और कार्रवाई की जाती है।

प्रारंभिक जाँच/मौखिक पूछ-ताछ का शीघ्र समापन

प्रारंभिक जाँच, जहाँ कहीं ओदश दिया जाता है, यथशीघ्र की जा रही है तथा प्रारंभिक जाँच अधिकारियों के निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाती है। दिनांक 31.03.2014 को यथाविद्यमान, 18 अनुशासनिक मामले निपटाने हेतु लंबित हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), 1965 के नियम 14 के अधीन अनुशासनिक मुकदमों अर्थात् बड़ी दण्ड कार्यवाही पर कार्रवाई करने के लिए जाँच प्रक्रिया को निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर पूरी करने के लिए अनुदेश देकर बोर्ड के सेवारत और सेवा निवृत्त अधिकारियों को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, पाँच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (सेवा निवृत्त जिला सेशन न्यायाधीश) को जाँच अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए नामित किया गया (अनुशासनिक मामलों की संख्या अधिक होने पर)।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाना

मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार केरेबो मुख्यालय तथा इसकी सभी अधीनस्थ इकाइयों में दिनांक 28.10.2013 और 02.11.2013 के बीच में समुचित रूप से सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

कर्मचारी/जनता की शिकायत निवारण कार्य प्रणाली

वस्त्र मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के स्वतंत्र प्रभार रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड के कर्मचारियों और जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायत अधिकारियों के रूप में नामित करने की आवश्यकता है । वर्ष 2013-14 के दौरान, 70 शिकायत याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष (2012-13) के 17 लंबित शिकायतें समावेश हैं । कुल 87 (70+17) याचिकाओं में से 63 याचिकाओं का वर्ष के दौरान निवारण किया गया । शेष 24 याचिकाओं का निपटान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के महिला कर्मचारियों/महिला फार्म कार्मिकों से प्राप्त कार्य स्थानों में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी शिकायतों के मामले में जाँच अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए बोर्ड के सचिवालय में और संस्थानों के स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है ।

राजभाषा नीति

हिन्दी अनुभाग की वर्ष 2013-14 की उपलब्धियाँ

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2013-14 के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी रहे । सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति बढ़ाने के फलस्वरूप विभिन्न मंचों द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया । केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची ने राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद् की महानगर समन्वय समिति, कोलकाता से दिनांक 10.05.2013 को प्रथम पुरस्कार, राजभाषा संस्थान, दिल्ली से दिनांक 26.04.2013 को कार्यालय दीप पुरस्कार और वर्ष 2012-13 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा तृतीय पुरस्कार दिनांक 07.03.2014 को प्राप्त किया। केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, केरेबो, बेंगलूरु ने वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य के लिए क्षेत्रीय राजभाषा तीसरा पुरस्कार दिनांक 10.02.2014 को प्राप्त किया। केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर, जम्मू व कश्मीर ने वर्ष 2012-13 के लिए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राजभाषा द्वितीय पुरस्कार दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त किया। उप रेशमकीट प्रजनन केन्द्र, कुन्नूर ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऊटी, कुन्नूर से चलशील्ड प्रथम पुरस्कार दिनांक 20.12.2013 को प्राप्त किया और मूगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुवाहाटी से दिनांक 20.12.2013 को प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भण्डारा ने हिन्दी में शोध पत्रों एवं हिन्दी पुस्तक लिखने के लिए माननीय केन्द्रीय कोयला मंत्री से राजभाषा विभूति सम्मान 2013 दिनांक 28.10.2013 को प्राप्त किया । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु के तत्वावधान में आयोजित अंतर कार्यालय तकनीकी लेख प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, बेंगलूरु के डॉ. शशीन्द्रन नायर, वैज्ञानिग-ग को 16.09.2013 को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियम, 1976 का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के अधीन हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी और द्विभाषी में ही दिए गए । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय सहित 106 कार्यालयों को अधिसूचित किए गए और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन हिन्दी में कार्य करने हेतु आदेश/ज्ञापन जारी किया गया ।

हिन्दी प्रशिक्षण

बोर्ड मुख्यालय, बेंगलूरु के 3 आशुलिपिकों और 3 निम्न श्रेणी लिपिकों ने क्रमश: हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की ।

हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 14.03.2014, 17.03.2014 एवं 18.03.2014 को 3 एकदिवसीय पूर्णकालीन हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 13 अधिकारियों और 35 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया । केरेप्रौअसं, बेंगलूरु से 01 कर्मचारी, रारेबीसं, बेंगलूरु से 3 कर्मचारियों और रेबीप्रौप्र एवं रेजैअप्र, कोडती से 2-2 कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना, बेंगलूरु के अधीन कम्प्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

अनुवाद प्रशिक्षण

केरेप्रौअसं, बेंगलूरु के सहायक निदेशक (रा.भा.) और रारेबीसं, बेंगलूरु के एक वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

बैठक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें, जो बोर्ड सचिवालय, अनुसंधान संस्थानों, अन्य मुख्य एवं

अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुश्रवण करती है, दिनांक 24.06.2013, 20.09.2013, 19.12.2013 और 19.03.2014 को संपन्न हुई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अधिकांश अधीनस्थ कार्यालयों में भी हुई ।

हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा

केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन एवं केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु ने दिनांक 02.09.2013 से 13.09.2013 तक संयुक्त रूप से हिन्दी पखवाड़ा मनाया और हिन्दी पखवाड़ा का समापन समारोह दिनांक 17.09.2013 को मनाया एवं हिन्दी वाचन, सुलेख, टिप्पण-आलेखन, तस्वीर क्या बोलती है?, वर्ग पहेली, शब्दावली, स्मृति परीक्षण, मौखिक प्रश्नोत्तरी और हिन्दी गीत, आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की ।

संयुक्त हिन्दी दिवस-2013 के उपलक्ष्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), बेंगलूरु द्वारा दिनांक 11.12.2013 को आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता में श्री दिवाकर वाई भट्ट, सहायक निदेशक (निरी.), केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु और श्री एस.ए. हिप्परगी, वैज्ञानिक-ग, केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने क्रमश: द्वितीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया और श्री एस.पेन्चालय्या, सहायक निदेशक (प्र व ले), रारेबीसं, बेंगलूरु ने टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी संबद्ध/अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाया गया ।

हिन्दी कार्यशाला

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए क्रमश: 28.06.2013, 26.09.2013 एवं 26.12.2013 को तीन एक दिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला-सह-कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिनांक 14.03.2014, 17.03.2014 एवं 18.03.2014 को आयोजित की गई । बोर्ड की अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई ।

सॉफ्टवेयर एवं उसका उपयोग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेश के अनुपालन में केरेबो और इसके मुख्य संस्थानों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। केरेबो और इसकी इकाइयों में 'लीप ऑफिस 2000' सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इसकी लेखा इकाइयों में द्विभाषी वेतन पर्ची तैयार करने के लिए बैंक स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है ।

निरीक्षण

केरेबो प्रधान कार्यालय एवं इसके मुख्य संस्थानों/ इकाइयों द्वारा बोर्ड के 79 संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किया गया ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), अनुसंधान विस्तार केन्द्र, हल्द्वानी (उत्तराखंड) और बोर्ड मुख्यालय, बेंगलूरु का राजभाषा निरीक्षण क्रमश: 15.04.2013, 17.06.2013 और 05.07.2013 को किया गया ।

अनुवाद

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय के हिन्दी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट 2012-13, वार्षिक लेखा व लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, 2012-13, मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति हेतु मसौदा टिप्पणी, भारतीय रेशम उद्योग के निष्पादन और केरेबो के कार्यकलाप पर टिप्पणी, केरेबो के रेशम उत्पादन क्षेत्र का प्रशिक्षण पत्रा 2012-13, वर्ष 2012-13 के लिए केरेबो के कार्य की समीक्षा, संसदीय अजा/अजजा कल्याण समिति द्वारा केरेबो-मैसूरु के अपने निरीक्षण पर उठाए गए मदों की सूची का मदवार उत्तर, संसदीय आकलन समिति की अध्ययन सामग्री और भारतीय वन्य रेशम-एक उपयोक्ता पुस्तिका खंड-4 का हिन्दी में अनुवाद किया गया।

प्रकाशन

गृह पत्रिका "रेशम भारती" संघ की राजभाषा नीति के संवर्धन के लिए समर्पित है। केन्द्रीय कार्यालय

ने इसका जून, 2012 अंक प्रकाशित किया। केरेअवप्रसं, मैसूरु ने अर्द्ध वार्षिक पत्रिका "रेशम किरण" का जून, 2013 अंक प्रकाशित किया। केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची ने "रेशम वाणी" पत्रिका का दिसंबर, 2012 अंक प्रकाशित किया। केन्द्रीय कार्यालय ने वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा व लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को द्विभाषी में प्रकाशित करना जारी रखा और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के रेशम उत्पादन क्षेत्र के प्रशिक्षण पत्रा 2013-14 को द्विभाषी में कर वेबसाइट में डाला गया। केतअवप्रसं, राँची ने वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन द्विभाषी में, अर्जुन एवं असन के मुख्य पर्ण रोग, उनकी रोकथाम एवं विभिन्न गतिविधियों का पत्रा, अधिक कोसा उत्पादन के लिए चॉकी बगीचा और गॉल कीट नियंत्रण हेतु एकीकृत पीड़क प्रबंधन पुस्तक / विवरणिका हिन्दी में प्रकाशित किया। मूरेबीसं, गुवाहाटी ने भी वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन द्विभाषी में प्रकाशित किया और केरेअवप्रसं, मैसूरु ने प्रशिक्षण पत्रा 2012-13 को द्विभाषी में प्रकाशित किया।

चलशील्ड पुरस्कार

बोर्ड सचिवालय एवं इसकी संबद्ध इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मूल्यांकन वर्ष 1993-94 से राजभाषा चलशील्ड योजना 05.06.1995 को प्रारंभ किया, जिसमें वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार दिया जाता है । इसका पुरस्कार समारोह 20.09.2013 को आयोजित किया गया । वर्ष 2011-12 के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मूगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर, आँचलिक कार्यालय-प्रदर्शन व तकनीकी सेवा केन्द्र, बिलासपुर और बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र, नवरंगपुर, ओडिशा रहे । बोर्ड सचिवालय के अनुभागों के लिए अलग चलशील्ड का भी प्रावधान किया गया है । बोर्ड सचिवालय के अनुभागों में वर्ष 2011-12 का चलशील्ड बिल अनुभाग ने प्राप्त किया । केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, बरहमपुर और केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने भी प्रमुख संस्थान और अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा चलशील्ड योजना आरंभ की है । केरेबो ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार जिन समूह-घ के कर्मचारियों को समूह-ग में रखा गया है, के लिए हिन्दी प्रबोध प्रशिक्षण कार्यान्वित किया है ।

प्रतियोगिता

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु के तत्वावधान में संयुक्त हिन्दी दिवस-2013 के अवसर पर 31.10.2013 को नगर स्तर पर "आशु भाषण" प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बेंगलूरु स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा सांविधिक निकायों के उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

लोक सूचना कक्ष (लो सू क) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

जन सामान्य को सूचना देने के लिए अपने मुख्यालय और इकाइयों में 40 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और 215 सहायक लोक सूचना अधिकारी को पदनामित किया गया है । 17 मैन्युअलों/रिपोर्टों को अद्यतन कर इसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वेबसाइट www.csb.gov.in में डाला गया । लोक सूचना कक्ष जन सामान्य से प्रश्न प्राप्त कर उनके उत्तर देता है । 180 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और 31 मार्च, 2014 तक 167 का निपटान किया गया । केरेबो ने सूचना का अधिकार के प्रावधान पर वर्ष के दौरान 26 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/ सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। लोक सूचना कक्ष किसान कॉल सेन्टर (नि:शुल्क संख्या 1551) से भी एकीकृत है। भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के इस "किसान कॉल सेन्टर" नेटवर्क का स्तर-II के विशेषज्ञ के रूप में चयन किया है।

यह "लोक सूचना कक्ष" केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सेवा और क्रियाकलापों पर सूचना जन सामान्य और पणधारियों में प्रसारित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत लोक इन्टरफेस की सुविधा प्रदान करता है । यह "लोक सूचना कक्ष" संगठन के मुख्य क्रियाकलापों (इसकी संगठनात्मक संरचना, रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग की प्रौद्योगिक प्रगति, रेशम वस्तुओं के मूल्य, रेशम उत्पादन आँकड़ा, रेशम

निर्यात एवं आयात सांख्यिकी, बोर्ड द्वारा सीधे या रेशम उत्पादन विभाग, गैससं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/ परियोजनाओं, प्रदत्त सेवाएँ, केरेबो की विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण, बिक्री के लिए उपलब्ध साहित्य, आवधिक प्रकाशन, पुस्तकें, रेशम उत्पादन फ़िल्म, कृषकों, धागाकारों, बुनकरों, गैससं, गुणवत्ता क्लबों को गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, बीज की आपूर्ति आदि पर बोर्ड द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ) पर सूचना प्रदान करती है। लोक सूचना कक्ष पुस्तिका, विवरणिका, पर्ची, डिस्प्ले बोर्ड और कम्प्यूटर, आदि जैसी मुद्रित सामग्री से लैस है ।

प्रचार कार्यक्रम

प्रकाशन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रचार अनुभाग ने निम्नलिखित प्रकाशन किया है :

वन्य - भारतीय वन्य रेशम

प्रचार अनुाभाग ने **वन्य - भारतीय वन्य रेशम - प्रयोक्ता का सार-संग्रह (खण्ड-IV)** का भी प्रकाशन किया है, जो भारतीय वन्य रेशम के गैर-फार्म गतिविधियों का प्रचार करती है । यह 210 पृष्ठों का बहु रंगी प्रकाशन गैर-फार्म गतिविधियों अर्थात् तसर रेशम धागाकरण इकाइयों, मूगा रेशम धागाकरण इकाइयों, एरी कताई इकाइयों, वन्य रेशम ऐंठन, बुनाई, रँगाई, छपाई, परिष्करण इकाइयों और वन्य रेशम बुनाई इकाइयों की स्थापना की विस्तृत जानकारी देता है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष, 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन माह अक्टूबर, 2013 के दौरान किया गया। केरेबो के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन केरेबो और इसकी अधीनस्थ इकाइयों की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना देने के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह प्रकाशन केरेबो और विभिन्न राज्यों के रेशम विभागों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है ।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम मैन्युअल -12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17

प्रचार अनुभाग ने उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम कक्ष के सहयोग से बोर्ड के 2 प्रकाशन अर्थात् (i) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम मैन्युअल (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) एवं (ii) यूनिट लागत पुस्तक-उ वि का-12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का भी प्रकाशन किया । ये प्रकाशन उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (2012-17) और यूनिट लागत के अधीन रेशम उत्पादन एवं रेशम क्षेत्र से संबंधित 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके उद्देश्य और दृष्टिकोण की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ।

रेशम भारती

प्रचार अनुभाग ने हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु के सहयोग से केरेबो में राजभाषा के लिए समर्पित अर्धवार्षिक **गृह पत्रिका** का प्रकाशन किया है।

रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग सांख्यिकी 2012

प्रचार अनुभाग ने सांख्यिकी अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु के सहयोग से **"रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग सांख्यिकी 2012"** प्रकाशित किया है । यह प्रकाशन रेशम उत्पादन, कोसा एवं कच्चा रेशम के मूल्यों की विस्तृत आँकड़े संबंधी जानकारी प्रदान करता है । यह 10वीं योजना (2006-07) और 11वीं योजना (2007-08 से 2011-12 तक) के अंतिम वर्ष के रेशम वस्त्रों के निर्यात एवं आयात संबंधी ब्योरा भी प्रदान करता है ।

रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी पुस्तिका

प्रचार अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु ने बोर्ड के प्रकाशन "रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी पुस्तिका" का अँगरेजी, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में प्रकाशित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है ।

प्रेस एवं मीडिया संबंध

प्रचार अनुभाग ने केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा दिए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् बहुछोरीय धागाकरण/ स्वचालित रेशम धागाकरण और रेशम, आदि के अनुरक्षण के लिए रसायन परीक्षण करने की पद्धतियों को अपनाकर रेशम ऐंठन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता कच्चा रेशम उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हुए छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अनेक प्रेस टिप्पणी जारी किया है। प्रचार अनुभाग ने रेशम क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रगति को शामिल कर समय-समय पर प्रेस टिप्पणी जारी किया है। उपर्युक्त विषयों के अलावा, पत्रकार व माध्यम के प्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए माननीय केन्द्रीय वस्त्र मंत्री, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को सुविधा प्रदान करने के लिए पत्रकार सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया । छपाई और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने पत्रकार सम्मेलनों को व्यापक रूप से शामिल किया ।

प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलाओं में सहभागिता

प्रचार अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु ने केरेअवप्रसं, बरहमपुर के सहयोग से रामकृष्ण मिशन, विद्या मंदिर ग्राम, बेलूर मठ, हाबड़ा, पश्चिम बंगल में 21 से 25 सितम्बर, 2013 को संपन्न केन्द्रीय कोलकाता युवा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन के 17वीं राष्ट्रीय प्रदर्शन में भाग लिया। **केरेबो ने उक्त प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी मंडप पुरस्कार प्राप्त किया।** इसके अतिरिक्त, प्रचार अनुभाग ने केरेअवप्रसं, मैसूरु में 28 जनवरी, 2014 को संपन्न कृषि मेला में एक स्टॉल रखा था ।

श्रव्य-दृश्य माध्यम से प्रचार

प्रचार अनुभाग ने छपाई व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापन सामग्री तैयार करने के लिए डी ए वी पी से संपर्क किया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए श्रव्य-दृश्य प्रचार सामग्री तैयार करने का कार्य सौंपने के लिए सूचीबद्ध सृजनात्मक अभिकरणों का ब्योरा देने के लिए डी ए वी पी से अनुरोध किया है एवं विज्ञापन सामग्री के प्रकाशन हेतु 11 विषयों का चयन किया गया । माह जुलाई-अगस्त, 2014 के दौरान छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान अभियान संचालित करना प्रस्तावित है ।

इंडियन सिल्क

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारतवर्ष के रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के प्रति समर्पित मासिक द्विभाषी औद्योगिक पत्रिका-**इंडियन सिल्क** का प्रकाशन जारी रखा । वर्तमान में, इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 52 वें वर्ष में है। इस अवधि के दौरान, इसके पाठकों के लाभार्थ इसकी विषय-वस्तु को समृद्ध करने के नियमित प्रयास किए गए।

वर्ष के दौरान, **इंडियन सिल्क** ने निम्नलिखित का भी प्रकाशन किया :

क. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धियों एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रस्तावों और प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों के मुख्यांश और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उ वि का) पर राष्ट्रीय कार्यशाला को भी शामिल कर विशेष अंक प्रकाशित किया गया ।

ख. इस अवधि के दौरान, इंडियन सिल्क पत्रिका में नियमित लेख/जानकारी के अतिरिक्त बेंगलूरु में भारतीय रेशम आयोग कार्यालय स्थापित करने का अनावरण, नई दिल्ली में रेशम उत्पादन सम्मेलन आयोजित करने जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विशेष विवरण दिया गया ।

ग. समिश्रित वस्त्र, आदि की प्रक्रिया, विकास की शृंखला के अतिरिक्त, मई-जून के दौरान भृंगों के प्रकोप, रेशम उत्पादन के लिए सॉफ्टवेयर उपकरण का विकास, चॉकी कीटपालन में नई प्रौद्योगिकी जैसे मामलों पर समय संगत लेख प्रकाशित किया ।

घ. देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रदेशों के रेशम उत्पादकों, धागाकारों, बुनकरों, विन्यासकारों एवं उत्तर-पूर्व के गै स सं की उपलब्धियों एवं सरकारी योजनाओं की विशिष्टताओं को उल्लिखित करते हुए सफलता की कहानियों का प्रकाशन किया । आयुक्त, रेशम उत्पादन विभाग, तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु में द्विप्रज रेशम उत्पादन को लोकप्रिय बनाने में समूह संवर्धन कार्यक्रम के प्रभाव पर विशेष लेख प्रकाशित किया गया ।

ङ. चयनित राज्यों में रेशम उत्पादन की स्थिति की विशिष्टताएँ प्रकाशित किया ।

च. केरेबो एवं रेशम सारांश के अधीन, केन्द्रीय वस्त्र मंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों एवं सांसदों/विधायकों, मुख्य सचिव (उद्योग), बिहार, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय जैसे गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के रेशम उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन को भी छापा गया ।

छ. पत्रिका को अधिक सूचनात्मक एवं सचित्रात्मक करने के प्रयास जारी रखे गए। 'यह अंक उस वर्ष' और 'क्या आप जानते हैं?' जैसे नए स्तंभ प्रारंभ किए गए । इसी प्रकार अनुसंधान सारांश, अनुसंधान समाचार, व्यापार पूछताछ एवं मेला पत्रा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, केरेबो समाचार और भारेमासं के समाचार, आदि जैसे अन्य लोकप्रिय कॉलम जारी रखे गए ।

ज. पत्रिका के आवरण पृष्ठ एवं विषय-वस्तु को अधिक प्रासंगिक एवं उसके प्रस्तुतीकरण को अधिक सृजनात्मक बनाया गया है ।

झ. इंडियन सिल्क पत्रिका की आपूर्ति उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अधीन केरेबो के विस्तार कार्मिकों एवं राज्य रेशम उत्पादन विभागों को की जा रही है, जो नियमित आधार पर प्रौद्योगिकी एवं योजनाओं पर जानकारी का प्रसार करने में उपयोगी साबित हुआ । पाठकों से प्राप्त पुनर्निवेशन बहुत सराहनीय है ।

➢ 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उ वि का) पर दो पुस्तिकाओं के संप्रत्ययीकरण, संपादन, रूपांकन एवं विन्यास तैयार करने के कार्य में भाग लिया, जिससे अधिक प्रशंसा प्राप्त हुई । नवीन प्रकार के दमक-तंत्र आधारित सी डी को भी तैयार किया गया, जिससे जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके और इसे केरेबो वेबसाइट पर डाला जा सके ।

➢ कोसोत्तर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परीक्षण पर कार्यदल की रिपोर्ट के प्रकाशन में समन्वय किया ।

➢ उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी के अभिमुखीकरण, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की परियोजना रिपोर्ट की पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों का विन्यास किया और अभिमुखीकरण पुस्तिकाओं के प्रकाशन में मदद किया ।

➢ छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में केरेबो विज्ञापन अभियान के लिए सामग्री तैयार करने में योगदान दिया ।

➢ रेशम उत्पादन निदेशालय, कर्नाटक सरकार के शताब्दी समारोह की बैठक में भाग लिया और उपयोगी सुझाव दिया । कर्नाटक रेशम औद्योगिक निगम के ड्राफ्ट काफी टेबल बुक "यार्ड्स ऑफ हेरिटेज" के लिए विशेषज्ञों की टिप्पणी भी दी गई ।

➢ इंडियन सिल्क चयनित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सार सेवाओं की सूची में सूचीबद्ध किया जाना जारी रखा, जो देश एवं विदेश दोनों में पत्रिका को अधिक प्रचार सुनिश्चित करता है ।

➢ इसके अतिरिक्त, इंडियन सिल्क इकाई आगंतुकों के लाभ हेतु पत्रिका, इसकी विषय-वस्तु, ग्राहक एवं विज्ञापन के बारे में केरेबो के वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा ।

➢ इंडियन सिल्क इकाई ने राजभाषा कार्यान्वयन नीति मानकों का 100% अनुपालन करते हुए लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से अपने अनुभाग में अनुवाद एवं टंकण करते हुए सब मिलाकर टिप्पणी के अलावा हिन्दी/द्विभाषी में सभी पत्राचार किया । वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्रीय कार्यालय के अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लिए 20.09.2013 को प्रशस्ति-पत्र प्राप्त किया ।

1. लदान पूर्व निरीक्षण

(क) केरेबो द्वारा निर्यात के प्राकृतिक रेशम मालों के अनिवार्य रूप से लदान पूर्व किए जाने वाले निरीक्षण

को वस्त्र मंत्रालय के निदेशानुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2000 से हटा दिया है । फिर भी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्राकृतिक रेशम माल का निरीक्षण प्राधिकारी बना रहना जारी रखा है । फिरभी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार के भुगतान पर स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। रेशम मालों के निरीक्षण और निर्यातकों की स्व:घोषणा पर जी एस पी सहित विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्र भी जारी किए जाते हैं ।

(ख) निर्यात के निमित्त रेशम अपशिष्ट निरीक्षण एवं प्रमाणन भी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का एक भाग है ।

(ग) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उनके पत्र, सं. एफ एन 120111093-रेशम दिनांक 07 अक्टूबर 1999 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार 100% रेशम पाइल कालीन निरीक्षण को 07.10.1999 से निलंबित किया गया है । फिर भी, निर्यातकों या आयातकों द्वारा केरेबो से अनुरोध किए जाने पर निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में केरेबो इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से क़ालीन का निरीक्षण कर रहा है । 100% प्राकृतिक रेशम पाइल क़ालीनों पर '100% प्राकृतिक रेशम पाइल कालीन' लेबुल लगाया जाता है । विदेशी उपभोक्ताओं में यह मार्का (ब्रांड) अच्छी तरह स्थान बना चुका है ।

(घ) वर्ष 2013-14 के दौरान, स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत केरेबो प्रमाणन केन्द्रों द्वारा निर्यात के लिए प्रमाणित प्राकृतिक रेशम/सम्मिश्रित रेशम माल 389.305 करोड़ रुपये मूल्य का 43.072 लाख वर्ग मीटर रहा । निर्यात संवर्धन अनुभाग द्वारा जी एस पी, हथकरघा प्रमाण-पत्र, हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र और मूल प्रमाण-पत्र, आदि जैसे विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्रों को जारी किया गया है । स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत निरीक्षण प्रभार, खाली प्रपत्रों की बिक्री और जी एस पी, मूल प्रमाण-पत्र, हथकरघा प्रमाण-पत्र एवं हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र, आदि जैसे प्रमाण-पत्रों को जारी करने के प्रति 23,49,290/- रु. का राजस्व अर्जित किया गया है ।

2. विविध शुल्क प्रमाण-पत्र जारी करना

(क) इग्जिम नीति एवं द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत अपने देश में प्राकृतिक रेशम/सम्मिश्रित रेशम उत्पादों के आयात के लिए शुल्क मुक्त या रियायती शुल्क पर विदेशी आयातकों को उपलब्ध करने के लिए माल के निरीक्षण करने के बाद बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के भुगतान पर रेशम मालों के निरीक्षण तथा निर्यात हेतु प्रमाणित एवं निर्यातकों की स्व:घोषणा पर विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्र यथा; ई ई सी को हथकरघा प्रमाण-पत्र, ई ई सी को हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया को हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र, स्विट्जरलैण्ड को शुल्क प्रमाण-पत्र, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, युगोस्लाविया, आदि को मूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य मूल विशेष प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ।

(ख) ई ई सी देशों द्वारा प्रदत्त आयात गंतव्य स्थान पर सीमा-शुल्क रियायत के लिए हथकरघा वस्त्र भी विशेषाधिकार प्राप्त है ।

3. परीक्षण सुविधा

बोर्ड के प्रमाणन केन्द्रों से संबद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा रेशम गुणवत्ता, भौतिक/रसायनिक लक्षणों और अन्य प्राचलों की जाँच के लिए परीक्षण और रेशम के नमूना प्रतिदर्श का विश्लेषण, संघटक तंतु की पहचान और उसके प्रतिशत के विश्लेषण की सेवा प्रदान की जाती है ।

सीमा-शुल्क विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, रेशम निदेशालय एवं अन्य वस्त्र संस्थानों एवं संस्थाओं के साथ-साथ निजी फार्मों और व्यक्तियों जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा जब और जैसे अनुरोध किया गया, उत्पादों में संघटक सूत एवं रेशम अंश की प्रतिशतता को पता लगाने में तकनीकी सहायता प्रदान की ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत प्रमाणित केन्द्रवार रेशम/सम्मिश्रित रेशम माल का ब्योरा **तालिका-1** में दिया गया है ।

वर्ष 2013-14 में विभिन्न संस्थानों एवं निर्यात समुदायों को प्रदत्त सेवा से अर्जित राजस्व का ब्योरा **तालिका-2** में दिया गया है ।

तालिका-1

वर्ष 2013-14 के दौरान स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अधीन प्रमाणित केन्द्रवार प्राकृतिक रेशम माल।

प्रमाणन केन्द्र	2013-14	
	मात्रा (लाख वर्ग मीटर में)	मूल्य रु. करोड़ में
मुम्बई	5.213	53.677
बेंगलूरु	29.055	147.781
नई दिल्ली	3.542	108.690
कोलकाता	4.269	33.664
चेन्नई	0.599	9.141
वाराणसी	0.206	6.311
श्रीनगर	0.188	27.763
हैदराबाद	0	2.278
भागलपुर	0	0
कुल योग	**43.072**	**389.305**

वर्ष के दौरान, भारतवर्ष से 7164 किग्रा एवं 3,28,34034/- रु. मूल्य का रेशम सूत निर्यात किया गया और 131031 किग्रा तथा 8,80,96485/- रु. मूल्य का रेशम अपशिष्ट निर्यात किया गया ।

तालिका-2

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न संस्थाओं एवं निर्यात समुदाय को प्रदत्त सेवा से अर्जित राजस्व।

प्रमाणन केन्द्र	2013-14
	रुपये
मुम्बई	252600
बेंगलूरु	1340240
नई दिल्ली	363100
कोलकाता	262350
चेन्नई	58550
वाराणसी	17600
श्रीनगर	51350
हैदराबाद	3500
भागलपुर	0
कुल योग	**रु. 23,49,290**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे का) राज्यों एवं उनके रेशम उत्पादन विभागों और इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखते हैं । वे संबंधित राज्यों में विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों के लिए रेशम उत्पादन निदेशालयों/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन अभिकरणों से समन्वय करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, जम्मू और पटना में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जा रहे अन्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :

- विभिन्न विकासात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय रेशम उत्पादन समन्वय समिति (रा स्त रे स स) का सदस्य संयोजक ।
- प्रदर्शनी, कृषकों की बैठकें एवं उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करना ।
- रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित आँकड़े इकट्ठा करना, विश्लेषण करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली आँकड़ा आधार में अनुरक्षित करने हेतु केन्द्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना ।
- रेशम उत्पादकों की उत्पादकता अर्थव्यवस्था पर चयनित क्षेत्रों में आधारभूत सर्वेक्षण करना ।
- प्रयोगशाला से क्षेत्र कार्यक्रम तक राज्य में अंतराल का पता लगाना तथा केन्द्रीय कार्यालय को योजना/सुझाव प्रस्तावित करना ।
- क्षेत्र परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन के विषय में अपने कार्यक्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के साथ समन्वय करना ।
- विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों (गै स सं) तथा अन्य स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे रेशम उत्पादन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।
- राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की व्यवस्था करना ।

- केन्द्रीय कार्यालय के निदेशों के अनुसार प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं और अन्य प्रचार कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- निर्यात के निमित्त रेशम मालों की गुणवत्ता का स्वैच्छिक निरीक्षण करना ।
- केन्द्रीय प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में राज्यों को सहायता करना ।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आम जनता को सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना कार्यालयों/सहायक लोक सूचना कार्यालयों के रूप में कार्य करना ।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन (भा रे मा सं) द्वारा 'रेशम मार्क' प्रभाग का कार्यान्वयन/निष्पादन का समन्वय करना ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ एवं कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को आँचलिक कार्यालय के रूप में पदनामित किया गया है।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विशेष कार्य

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम लाभार्थी मूल्यांकन का नियमित अनुश्रवण करने और इसकी रिपोर्ट केरेबो/राज्य स्तरीय रेशम समन्वय समिति को देने के अलावा, समूह संवर्धन कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने में राज्य विभागों और अनुसंधान विस्तार केन्द्रों की सहायता करना ।

स्थायी आमंत्रित के रूप में अनुसंधान सलाहकार समिति (अ स स)/क्षेत्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति (क्षे अ स स)/आँचलिक कोसोत्तर समिति (आँ को स) की बैठक में भाग लेना ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में रेशम उत्पादन निदेशालय/केरेबो का सहयोग करना और रेशम उत्पादन विकास से संबंधित मामलों का निराकरण करने के लिए परियोजना अनुश्रवण समिति एवं क्षेत्र स्तरीय लाभार्थी बैठक जैसे उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम से संबंधित बैठकों में भाग लेना ।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने एवं उसके प्रभाव की रिपोर्ट देने के लिए संबंधित राज्यों के द्वारा कार्यान्वित समूह विकास कार्यक्रम के अधीन योजनाओं का मूल्यांकन करना ।

कार्यान्वयन पद्धतियों पर प्रत्यक्ष जानकारी एवं पूरा ज्ञान रखने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के घटकों एवं इसके संघटकों से कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों एवं पणधारियों को अंतिम रूप देने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक सभी 5 रेशम-अंचलों में राष्ट्रीय/आँचलिक/कार्यशालाओं का आयोजन किया, इसके बाद राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया ।

12वीं योजना के दौरान शामिल लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रेशम उत्पादन के लिए अन्य राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं से निधि का समन्वय कार्यक्रम का सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वयन करने के महत्त्व पर कार्यशाला आयोजित की गई । आसानी से समझने एवं कार्यान्वयन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम पुस्तिका एवं इकाई लागत पुस्तकें मुद्रित कर राज्यों एवं अभिकणों/पणधारियों को दिया गया ।

विपणन विकास

तसर और मूगा कच्चा माल बैंक (क मा बैं)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन 'न लाभ न हानि' के आधार पर प्राथमिक उत्पादकों को सहायता करने एवं एक समान मूल्य पर कोसे की आपूर्ति करने तथा बिचौलियों के शोषण से कीटपालकों के हित की रक्षा करने के लिए भी कोसों और उपोत्पादन हेतु कच्चे रेशम बैंकों (क मा बैं) की स्थापना की है । वे उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन, कोसों और कच्चे रेशम के बाज़ार मूल्य में व्यापक उतार-चढ़ाव से लाभार्थियों को राहत और एक-समान मूल्य पर रेशम सामग्री को वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं एवं निर्माता निर्यातकों को वास्तविक कच्चे रेशम मालों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

चार उप-डिपो सहित चाईबासा (झारखंड) स्थित तसर कच्चा माल बैंक और 3 उप-डिपो सहित शिवसागर (असम) स्थित मूगा कच्चा माल बैंक प्राथमिक तसर एवं मूगा कोसा उत्पादकों को किफ़ायती तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं । कच्चा माल बैंकों द्वारा वर्ष, 2013-14 के दौरान किए गए तसर एवं मूगा कोसों के क्रय एवं विक्रय के ब्योरे नीचे तालिका में दिए गए हैं :

(मात्रक : मात्रा लाख सं.में एवं मूल्य रुपया लाख में)

क्षेत्र	वर्ष	क्रय		विक्रय	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तसर	2013-14	248.65	267.30	240.78	232.50
मूगा	2013-14	6.47	10.11	6.47	10.49

अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग तथा अन्य देशों / संगठनों के साथ संबंध

केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (अं रे आ), बेंगलूरु के साथ काम करना जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन कार्यालय को लियोन (फ्रांस) से बेंगलूरु, भारत स्थानांतरित करने और स्थापित करने से रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के अनेक अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों एवं प्रख्यात संस्थानों के साथ काम करने से केरेबो को पर्याप्त लाभ मिला है। इसके परिणामस्वरूप, बुलगेरिया, ब्राज़ील, उजबेकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, आस्ट्रेलिया, मयन्मार और रोमानिया जैसे देशों में संस्थानों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई है। सार्क, आई टी सी, युनिडो, इसकैप एवं एफएओ, आदि अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों से स्रोत सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष कार्रवाई की गई है।

केरेबो के प्रतिनिधियों / अधिकारियों का अन्य देशों का दौरा

(क) डॉ. सुबाष वी. नायक, वैज्ञानिक-घ, केरेप्रौअसं, डॉ. के. सत्यनारायण, वैज्ञानिक-घ, केरेबो और डॉ. के. मंदिरा मूर्ति, वैज्ञानिक-घ, केरेअवप्रसं, मैसूरु को शामिल कर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल "बिल्डिंग वल्यू चेइन्स इन सेरिकल्चर" विषय के साथ पडुआ, इटली में 7 से 12 अप्रैल, 2013 तक बी ए सी एस ए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुआ ।

(ख) डॉ. बी. शरत्चन्द्र, निदेशक, केरेबो, बेंगलूरु को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्त पोषित रेशम उत्पादन परियोजना के लिए परामर्श सेवा करने के लिए जून/जुलाई, 2013 के दौरान 12 दिनों के लिए रवांडा प्रतिनियुक्त किया गया ।

(ग) डॉ.बी.बी. बिन्द्रू, निदेशक, केरेअवप्रसं, मैसूरु को भारत एवं रोमानिया के बीच संयुक्त वस्त्र कार्यकारी दल बैठक में उपस्थित होने के लिए 19 से 22 जून, 2013 तक बुखारेस्ट, रोमारिया का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

(घ) डॉ.बी.एस. अंगड़ी, निदेशक, रारेबीसं, बेंगलूरु को भारत एवं ब्राजील दोनों देशों के लाभ के लिए भारतवर्ष की सहायता से रेशमकीट नस्लों को विकसित करने के लिए इस्टाड्यूल डे मारिंगा विश्वविद्यालय, ब्राजील के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए 18 से 21 नवम्बर, 2013 तक ब्राजील दौरा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

(ङ) डॉ. प्रियरंजन,वैज्ञानिक-घ एवं श्री दिवाकर वाई भट्ट, सहायक निदेशक (निरी.), केरेबो, बेंगलूरु को शामिल कर दो सदस्यीय केरेबो प्रतिनिधि को रेशम क्षेत्र के क्षेत्र में मयन्मार और भारत के बीच में सहयोग करने के विशेष क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं अंतिम रूप देने के लिए 12 से 14 फरवरी, 2014 तक मयन्मार दौरा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

श्री रंजीत भट्टाचार्जी, संयुक्त सचिव (तक.), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को भारत एवं बांग्लादेश के बीच में वस्त्र एवं जूट के क्षेत्र की संयुक्त कार्यकारी समिति में उपस्थित होने के लिए वस्त्र मंत्रालय प्रतिनिधि सदस्य के रू प में दिनांक 27.02.2014 को ढाका, बांग्लादेश दौरा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

• गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता निर्धारण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के प्रति उपयुक्त उपाय प्रारंभ करना है । इस योजना के अंतर्गत दो घटक नामत: कोसा परीक्षण इकाई एवं कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र तथा रेशम मार्क के संवर्धन का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

क. कोसा एवं कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्रों की स्थापना

कोसों की गुणवत्ता का प्रभाव धागाकरण के दौरान इसके निष्पादन एवं उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता पर पड़ता है । कोसा परीक्षण को सरल बनाने के लिए उविका के अंतर्गत सहायता लेते हुए विभिन्न कोसा बाजारों में कोसा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है । XII वीं योजना के दौरान 35 कोसा परीक्षण इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है। वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के अंतर्गत 12 (बारह) कोसा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता का प्रभाव वस्त्र एवं गार्मेन्ट तथा बने बनाये वस्त्र आदि के साथ तैयार उत्पादों पर पड़ता है । XIIवीं योजना के दौरान 15 कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है । बाज़ार में उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए तथा पणधारियों के बीच गुणवत्ता जागरुकता पैदा करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 4 (चार) कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

ख. भारतीय रेशम मार्क संगठन (भा रे मा सं)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार जून 2004 के दौरान "रेशम मार्क" योजना को प्रारंभ करते हुए रेशम मूल्य श्रृंखला के उपभोक्ताओं एवं अन्य पणधारियों के हितों की रक्षा के लिए एक पहल की है। रेशम मार्क, गुणवत्ता आश्वासन लेबुल है जो यह बताता है कि उत्पाद जिसमें लेबुल लगाया गया है वह शुद्ध रेशम से बनाया गया है । इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं) द्वारा किया जा रहा है जो, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संवर्धित एक पंजीकृत सोसाइटी है। रेशम मार्क लेबुल सूत, वस्त्र, साड़ी, बने बनाये वस्त्र, गार्मेन्ट, कालीन आदि के साथ रेशम के प्राथमिक, माध्यमिक एवं तैयार उत्पादों में लगाया जा सकता है।

रेशम मार्क योजना का उद्देश्य रेशम के उपभोक्ताओं एवं पारखी लोगों के हितों की रक्षा तथा रेशम के प्रजातिगत उन्नयन एवं भारतीय रेशम के ब्रांड में समानता लाना है।

रेशम मार्क, अपने प्रचालन के पिछले दस वर्ष के दौरान बेंगलूरु, चेन्नई, पालक्काड, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, मुम्बई, श्रीनगर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर आदि के साथ-ही-साथ पूरे देश के कई अन्य रेशम बुनाई एवं निर्माताओं के समूह तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों तक पहुँच सका है।

जून, 2004 में रेशम मार्क की शुरुआत से, 2509 निर्माता एवं व्यापारी अर्थात् बुनकर, बुनकर सहकारी समिति, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, निर्यातक आदि प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के रूप में भारतीय रेशम मार्क संगठन में शामिल हुए । उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 1.95 करोड़ से अधिक रेशम मार्क के लेबुल लगे उत्पाद बाजार में पहुँचे । उपभोक्ताओं के साथ सुपरिचित होने के अलावा रेशम मार्क, उद्योग का विश्वास भी प्राप्त कर रहा है । वर्ष 2013-14 के दौरान, रेशम मार्क योजना के अंतर्गत भारेमासं में 301 नये प्राधिकृत प्रयोक्ता शामिल हुए तथा बाजार में 27.30 लाख से अधिक रेशम मार्क लगे हुए उत्पाद बाज़ार पहुँच गए हैं ।

उपभोक्ताओं के बीच रेशम मार्क अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, शुद्ध रेशम के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रेशम मार्क संगठन ने कई प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसे सड़क प्रदर्शनी (रोड शो), कार्यशाला तथा महिला संघ, शिक्षा संस्थानों आदि में पारस्परिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्ष, 2013-14 के दौरान

इस प्रकार के कुल 560 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

2013-14 के दौरान भारेमासं की उपलब्धियों का सार निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धि
1.	नामांकित अधिकृत प्रयोक्ता (संख्या)	301
2.	बेचे गये लेबुल (लाख)	27.32
3.	आयोजित जागरुकता कार्यक्रम/सड़क प्रदर्शनी आदि (संख्या)	560
4.	आयोजित रेशम मार्क प्रदर्शनी	16

उपभोक्ताओं को शुद्ध रेशम उत्पाद उपलब्ध कराने तथा निर्माताओं एवं व्यापारियों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए, भारेमासं, देश भर के नगर तथा शहरों में रेशम मार्क प्रदर्शनी का आयोजन करता है । यह प्रदर्शनी एक छत के नीचे देश के विभिन्न समूहों के शुद्ध रेशम उत्पादों के लेन-देन का अवसर प्रदान करती है। 2013-14 के दौरान सिलिगुड़ी, कोचिन, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, रायपुर, मदुरै, हैदराबाद, देहरादून, इंदौर, कोयम्बटूर, चेन्नई, विशाखापतनम, नई दिल्ली, चंडीगढ़ एवं बेंगलूरु में कुल 16 रेशम मार्क प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस प्रदर्शनी के दौरान केरेबो के वरेबासंक के माध्यम से वन्य रेशम का उन्नयन भी किया गया । इसके अतिरिक्त संवर्धन कार्यक्रम जैसे अभिकल्पकर्ता का सम्मिलन, क्रेता-विक्रेताओं का सम्मिलन, फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन भी किया जाता है ।

ग. नयी योजना

निर्यात / भारतीय रेशम का ब्राण्ड संवर्धन

बारहवीं योजना के दौरान,गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अंतर्गत इस नए घटक का अनुमोदन किया गया है । XII वीं योजना में भारतीय रेशम ब्राण्ड के संवर्धन हेतु सभी पणधारियों, निर्यातकों, निर्माताओं एवं फैशन डिजाइनरों के साथ पारस्परिक चर्चा के माध्यम से महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम के निर्यात-संवर्धन को जबरदस्त प्रोत्साहन दे सकता है । यह विज्ञापन तथा बाजार संवर्धन, "इण्डियन सिल्क ब्राण्ड" के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रतिभागिता, सड़क प्रदर्शनी आदि के रूप में हो सकता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार है :

- दार्जिलिंग में प्रदर्शनी सह क्रेता-विक्रेता सम्मिलन का आयोजन संपन्न हुआ।
- कार्यक्रम,नामतः रेशम कोसा / सूत / वस्त्र / अतिरिक्त सामग्री के लिए भारत में ब्राण्ड की प्रदर्शनी गंगटोक में आयोजित की गई।

भारेमासं द्वारा डिजाईन बैंक-सह-डिजाइन केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की गई और यह प्रगति पर है।

• उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ,उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका), क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का एक सशक्त एवं प्रभावी साधन है । उत्पादन, उत्पादकता एवं रेशम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पणधारियों के मध्य निवेशों के प्रोत्साहन हेतु इसे कुछ संशोधन के साथ X, XI तथा XII वीं योजना के दौरान जारी रखा गया । उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम मुख्यत: पौधारोपण विकास व अनुरक्षण, बीज उत्पादन, रेशमकीट पालन, कोसा विपणन, कोसा धागाकरण, सूत संसाधन, उत्पाद विविधता, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता समर्थन आदि क्षेत्र में निजी उद्यमी या राज्य या गैर सरकारी संगठन/स्वयं सहाय समूह की सहभागिता के माध्यम से उत्पादन के विभिन्न चरणों पर (क्षमता निर्माण) अवसंरचना एवं कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता में कमी को पूरा करने के लिए रेशम उद्योग में मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया ।

XII वीं योजना में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयात निर्भरता को कम करने के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के द्विप्रज रेशम का उत्पादन, वन्य रेशम को बढ़ावा देना तथा रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोज़गार सृजन को विशेष महत्त्व दिया गया। अंचल-वार, राज्य-वार, अनुमोदित बजट आकलन तथा वर्ष 2012-13, 2013-14 के दौरान विमोचित निधि तथा वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित परिव्यय **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

परिव्यय तथा व्यय

भारत सरकार ने व्यय वित्त समिति की नई दिल्ली में 04 जून 2013 को आयोजित बैठक के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु उविका की प्राक्कलित संशोधित लागत को अनुमोदित करते समय निर्दिष्ट किया कि संशोधित इकाई लागत के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार होने तक अंतरिम अवधि के दौरान इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। अत: वर्ष के दौरान, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के घटकों के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। तथापि, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रस्तावित घटकों पर विचार करते हुए वर्ष 2013-14 के लक्ष्यों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

वर्ष के दौरान, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 295.75 करोड़ रु. उपगत किया गया जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनिवार्य आवश्यकता के प्रति रु. 99.12 करोड़, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए रु. 32.21 करोड़ तथा जनजातीय उपयोजना (जउयो) के लिए रु. 9.00 करोड़ शामिल है। 2013-14 के दौरान के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय तथा उपलब्धि का योजना-वार विवरण **अनुबंध-IV** (क, ख, ग व घ) में दिया गया है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान लाभार्थियों को सीधी सहायता

वर्ष के दौरान, उविका के अंतर्गत विभिन्न घटकों के अंतर्गत 35,335 लाभार्थियों को शामिल किया गया **(अनुबंध-V)।** उत्तर-पूर्वी राज्यों में शामिल कुल लाथार्थियों में लगभग 70% अनुसूचित जनजाति एवं 60% महिलाएं हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान उविका के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

क. बीज क्षेत्र

शहतूत एवं वन्य दोनों के रेशमकीट बीज की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उविका के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को सहायता दी गई है ।

#	घटक	उपलब्धि
	शहतूत बीज	
1	रारेबीसं का विशेषाधिकार रोगाणुनाशन कार्यक्रम (संख्या)	35
2	रारेबीसं के अंगीकृत बीज कीटपालकों के लिए कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु सहायता (संख्या)	111
3	राज्य बीजागार एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए परिक्रामी पूँजी निधि सहायता	8
4	राज्य बीजागार एवं निजी पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए बीज परीक्षण उपकरणों की खरीदी हेतु सहायता	10
5	राज्य एवं निजी वाणिज्यिक बीज उत्पादन इकाइयों के उन्नयन के लिए सहायता	51
6	राज्यों के मूल बीज फार्म को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	24
	वन्य बीज	
I	*तसर*	
1	निजी तसर बीज उत्पादकों के लिए सहायता, बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान तसर बीज उत्पादकों को सहायता	891
2	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (क) स्व स स, सहकारी/गैससं द्वारा मूल बीज उत्पादन इकाई की स्थापना	37 4
3	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना (ओक तसर) को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	1
4 क	उष्णकटिबंधीय तसर कीटपालकों को सहायता ओक तसर बीज कीटपालकों को सहायता	 5772
ख	रोग अनुश्रवण एवं बीज कोसा परीक्षण के लिए मोबाइल परीक्षण सुविधा के लिए सहायता	1
II	*एरी*	
5 क	एरी फार्म-सह-बीजागारों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभागों को सहायता निजी एरी बीज उत्पादकों को सहायता	 20
ख	अंगीकृत बीज कीटपालकों को सहायता	764
III	*मूगा*	
6 क	निजी मूगा बीज उत्पादकों को सहायता बीज उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्यमान निजी मूगा बीज उत्पादकों को सहायता	 125
7 क	मूगा बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभागों को सहायता मूगा पी3 मूल बीज उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए सहायता	 14
ख	अंगीकृत बीज कीटपालकों को सहायता	226

ख. कोसा क्षेत्र

शहतूत एवं वन्य दोनों के कोसों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उविका के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को सहायता दी गई है ।

#	घटक	उपलब्धि
	शहतूत कोसा	
1	शहतूत पौधारोपण के विकास हेतु सहायता (एकड़)	17,123
2	सिंचाई एवं अन्य पानी संरक्षण तकनीक के लिए सहायता (एकड़)	13,542
3	कृषकों को कीटपालन उपस्कर / फार्मिंग उपकरणों की आपूर्ति (संख्या)	15,806
4	गुणवत्तायुक्त रोगाणुनाशन सामग्री एवं अन्य फसल सुरक्षा मापदण्डों की आपूर्ति (संख्या)	19,917
5	कीटपालन गृहों के निर्माण के लिए सहायता (संख्या)	13,564
6	चॉकी कीटपालन भवन का निर्माण एवं उपकरण के लिए सहायता	143
7	रोगाणुनाशन तथा निवेश आपूर्ति के लिए जैविक निवेश/द्वार-द्वार सेवा अभिकरण तथा रेशम उत्पादन पॉली क्लीनिक के लिए सहायता (संख्या)	231
8	किसान नर्सरी के लिए सहायता (एकड़)	254
9	उत्तर-पूर्व राज्यों में आरोपण हॉल के लिए कीटपालन गृहों के विस्तार हेतु सहायता (संख्या)	1,627
10	पानी संरक्षण तकनीक के माध्यम से विद्यमान वर्षाश्रित शहतूत उद्यान से उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	2,060
	वन्य कोसा	
I	*तसर*	
1	तसर परपोषी पौधारोपण के संवर्धन के लिए कीटपालकों को सहायता	2,759
क	नवोदभिद् खाद्य पौध उगाने के लिए लाभार्थियों को सहायता	124
ख	चॉकी उद्यान के विकास के लिए तसर वाणिज्यिक कीटपालकों को सहायता	3,000
ग	विद्यमान तसर पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता	1,000
घ	साल आधारित तसर पारि-प्रजाति का परिरक्षण एवं उपयोगिता	26
2	व्यवस्थित ओक तसर पौधारोपण एवं रखरखाव के लिए सहायता	295
3	तसर क्षेत्र में कोसा भण्डारण गृहों के निर्माण के लिए सहायता	111
क	कोसा भण्डारण के निर्माण एवं तसर कीटपालकों श्वांसरोधन सुविधा हेतु सहायता	10
II	*एरी*	
4	प्रारंभिक औजार के साथ एरंडी / कसावा कृषकों के लिए सहायता	1,955
5	प्रारंभिक औजार की आपूर्ति के साथ बहुवर्षी एरी खाद्य पौधों का संवर्धन कसेरु खाद्य पौधा नर्सरी के लिए सहायता	1,855
6	कीटपालन गृहों के निर्माण के लिए सहायता	4,376
III	*मूगा*	
7	प्रारंभिक औजार के साथ मूगा खाद्य पौधों का संवर्धन एवं रखरखाव मूगा खाद्य पौधारोपण के लिए सहायता	2110

ग. कोसोत्तर प्रौद्योगिकी

रेशम सूत एवं वस्त्र की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, धागाकरण, कताई, बुनाई एवं विपणन क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए उविका के अंतर्गत विभिन्न कोसोत्तर प्रौद्योगिकी घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। उविका के अंतर्गत कार्यान्वित कोसोत्तर घटकों का विवरण एवं 2013-14 के दौरान प्राप्त उपलब्धि नीचे तालिका में दी गई है।

#	घटक	उपलब्धि
I	**धागाकरण एवं कताई क्षेत्र**	
1	धागाकरण शेड के निर्माण के लिए सहायता	
क	6 थाला बहु-छोरीय धागाकरण इकाई	10
b	10 थाला बहु-छोरीय धागाकरण इकाई	25
2	बाल श्रम निवारण के लिए मोटर चालित चरखा की सहायता (द्वि-चरखा)	50
3	उन्नत कुटीर थाला धागाकरण इकाइयों (36 छोरीय इकाई) की स्थापना के लिए सहायता	11
4	बहुछोरीय धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहायता	
क	10 थाला इकाई (10 छोर प्रति थाला)	41
ख	अतिरिक्त उपकरण की खरीदी/पुन: अनुकूलन के लिए विद्यमान बहुछोरीय इकाई के लिए सहायता	50
5	स्वचालित धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहायता (400 छोरीय इकाई)	3
6	ऐंठन इकाई के लिए सहायता (480 छोरीय)	15
7	द्विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए सहायता	
क	बहुछोरीय धागाकरण पर धागाकृत श्रेणीकरण योग्य द्विप्रज रेशम (रु.100/- प्रति किग्रा.)	43.082
ख	स्वचालित धागाकरण इकाई पर धागाकृत 2 ए श्रेणी एवं उसके ऊपर के द्विप्रज रेशम (रु.150/- प्रति किग्रा.)	7.480
8	वन्य धागाकरण / कताई क्षेत्र के लिए सहायता	
क	धागाकरण-सह-ऐंठन मशीन	224
ख	मोटरीकृत / पादचालित कताई मशीन	394
9	मास्टर धागाकार / तकनीशियन के लिए सेवा प्रदान करना	
क	मास्टर धागाकार	57 व्यक्ति
ख	मास्टर तकनीशियन	1 व्यक्ति
II	**सूतोत्तर क्षेत्र**	
1	केरेप्रौअसं द्वारा विकसित जकार्ड एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से करघे का उन्नयन	637 एकक
2	सूत रंगाई एवं कपड़े के प्रक्रमण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता (केंरेप्रौअसं द्वारा विकसित विशेष प्रौद्योगिकी पैकेज)	
क	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास (सीएटीडी)	25 एकक
ख	टब रंगाई - 25 कि.ग्रा. क्षमता का एकक	1 एकक

ग	टब रंगाई - 50 कि.ग्रा. क्षमता का एकक	1 एकक
III	**विपणन समर्थन क्षेत्र**	
1	कोसा एवं कच्चा रेशम के लिए विपणन अवसंरचना का सृजन / उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	3 राज्य
2	तप्त वायु शुष्कक की स्थापना के लिए सहायता	
क	50 कि.ग्रा. क्षमता वाले एकक (विद्युत)	39 एकक
ख	100 कि.ग्रा. क्षमता वाले एकक (विद्युत)	10 एकक
ग	50 कि.ग्रा. क्षमता वाले एकक (बहु-ईंधनीय)	1 एकक
घ	100 कि.ग्रा. क्षमता वाले एकक (बहु-ईंधनीय)	

घ. सहायता सेवा

#	घटक	उपलब्धि
I	फसल बीमा समर्थन (सभी क्षेत्रों के लिए)	15,10,000
2	रेशम उत्पादन कृषकों एवं कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	1,06,000
3	लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम	14,703
4	रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र	2
5	कुशलता प्रशिक्षण एवं उद्यम विकास कार्यक्रम	5
6	रेशम दूत अवधारणा के अनुसार समुदाय आधारित संगठन का विकास करना	14

वन्य समूह कार्यक्रम

XII वीं योजना में वन्य रेशम के लिए 9,000 मी.टन का उत्पादन परिकल्पित है और उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए संकटपूर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त मध्यस्थता की आवश्यकता पर बल दिया गया है । लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से XII वीं योजना के दौरान लगभग 400 मी.टन वन्य रेशम के उत्पादन के लिए 50 वन्य समूहों के आयोजन के लिए योजना बनाई गई है । इसके अलावा शेष 8600 मी.टन के उत्पादन के लिए न लिए गए क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है । इन समूहों को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार केन्द्रों के रूप में संगठित किया जाएगा । निदेशक, केतअवप्रसं, राँची, केमूएअवप्रसं, लहदोईगढ़, बुतरेबीसं, बिलासपुर एवं मूरेबीसं, गुवाहाटी को संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन निदेशालयों के निकट समन्वयन से उन समूहों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण का कार्य सौंपा जाएगा ।

वन्य रेशम उत्पादक राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर 50 समूह (कोसा पूर्व में 45 समूह तथा कोसोत्तर क्षेत्र में 5 समूह) की पहचान की गई और बेंचमार्क सर्वेक्षण तथा नैदानिक अध्ययन प्रारंभ किया गया । केरेबो तथा राज्य रेशम उत्पादन निदेशालयों ने सामंजस्य से काम करने तथा समूहों में बेंचमार्क सर्वेक्षण तथा नैदानिक अध्ययन एवं आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप के साथ समूह परियोजनाओं की तैयारी के लिए समूह विकास सुविधा प्रदाता (सीडीएफ) को चयनित कर इन्हें तैनात किया गया है । कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सभी समूह विकास सुविधा प्रदाता के प्रौद्योगिकी स्तर का संवर्धन करते हुए वर्ष 2014-15 से समूहों का कार्यान्वयन संपूर्ण रूप से प्रारंभ होगा ।

फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अधीन शहतूत, तसर, मूगा एवं एरी के सभी चारों क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न रेशम उत्पादक राज्यों में फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं	क्षेत्र	100 रोमुच के लिए बीमाकृत राशि (रु.में)	किश्त (बीमाकृत राशि का %)
1.	शहतूत : बहुप्रज शुद्ध	6000	7%
	शहतूत : बहुप्रज संकर	6000	7%
	शहतूत : द्विप्रज (विशुद्ध/संकर)	7000	8%
2.	तसर/ओक तसर : प्रथम फसल	2900	10%
	तसर / ओक तसर : द्वितीय फसल	3200	10%
	तसर / ओक तसर : तृतीय फसल	3500	10%
3.	मूगा	3050	5%
4.	एरी	2770	5%
कीटपालन गृह		निर्धारित मूल्य	0.5%
कीटपालन/धागाकरण/बुनाई उपकरण		निर्धारित मूल्य	0.5%
लाभार्थी एवं उनके परिवार हेतु (तीन व्यक्ति)		50000/- प्रत्येक	50.00 रु.

तमिलनाडु, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड एवं कर्नाटक राज्यों ने सभी क्षेत्रों एवं घटकों पर योजना का कार्यान्वयन किया है। रु.562.23 लाख के लिए केरेबो हिस्से के प्रीमियम के कुल विमोचन के साथ (प्रारंभ से सभी घटक सहित) फसल बीमा सहायता के अंतर्गत 2013-14 के दौरान उविका के अधीन रु. 76.23 लाख की सहायता राशि संवितरित की गई ।

अनुसूचित जाति उप-योजना (अजाउयो) तथा जनजातीय उप-योजना (जउयो) का कार्यान्वयन

योजना आयोग, भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य क्षेत्र (उत्तर पूर्व राज्यों के आबंटन को छोड़कर) से योजना परिव्यय के अनुपातिक प्रवाह को एक ही धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (अजाउयो) एवं जनजातीय उप योजना (जउयो) के लिए संशोधित मार्गदर्शन तैयार किया है जिससे 2011-12 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार के व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलता है। कार्यक्रम के लक्ष्य में गरीबी एवं बेरोजगारी को वास्तविक रूप में कम करना, उत्पादनजनक परिसंपत्ति के सृजन, मानव संसाधन विकास तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीच भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से शोषण को बंद करना शामिल है । इन लक्ष्यों एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा संसूचित संशोधित मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए 2013-14 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना (रु. 32.21 करोड़) तथा जनजातीय उप-योजना (रु. 9.00 करोड़) के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा उविका के अंतर्गत अनुमोदित रु. 295.75 करोड़ में से रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए (उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर) रु. 41.21 करोड का गैर अपवर्तनीय प्रावधान उद्धिष्ट किया गया है। तदनुसार, उविका से अजाउयो तथा जउयो के लिए विशेष रूप में उद्धिष्ट निधि का राज्य-वार ब्यौरा तैयार कर निधि अजा तथा अजजा के विकास से संबंधित मार्गदर्शन के अनुसार अनुमोदित उविका घटक के कार्यान्वयन के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों को विमोचित की गई है । अजउयो तथा जउयो के कार्यान्वयन के प्रति 2013-14 के दौरान राज्यों द्वारा आबंटित निधि का पूरा उपयोग किया गया है।

वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष (व रे बा सं क)

वन्य रेशम बाजार संवर्धन कक्ष की स्थापना उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाज़ार संवर्धन, उत्पाद विकास एवं विविधता के क्षेत्र में वन्य रेशम को निवेश सहायता देने के उद्देश्य से की गई।

वन्य रेशम बाजार संवर्धन कक्ष की गतिविधियाँ 2013-14 के दौरान वन्य रेशम के वंशीय, ब्राण्ड एवं बाजार संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जारी रखी गई जिसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है :

वन्य रेशम प्रदर्शनी का आयोजन : वन्य रेशम बाजार संवर्धन कक्ष ने भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से वन्य रेशम के ब्राण्ड एवं बाज़ार संवर्धन पर विशेष ध्यान देते हुए कोचिन, रायपुर, हैदराबाद, कोयम्बत्तूर, नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में रेशम मार्क -वन्य रेशम प्रदर्शनी आयोजित की है ।

प्रदर्शनी में प्रतिभागिता : वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने कोचिन, रायपुर, मदुरै, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बत्तूर,देहरादून, नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में आयोजित रेशम मार्क प्रदर्शनी में भाग लिया और वन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विशेष वन्य रेशम थीम पैवेलियन का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का थीम पैवेलियन उपभोक्ताओं के मध्य वन्य रेशम के बारे में जागरूकता लाने का एक साधन था ।

फैशन शो में प्रतिभागिता : वरेबासंक, ने जनवरी तथा फरवरी 2014 के दौरान नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में आयोजित भारेमासं प्रदर्शनी में फैशन शो में भाग लिया एवं उसका समन्वयन किया ।

कार्यशाला एवं पारस्परिक सम्मिलन : तिरुपुर में "वन्य रेशम उत्पादन विकास एवं वाणिज्यिकरण" पर निफ्ट-टी, केएफआई, तिरुपुर के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विविध वन्य रेशम उत्पाद के वाणिज्यिकरण के लिए नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में भारेमासं के सहयोग से अभिकल्पकर्ता, निर्माता एवं निर्यातकों के साथ पारस्परिक क्रिया हेतु एक सम्मिलन भी आयोजित किया गया।

उत्पाद विकास एवं वाणिज्यिकरण : वरेबासंक ने निफ्ट-टी केएफआई,तिरुपुर तथा निटवेयर निर्माताओं के सहयोग से एरी रेशम डेनिम / निटवेयर उत्पाद विकसित किया है। एरी रेशम निटवेयर उत्पाद का वाणिज्यिकरण मेसर्स झारक्राफ्ट, बेंगलूरु, मेसर्स रागम एक्सपोर्ट्स, तिरुपुर, मेसर्स शक्ति निटिंग लिमिटेड, तिरुपुर द्वारा किया गया जबकि एरी रेशम डेनिम उत्पाद का वाणिज्यिकरण मेसर्स रेमण्ड, मुम्बई द्वारा किया गया ।

ई-सूचीकरण एवं विपणन : वरेमासंक व पी3डी द्वारा विकसित विविध उत्पाद एवं प्राथमिक उत्पादक / बुनकर / सहकारी समिति के वन्य रेशम उत्पादों के ई-सूचीकरण / विपणन के लिए गोकूप, बेंगलूरु के सहयोग से एक पहल की गई है।

जैविक रेशम का संवर्धन : वन्य रेशम का उन्नयन जैविक रेशम के रूप में किया जा रहा है और वरेबासंक जैविक/ पारि-रेशम को मान्यता दिलाने के लिए सुसंगत सूचना के साथ निर्माताओं को सुविधा प्रदान करता आ रहा है ।

वन्य रेशम बिक्री केन्द्र : बिक्री केन्द्र की आबंटन अवधि को 24 से 36 महीने तक बढ़ाते हुए संशोधित विचाराधीन विषय के साथ 2014-17 की अवधि के लिए नये लाभार्थियों को दो वन्य रेशम बिक्री केन्द्र, एक नई दिल्ली एवं दूसरा बेंगलूरु में आबंटित किए गए । नई दिल्ली के मामले में वर्तमान में अनुरक्षण शुल्क रु. 8,000/- से रु. 15,000/- तक तथा बेंगलूरु के लिए रु. 10,000/- के रूप में संशोधित किया गया।

विक्रय संवर्धन के लिए छपाई माध्यम एवं वेबसाइट आदि के माध्यम से इन बिक्री केन्द्रों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। उचित विज्ञापन तैयार करने, अभिकल्पकर्ता, बुटीक एवं थोक उपभोक्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की गई।

बाह्य अभिकरणों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएँ

चार सहयोगात्मक परियोजनाओं को लिया गया जो निम्नानुसार है :

- सेना फैशन व डिजाइन संस्थान, बेंगलूरु द्वारा रु. 8 लाख के बजट में की गई परियोजना एरी रेशम का उपयोग करते हुए ऊष्मीय जैकट

एवं ऊष्मीय अधोवस्त्र का अभिकल्प एवं विकास" समाप्त की गई । परियोजना के अधीन विकसित ऊष्मीय अधोवस्त्र एवं जैकट का प्रदर्शन पारस्परिक सम्मिलन / फैशन शो तथा वन्य रेशम प्रदर्शनी में किया गया।

- केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा रु. 3.95 लाख के बजट प्रावधान से की गई परियोजना तसर, एरी एवं मूगा के स्पॅन सूत से बुने एवं बनाये गये विविध उत्पादों का विकास जारी है। परियोजना के अंतर्गत एरी रेशम से बुने टी-शर्ट एवं लेडीज टॉप का विकास किया गया जबकि मूगा एवं तसर निटवेयर उत्पाद का विकास प्रगति पर है ।
- सीसीआरआई, कॉयर बोर्ड, कलवूर एवं केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा संयुक्त रूप में रु. 3 लाख की परियोजना एरी रेशम / कॉयर मिलाकर मिश्रित उत्पादों का विकास किया गया। सीसीआरआई ने कार्रवाई प्रारंभ की (i) बाना में कॉयर सूत से ऐंठित एरी रेशम तथा (ii) बाना में कॉयर एवं एरी रेशम के साथ ताना में कपास सूत के संयोजन में कुछ कपड़े तैयार किए गये।
- निफ्ट-टी निटवेयर फैशन संस्थान, तिरुपुर द्वारा रु. 0.90 लाख बजट की परियोजना वाणिज्यिकरण एवं बाज़ार संवर्धन के लिए एरी रेशम डेनिम तथा निफ्टवेयर उत्पादों का विकास को पूरा किया गया । इस परियोजना के अंतर्गत एरी रेशम डेनिम उत्पाद (पुरुषों की कमीज, रंगीन जैकेट, वेस्टकोट, महिलाओं का टॉप तथा घाघरा) तथा सूत रंजित एरी बुने उत्पाद (निटेड-टी-शर्ट एवं निटेड टॉप्स) विकसित कर इसे नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में पारस्परिक क्रिया सम्मिलन / फैशन शो / वन्य रेशम प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया ।

वन्य रेशम उत्पादों पर दृश्य श्रव्य प्रस्तुतीकरण एवं विवरणिका का निर्माण : वरेबासंक ने भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से वरेबासंक तथा पीउडी के अंतर्गत केरेबो द्वारा विकसित नये वन्य रेशम उत्पादों पर एक दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति तैयार की । वरेबासंक ने इन नए उत्पादों पर विवरणिका का प्रकाशन भी किया । प्रदर्शनी/ प्रदर्शन आदि के दौरान उत्पाद संवर्धन गतिविधियों के लिए दृश्य-श्रव्य एवं विवरणिका का उपयोग किया जा रहा है ।

वंशीय एवं ब्राण्ड उन्नयन : वन्य रेशम का एक पंजीकृत प्रतीक (लोगो) है जो सभी प्रचार सामग्री, विज्ञापन पट, इस्तहार पर्चा परचा तथा वेबसाइट आदि में उपयोग किया जा रहा है । कागज़ विज्ञापन, विज्ञापन पट तथा कैरी बैग के माध्यम से लोगो का व्यापक प्रचार किया जाता है । भारेमासं के सहयोग से रेशम मार्क प्रदर्शनी के दौरान वन्य रेशम के वंशीय एवं ब्राण्ड उन्नयन पर विज्ञापन दिया जाता है। वरेबासंक ने "इंडियन सिल्क" एवं "सिल्क मार्क वोग" पत्रिका में भी विज्ञापन प्रकाशित किया है । केरेबो के प्रचार अनुभाग द्वारा प्रमुख पत्रिकाओं में भी वन्य रेशम के वंशीय उन्नयन पर विज्ञापन प्रकाशित किया है ।

वन्य रेशम प्रतीक (लोगो) के अधिकृत प्रयोक्ता : वरेबासंक ने वंशीय एवं ब्राण्ड उन्नयन के लिए वन्य रेशम प्रतीक के उपयोगार्थ निजी निर्माता, खुदरा व्यापारी, निर्यातकों को प्राधिकृत करने की अवधारणा का प्रस्ताव किया है। इस अवधि के दौरान वरेबासंक ने वन्य रेशम लोगो के प्राधिकृत प्रयोक्ता के रूप में 10 वन्य वस्त्र निर्माताओं का पंजीकरण तथा 7 फर्म का नवीकरण किया। अब तक कुल 45 प्राधिकृत प्रयोक्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, अभिकल्पकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं की पारस्परिक क्रिया : वरेबासंक वन्य रेशम उत्पादों, उनके सुख-साधन के लक्षणों, उपलब्धता व उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जागरुकता एवं पुनर्निवेशन प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन, कार्यक्रमों, आदि के दौरान निर्माताओं, व्यापारियों, अभिकल्पकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के साथ नियमित चर्चाएं करता रहा है। वरेबासंक उद्यमियों, निर्माताओं, व्यापारियों एवं निर्यातकों को अग्र-पश्च संबंध भी प्रदान करता रहा।

उत्पाद अभिकल्प, विकास एवं विविधता (पी3डी)

उत्पाद विकास

परिधान बनाने के लिए उपयुक्त 2/210 नैनो मीटर एवं 2/140 नैनो मीटर बाना 72 ईपीआई और 60 पीपीआई (जीएसएम) का उपयोग करते हुए कम वजन के एरी कपड़े का विकास किया गया। यह देखा गया कि कपड़े के स्पर्श एवं परिधान विन्यास के लिए यह काफी उपयुक्त हैं, वस्त्र को छह भिन्न-भिन्न पैस्टल रंगों से रंजित करने के साथ ही विभिन्न रंगों में महिलाओं के टॉप्स को रूपांतरित किया गया। रेशम कपड़ों की रंगाई के लिए प्राकृतिक रंगों के प्रयोग का प्रयास किया गया । रंगाई के लिए जैविक तसर कपड़े तथा शहतूत रेशम वस्त्र जैसे जार्जेट, क्रेप आदि को बाज़ार से खरीद कर लाख, कटहल धूल (जैक फ्रूट डस्ट), लालिमायुक्त बैंगनी रंग+कटहल एवं तेज हरा जैसे प्राकृतिक रंगों से रंगा गया। इस उत्पाद को देखते हुए ईरोड के एक उद्यमी ने सूत स्तर में ही प्राकृतिक रंगाई प्रारंभ की और वाणिज्यिकरण के लिए नमूना एवं साड़ी का विकास किया। सूत स्तर पर प्राकृतिक रंगों के कपड़े तैयार करने के लिए तसर सूत का क्रय किया गया और उत्पादन कार्य प्रगति पर है। मेसर्स कालिज़िनी फैशन्स, नोयडा के सहयोग से 2/100 का एरी सूत इस्तेमाल करते हुए एरी मोज़ा तैयार किया गया और झारक्राफ्ट, बेंगलूरु द्वारा इसका वाणिज्यिकरण किया जा रहा है। शहतूत X मूगा स्पॅन के साज-सज्जा वाले वस्त्रों को भी तैयार किया गया।

अभिकल्प एवं सिले-सिलाये वस्त्रों का विकास

➢ पी3डी ने निम्नलिखित का विकास भी किया है :

- काशीदाकारी एवं लेस कार्य के साथ एरी,तसर, मूगा एवं शहतूत वस्त्रों के इस्तेमाल से तैयार पोशाक
- प्राकृतिक रंगों के साथ तीन रेशम टॉप
- एरी डेनिम शर्ट, कोट एवं महिलाओं का वस्त्र
- कम वजन के एरी वस्त्रों के 5 पोशाक
- जैविक तसर कपड़े का उपयोग करते हुए पुरुषों का कोट,जैकेट आदि

सहयोगात्मक परियोजना

- केरेप्रौअसं द्वारा जी आई उत्पादों का प्रलेख प्रगति पर है ।
- केरेप्रौअसं द्वारा विकसित उत्पादों का प्रलेखीकरण प्रगति पर है ।

प्रदर्शनी में प्रतिभागिता

पी3डी ने विभिन्न स्थानों जैसे कोचिन, रायपुर, देहरादून, मदुरै, कोयंबत्तूर, हैदराबाद, चेन्नै, नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में वन्य रेशम मार्क प्रदर्शनी में सक्रिय रूप में भाग लिया । प्रदर्शनी के दौरान, पी3डी ने थीम पैवेलियन की व्यवस्था कर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, निर्माताओं तथा नव-विकसित उत्पादों के वाणिज्यिकरण के लिए आगंतुकों को उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चेन्नई प्रदर्शनी के दौरान, प्राकृतिक छपाई जैसे बाघ तथा बागरु का सीधा प्रदर्शन भी किया गया ।

अभिकल्पकर्ता सम्मिलन/पारस्परिक परिचर्चा सम्मिलन

पी3डी ने 25 सितंबर,2013 को "वन्य रेशम उत्पाद विकास एवं वाणिज्यिकरण" पर कार्याशाला के दौरान निफ्ट-टी, तिरुपुर में परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया । पी3डी ने वन्य-रेशम मार्क प्रदर्शनी के दौरान नई दिल्ली में 15 जनवरी, 2014 को अभिकल्पकर्ता / पारस्परिक परिचर्चा सम्मिलन में भाग लिया और केरेबो के नवविकसित उत्पादों के वाणिज्यिकरण पर चर्चा करने के लिए निर्यातक, निर्माताओं एवं अभिकल्पकर्ताओं के साथ 17 फरवरी, 2014 को भारेमासं चैप्टर, बेंगलूर के सहयोग से एक पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा संपन्न हुई। पी3डी ने भारेमासं के साथ हैदराबाद, नई दिल्ली एवं बेंगलूरु में फैशन शो की व्यवस्था करने में समन्वय किया। बेंगलूरु फैशन शो के दौरान, सभी नवविकसित वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

भारेमासं के सहयोग से पी3डी उत्पादों का एक फोटो शूट, दृश्य-श्रव्य आयोजन किया गया और इसे बाद में दिल्ली तथा बेंगलूरु में आयोजित अभिकल्पकर्ता / पारस्परिक परिचर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया। कर्मता (नीचे) बाज़ार के लिए केरेबो द्वारा विकसित उत्पादों का वाणिज्यिकरण प्रारंभ किया गया। ई-विपणन तथा निर्माताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सहकारी संघों के साथ चर्चा की गई। इसके कार्यान्वयन की क्रियाविधि प्रगति पर है। शहतूत X अन्य प्राकृतिक रेशा वाले कपड़े जैसे जूट, केले की पत्ती का रेशा, रेमी आदि विकसित करने के लिए अन्नक्कपुतुर में बुनकरों के साथ चर्चा की गई। फ्रांस की कुमारी इसबेल्ले अरसीरो-माहीयर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बेलगाम एवं संदूर में सर्वेक्षण-पूर्व का कार्य कर लिया गया है ।

कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (कौविप्र एवं उविका)

वर्ष 2013-14 के दौरान 'कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (कौविप्र एवं उविका)' घटक के अंतर्गत 615 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष करीब 852 व्यक्तियों को शामिल करते हुए निवउवि कक्ष/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा कुल 23 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संचालित कार्यक्रम का ब्योरा निम्नानुसार है :

#	कार्यक्रम का नाम	स्थान	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागी
1	संसाधन विकास कार्यक्रम	गुवाहाटी	1	17
		बिलासपुर	1	23
		लखनऊ	2	40
		अगरतला	1	24
		भुवनेश्वर	1	18
		भण्डारा	1	25
		वारंगल	1	27
		उप योग	8	174
2	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	गुवाहाटी	1	20
		देहरादून	1	46
		श्रीनगर	1	39
		गुवाहाटी	1	23
		बहरमपुर	1	18
		बेंगलूरु	4	130
		बहरमपुर	1	24
		शिलांग	1	20
		गुवाहाटी	1	20
		उप योग	12	320
3	प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम	काठिकुण्ड	1	70
		खरसवाँ	1	67
		जजोरी	1	221
		उप योग	3	358
		कुल योग	**23**	**852**

अन्य संगठनों से निधि प्राप्त परियोजनाएं

अन्य मंत्रालयों से निधि प्राप्त परियोजनाएँ

• मगाँराग्रारोगाअ (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना सं.1158 दिनांक 24.07.2009 के माध्यम से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में यह बताते हुए संशोधन किया है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र की सहायता जो पहले उपलब्ध नहीं थी, अब महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों में लघु एवं सीमांत कृषकों के स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी, पौधारोपण तथा भूमि विकास सुविधा के लिए प्रावधान भी शामिल होगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध मार्गदर्शन के अनुसार, रेशम उत्पादन गतिविधियाँ जैसे भूमि/पौधारोपण विकास/वृक्ष पौधारोपण, रेशमकीट पालन तथा कोसा प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा पंजीकृत कार्य-दल के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना प्रस्तावित है जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे एवं इसके ऊपर के लोगों को भी मिलता है।

रेशम उत्पादन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रोजगार गारंटी के लिए मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध सहायता संबंधी कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :

- राज्य मूल बीज फार्म, बीज उत्पादन फार्म, प्रशिक्षण विद्यालय से संलग्न फार्म आदि में पौधारोपण का विकास एवं सुधार
- वैयक्तिक भूमि में पौधारोपण विकास
- शहतूत एवं वन्य खाद्य पौधों के लिए नर्सरी का विकास
- वन भूमि में व्यवस्थित वन्य खाद्य पौधारोपण एवं इसका रखरखाव
- वर्मी कम्पोस्ट सुविधाओं की स्थापना
- जल स्रोत का सृजन (सिंचाई सुविधा की स्थापना के लिए निधि उविका से ली जा सकती है)
- पानी संरक्षण तकनीक, आर्द्रता रखरखाव आदि के माध्यम से वर्षाश्रित उद्यानों का विकास
- पौधारोपण का पीड़क प्रबंधन एवं रोग नियंत्रण
- गाँव की भूमि, अडपाई भूमि आदि में वन्य खाद्य पौधों के लिए बेकार भूमि का पुररुद्धार
- रेशम उत्पादन समूहों से जुड़ने के लिए अवसंरचना का विकास
- चराने से बचने के लिए उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में शहतूत पौधारोपण के चारों ओर खाई बनाना ।
- सॉल के वन क्षेत्रों में स्व-स्थाने कीटपालन हेतु संरक्षण कार्य

वर्तमान स्थिति

[रुलाख में]

#	राज्य	मगाँराग्रारोगाअ	
		परियोजनाओं की सं.	मंजूर की गई राशि
I	दक्षिण क्षेत्र		
1	कर्नाटक	3	80.44
2	आंध्र प्रदेश	1	223.70
	योग	4	304.14
II	उत्तर पश्चिम क्षेत्र		
1	उत्तराखंड	1	38.10
III	मध्य पश्चिम क्षेत्र		
1	उत्तर प्रदेश	3	203.41
2	छत्तीसगढ़	1	1142.04
	योग	4	1345.45
IV	पूर्वी क्षेत्र		
1	पश्चिम बंगाल	1	0.59
2	बिहार	1	42.00
3	ओडिशा	2	966.05
	योग	4	1008.64
V	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		
1	असम	1	8.10
2	त्रिपुरा	1	30.00
	योग	2	38.10
	कुल योग	**14**	**2734.43**

- **उपूक्षे वसंयो**

XII वीं योजना के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र - वस्त्र संवर्धन योजना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के क्रम में, वस्त्र मंत्रालय ने "उत्तर पूर्व क्षेत्र संवर्धन योजना" नामक एक छत्र योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए परियोजना आधारित कार्यनीति के लिए अनुमोदन दिया है । मंत्रालय की नियमित योजनाओं के अलावा, इस छत्र योजना का कार्यान्वयन उत्तर पूर्व क्षेत्र में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व राज्यों के लिए उद्दिष्ट बजट परिव्यय से 10 प्रतिशत व्यय का वहन इस मद में किया जाएगा।

उत्तर पूर्व वस्त्र संवर्धन योजना का मुख्य लक्ष्य कच्चा माल, बीज बैंक, मशीनरी, सामान्य सुविधा केन्द्र, कौशल विकास, डिजाईन एवं विपणन सहायता आदि के अनुरूप अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र का विकास एवं आधुनिकीकरण है । योजना के विशेष लक्ष्य में वस्त्र उत्पादों के मूल्य में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अभिकल्प क्षमता में सुधार, उत्पादन में विविधता एवं मूल्य संवर्धन, घरेलू एवं निर्यात बाजार में बेहतर पहुँच, श्रम सृजन में एकत्रीकरण एवं सुधार, बाजार अभिगम एवं बाजार संवर्धन आदि शामिल है ।

रेशम उत्पादन के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के घटकों का उद्देश्य राज्य स्तर पर अवसंरचना का विकास एवं उन्नयन तथा उविका के अंतर्गत पौधारोपण तथा पणधारियों के स्तर पर कोसोत्तर अवसंरचना का विकास करना है। परियोजना के कार्यान्वयन से योजना के कार्यान्वयन से उत्पाद विकास एवं विविधता तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ-साथ उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अवसंरचना के उन्नयन एवं इसके प्रभावी उपयोग में उत्तर पूर्व राज्य के रेशम उत्पादन विभागों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कमियों को पूरा करने में काफी राहत मिलने की आशा है। चूँकि XII वीं योजना के लिए उ-पू राज्यों के निमित्त उविका के अंतर्गत आबंटन सीमित है, अत: उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के साथ अभिसरण से अभिगमों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित कच्चे रेशम का उत्पादन, XII वीं योजना में इन राज्यों हेतु निर्धारित सामान्य लक्ष्य के अतिरिक्त है । XII वीं योजना के दौरान देश के लिए निर्धारित 32,000 मी ट के समग्र रेशम उत्पादन लक्ष्य में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य 5300 मी टन था (परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के अनुसार) जो देश के उत्पादन का 16% है । उविका के अभिसरण के साथ उपूक्षेवसंयो (एनईआरटीपीएस) के कार्यान्वयन से उत्तर-पूर्व से कुल 6000 मी टन रेशम उत्पादन की आशा है जो देश के कुल रेशम उत्पादन का 19% है । अतिरिक्त रेशम उत्पादन के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यों को सहायता देने के लिए गुणवत्तायुक्त मूल रेशमकीट बीज का उत्पादन तथा रेशमकीट परपोषी पौधों के उन्नत उपजातियों की आपूर्ति का बढ़ावा देने के साथ-ही-साथ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य को सहायता दी जा रही है ।

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (पअवअस) ने 17.12.2013 को दिल्ली में आयोजित बैठक में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत शहतूत क्षेत्र के लिए परस्पर मणिपुर परियोजना (रु.149.76 करोड़) तथा अरुणाचल प्रदेश (रु.18.42 करोड़) हेतु परियोजना का अनुमोदन दिया है जहां तक परियोजना के उविका के भाग का संबंध है, शीर्ष अनुश्रवण समिति द्वारा उविका के परियोजना अनुमोदन तंत्र के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है तथा वार्षिक आधार पर शीअस की सिफारिशों के अनुसार निधि विमोचित की गई है।

अन्य उत्तर-पूर्व राज्य नामत: असम, बीटीसी, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मेघालय के प्रति नये रूप में एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना को 16.09.2014 को नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय परियोजना अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के

समक्ष प्रस्तुत किया गया। परियोजना अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंधित राज्यों के प्रति अनुमोदित मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए रोमुच / कोसा-उत्पादन एवं अभिसरण विकल्प के लिए कृषकों को सहायता प्रदान करने संबंधी घटकों को परियोजना में शामिल कर इसे संशोधित करने के लिए सलाह दी गई है। संशोधित परियोजनाओं को तृतीय परियोजना अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

क) अरुणाचल प्रदेश में उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना

अरुणाचल प्रदेश के लिए रु.18.42 करोड़ के परियोजना परिव्यय के साथ एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना का अनुमोदन दिया गया जिसका वहन वस्त्र मंत्रालय द्वारा (100%) किया जाना है। परियोजना के मध्यवर्ती कार्यान्वयन में सामान्य सुविधा केन्द्र एवं क्षमता निर्माण के साथ बीज अवसंरचना उन्नयन तथा कोसोत्तर क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। लागत में सामान्य प्रशासन लागत, कर, शुल्क,परामर्श, परियोजना अनुश्रवण तथा मूल्यांकन आदि भी शामिल है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के मार्गदर्शन के अनुसार, परियोजना की कुल लागत का निर्दिष्ट प्रतिशत (5%) सूचना, शिक्षा एवं संसूचना (सू शि सं), प्रशासन तथा अनुश्रवण शीर्ष के अंतर्गत तथा परियोजना की कुल लागत के 1% नैदानिक अध्ययन तथा परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए उद्दिष्ट किया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य के वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर के अलावा रु. 2062.62 लाख की परियोजना अवधि के दौरान वर्ष में 78.94 मी ट तक रेशम उत्पादन के बढ़ने की आशा है ।

ख) उपूक्षे-वसंयो (एनईआरटीपीएस)के अंतर्गत मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना

मणिपुर सरकार ने जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण [जा अ स अ], जापान सरकार की वित्तीय सहायता से कुल 154.99 करोड़ रु. की परियोजना लागत पर 1998 से 2008 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना [चरण-I] कार्यान्वित की है । इस परियोजना के अंतर्गत, मणिपुर सरकार ने 1000 क्षेत्र प्रचालन इकाई के माध्यम से 1700 हेक्टेयर शहतूत पौधारोपण किया है, साथ ही, 60 सामुदायिक चॉकी कीटपालन केन्द्र, 4573 वैयक्तिक प्रौढ़ कीटपालन गृह, दो औद्योगिक शहतूत बीजागार, पी3 एवं पी2 रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र के प्रत्येक के एक-एक केन्द्र, 15 तकनीकी सेवा केन्द्र, एक रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय, 6 जिला कोसा भंडारण एवं शुष्कन सुविधा, बहुछोरीय रेशम धागाकरण तथा रेशम अनुकूलन एवं परीक्षण इकाई के लिए अवसंरचना, 1 रेशम ऐंठन इकाई और 1 कोसोत्तर तकनीकी प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र विकसित किया है । इस परियोजना के चरण-I के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, कृषक की बुरुश करने की क्षमता 42 किग्रा कोसे प्रति 100 रोमुबीच की औसत उत्पादकता के साथ 10-25 रोमुबीच/फ़सल से 80-100 रोमुबीच/फ़सल तक बढ़ गई।

यद्यपि मणिपुर में रेशम उत्पादन उद्योग के लिए मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना के माध्यम से पर्याप्त अवसंरचना की गई है, तथापि,कई कारणों जैसे सृजित अवसंरचना के लिए उपकरण सहायता, पौधारोपण में अंतर, रेशमकीट पालकों को उन्नत प्रौद्योगिकी का स्थानातंरण तथा अभिकल्प में कुछ कमी के कारण प्रौढ़ कीटपालन गृहों के उपयोग में कमी आदि के कारण उनका भरपूर उपयोग नहीं हो सका जिसके चलते पहले ही किए गए निवेश को पूँजीगत करने के लिए मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ी।

चूँकि जाइका ने सुरक्षा कारणों से परियोजना को आगे निधि देने में अक्षमता व्यक्त की है, अत: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने नव-प्रस्तावित उपूक्षे "वस्त्र संवर्धन योजना" (उपूक्षवसंयो) के अंतर्गत मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना के चरण-II के लिए अनुमोदन दिया है। रु. 149.76 करोड़ की कुल लागत में परियोजना का अनुमोदन दिया गया है जिसका कार्यान्वयन 2013-14 से 2016-17 तक चार वर्ष की अवधि में किया जाना है।

इनमें से वस्त्र मंत्रालय का हिस्सा रु 126.60 करोड़ है। परियोजना के दौरान रु 159.38 करोड़ मूल्य के 638 मी.टन कच्चे शहतूत रेशम का उत्पादन प्रत्याशित है। पूर्ण क्षमता की उपलब्धि के उपरांत, परियोजना से प्रति वर्ष 203 मी.टन कच्चे शहतूत रेशम का उत्पादन हो सकेगा जिसका वर्तमान मूल्य रु. 50.62 करोड़ है ।

अनुमोदित उपूक्षे-वसंयो परियोजना की वर्तमान स्थिति (मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश)

चूँकि मंत्रालय द्वारा यथापेक्षित, तकनीकी कारणों से, मंत्रालय 2013-14 के दौरान मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश परियोजना के लिए निधि का विमोचन न कर सका, इन राज्यों के साथ परामर्श कर 2014-15 से 2016 - 17 तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित कार्य-योजना तैयार कर मंत्रालय को भेजा गया है । पूर्व-अनुमोदित परियोजना की कुल लागत में कोई बदलाव नहीं है, चार वर्ष के बदले तीन वर्ष में कार्यान्वयन का लक्ष्य नियत किया गया है । संशोधित कार्य-योजना के अनुसार अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वर्ष-वार निधि नीचे निर्दिष्ट है :

[रु करोड़ में]

वर्ष	कुल लागत	व्यय की हिस्सेदारी			
		भारत सरकार	राज्य	लाभार्थी	भारत सरकार द्वारा विमोचित निधि
अरुणाचल प्रदेश					
2014-15	10.36	10.36	-	-	3.36
2015-16	4.84	4.84	-	-	
2016-17	3.22	3.22	-	-	
कुल	**18.42**	**18.42**	**-**	**-**	
मणिपुर					
2014-15	35.64	30.08	3.10	2.46	30.08
2015-16	58.18	48.96	5.10	4.12	
2016-17	55.94	47.56	4.75	3.63	
कुल	**149.76**	**126.60**	**12.95**	**10.21**	

• मकिसप (एमकेएसपी) तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनाएँ

बिहार व झारखण्ड में विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा नबार्ड की पहल से खास तौर से जनजाति समुदायों में स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित हुआ कि तसर रेशम उत्पादन में आजीविका की प्रचुर क्षमता है । ग्रामीण क्षेत्र में तसर आधारित आजीविका की मांग अभी स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। इसे कायम रखने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, प्रदान एवं बीएआईएफ ने ग्रामीण परिवारों की पर्याप्त संख्या तक पहुँचने तथा परिवार स्तर पर आजीविका के सृजन एवं तसर रेशम उत्पादन में क्षेत्रीय विकास, दोनों मापदण्डों को प्रभावी बनाते हुए बहु-राज्य उद्यम के आशय के साथ आगे आया है। काफी विचार-विमर्श के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्यस्थता के प्रारंभिक चरणों के तार्किक विस्तार के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के विचारार्थ केरेबो प्रस्ताव के प्रति परियोजनाओं को तैयार करने के लिए अनुमति दी है।

तदनुसार, केरेबो ने महाराष्ट्र में बीएआईएफ, पुणे और आंध्र प्रदेश में एसईआरपी तथा प्रदान के समन्वय

से झारखण्ड, ओडिशा,पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के राज्यों के लिए तसर विकास के लिए सात परियोजनाएँ तैयार की।

परियोजना में सीमांत परिवारों, विशेष रूप से 7 राज्यों में चयनित 33 जिलों के अनुसूचित जनजाति समुदाय एवं महिलाओं के लिए 14,000 से अधिक ग्राह्य आजीविका का सृजन प्रस्तावित है। वर्तमान परियोजना नये समूहों को आजीविका का अवसर प्रदान करने, तसर रेशम उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु कार्य को सरल बनाने, बिना पूर्व अनुभव वाले परिवारों को शामिल करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाते हुए बाजार तक पहुँचाने और आर्थिक लाभ बरकरार रखने के लिए हाल की लाभकारी प्रगति का संवर्धन होगा। आय गतिविधियाँ जैसे तसर रेशम उत्पादन में हिस्सेदारी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अलावा परियोजना उनके परिवारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य करेगी। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :

- वर्ष 2013-14 के दौरान 27,540 लाभार्थियों को शामिल करते हुए रु. 52.211 करोड़ के परियोजना अनुदान (ग्रामीण विकास मंत्रालय : रु. 39.13 करोड़ और केरेबो: रु. 13.09 करोड़) तथा रु 60.80 करोड़ के परिव्यय के साथ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में बडे पैमाने पर तसर आधारित आजीविका के संवर्धन के लिए एक बहु-राज्य परियोजना प्रारंभ की गई।
- केरेबो द्वारा आंध्र प्रदेश में तसर रेशम उत्पादन के संवर्धन के लिए एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना तैयार की गई और एसईआरपी और कोवेल फाउंडेशन द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। रु. 10.64 करोड़ के परियोजना अनुदान के साथ 5,972 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 5 जिले में इसे कार्यान्वित किया गया, [ग्रामीण विकास मंत्रालय: रु. 7.84 करोड़ रु. एवं केरेबो: 2.79 करोड़ रु.]।
- केरेबो द्वारा रु. 8.93 करोड़ रु. [ग्रामीण विकास मंत्रालय: 6.69 करोड़ रु. एवं केरेबो: 2.23 करोड़ रु.] के परियोजना अनुदान के साथ 3170 लाभार्थियों को शामिल करते हुए बिहार के बंका जिले के चार ब्लॉक को शामिल कर बिहार में तसर संवर्धन के लिए बनाई गई परियोजना बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी - जीविका (बीआरएलपीएस), पटना द्वारा प्रक्रिया जारी है और इसे प्रदान द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपनी क्षेत्र इकाइयों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र नामत: बीज, कोसा पूर्व तथा कोसोत्तर क्षेत्र में गैससं प्रतिभागियों को प्रौद्योगिक निवेश प्रदान करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यकारी अभिकरण होने के नाते केरेबो, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधि प्राप्त कर इसे क्षेत्र कार्यान्वयन अभिकरण एवं कार्य-योजना की अपेक्षाओं के अनुसार क्षेत्र कार्यान्वयन अभिकरण को हस्तांतरित करेगा ।

परियोजना की प्रगति : परियोजना अगस्त, 2012 के दौरान अनुमोदित थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2013 में रु. 3.912 करोड की प्रथम किस्त [10%] को पहली बार विमोचित किया और अक्टूबर, 2013 के दौरान परियोजना की गतिविधियाँ प्रारंभ की गई। इसके बाद परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बीच 22 अक्टूबर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। केरेबो ने पांच राज्यों के परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को उनकी मांग के प्रथम वर्ष के दौरान भौतिक लक्ष्य के अनुसार कुल रु. 3.862 करोड़ के ग्रामीण विकास मंत्रालय हिस्से का विमोचन किया। तत्पश्चात् केरेबो ने परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की मांग के अनुसार रु 3.95 करोड़ के उविका हिस्से की प्रथम किस्त का विमोचन किया, शीर्ष अनुश्रवण समिति ने दर एवं विभिन्न घटकों की प्राथमिकता के अनुसार आबंटन के लिए अनुमोदन दिया। उविका हिस्से के रूप में एसईआरपी, हैदराबाद को

रु. 62.498 करोड की राशि का विमोचन भी किया गया। परियोजना के अधीन विमोचित राशि का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है :

[रु.लाख में]

राज्य/ श्रेणी	ग्रा वि मं से प्राप्त राशि (कुल राशि का10%)	पकाअ को विमोचित ग्रा वि मं हिस्से की राशि	पकाअ को विमोचित केरेबो हिस्से की राशि
छत्तीसगढ़	59.870	56.104	64.146
महाराष्ट्र	75.980	75.462	69.229
पश्चिम बंगाल	40.040	40.040	29.918
ओडीशा	35.860	35.171	42.017
झारखण्ड	179.540	179.517	189.987
आंध प्रदेश	-	-	62.498
कुल	**391.290**	**386.295**	**457.797**

परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों ने मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शन एवं प्रपत्र के अनुसार केरेबो के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रारंभिक रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन 3 राज्य [आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र] के परियोजना क्षेत्र में किया गया। केरेबो, प का अ, एसआरएलएम तथा रेशम उत्पादन विभाग के मध्य संयुक्त परामर्श जनवरी, 2014 के दौरान पूरा किया गया। आधार भूत सर्वेक्षण प्रपत्र को अंतिम रूप दिया गया और सर्वेक्षण मई, 2014 में पूरा किया जाएगा । 6 राज्यों के परियोजना क्षेत्र के कोर दल को आईएसडीएस एवं केतअवप्रसं, राँची द्वारा आयोजित प्रशिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत केरेबो द्वारा भण्डारा में आयोजित संसाधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। पौधारोपण करने की व्यवस्था, समुदाय के लिए अवसंरचना एवं मूल बीज की आपूर्ति तथा विभिन्न क्षमता का निर्माण कार्यक्रम प्रगति पर है।

• एजविका (आईटीडीपी)

बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम

इस परियोजना का कार्यान्वयन, अवधार्य आजीविका विकास के लिए तसर रेशम उत्पादन आधारित अग्र-पश्च संबंध का सृजन करते हुए जमुई जिले के चकाई प्रखंड के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दुलामपुर, नवाडीह, फारीताज़डीही एवं गाझी पंचायतों में किया जा रहा है । परियोजना का कुल परिव्यय 1274.91 लाख रु. है जिसमें राकृवग्राविबैं, पटना 837.72 लाख रु. [65.71%], केरेबो 170.91 लाख रु. [13.41%] तथा लाभार्थी हिस्सा 217.29 लाख रु. [17.04%] और 2009-10 से पांच वर्ष की अवधि के लिए राकृवग्राविबैं से 49 लाख रु. [3.84%] के ऋण से किया जा रहा है । उ वि का से निधि केवल 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्रमश: रु.20.675 लाख, 86.517 लाख रु. तथा 63.717 लाख रु. प्रस्तावित है ।

राकृवग्राविबैं ने 241.34 लाख रु. दिया है, जबकि केरेबो ने प्रदान [पीआरएडीएएन] को 158.975 लाख रु. दिया है, जो वर्ष, 2009 से 2012 तक का उविका-हिस्सा है, जिसमें से 62.79 लाख रु. का उपयोग किया गया है ।

तसर क्षेत्र के अंतर्गत पशु अवरोध खाई के साथ 2544 एकड़ का तसर परपोषी पौधारोपण, 197 जल संचयन संरचना तथा 2069 एकड़ में मृदा संरक्षण कार्य किया, रेशम उत्पादन एवं बागवानी गतिविधियों में अंतर-उत्पादन के लिए 49 पंप सेट, 72 फुहारक एवं 183 निराई यंत्र की आपूर्ति की गई । 89 स्वयं सहाय समूह गठित किए गए, 15 सदस्यता प्रशिक्षण, स्वयं सहाय समूह प्रशिक्षण के लिए एक प्रौद्योगिकी-स्थानांतरण, 7लेखा-परीक्षक प्रशिक्षण, 29 समूह लेखाकार प्रशिक्षण तथा वर्षांत तक 9 समूह सदस्यता प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष के दौरान 735 कीटपालक, पकाअ के 2 कर्मचारी, नर्सरी उगाने में 16 दल कृषक, सब्जी कृषि में 20 दल एवं व्यवस्थित चावल गहनता[एसआरआई]/उन्नत धान उगाने में 45 दल को प्रशिक्षण दिया गया । अनावरण दौरे के अंतर्गत 1830 लाभार्थियों को शामिल किया गया। अन्य मध्यवर्ती कार्य जैसे, एसआरआई, सब्जी कृषि, मृदा आर्द्रता संरक्षण, बागवानी कार्य भी लक्ष्य के अनुसार किए गए ।

- **स्वजस्वयो (एसजीएसवाई)**

बिहार में तसर व एरी उत्पादन के विकास के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना की विशेष परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहायता से वर्ष, 2003-04 से बिहार राज्य के बांका जिले में तसर एवं एरी उत्पादन के विकास हेतु विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना कार्यान्वित की जा रही है । केरेबो कार्यान्वयन अभिकरण है, जो कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करता है और कोसा-पूर्व पहलुओं पर केतअवप्रसं, राँची, बीज की आवश्यकता हेतु बुतरेबीसं, बिलासपुर और कोसोत्तर कार्यकलापों पर केरेप्रौअसं, बेंगलूरु की इकाइयों के माध्यम से आवश्यक प्रौद्योगिक सहायता प्रदान करता है। केरेबो नाभिकीय बीज की संपूर्ण और बुनियादी बीज के एक भाग को आवश्यकतानुसार बुतरेबीसं के बुबीप्रवके के माध्यम से पूरा करता है । इस परियोजना को प्रदान [पीआरएडीएएन] एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना की 31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान प्रगति निम्नानुसार है :

- प्रदान एवं परियोजना क्षेत्र में केरेबो इकाइयों की परियोजना के अंतर्गत दिए गए 854.613 लाख रु. की राशि में ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 610.198 लाख रु. एवं केरेबो का हिस्सा 244.425 लाख रु. शामिल है, जो केरेबो द्वारा परियोजना कार्य करने में शामिल कार्मिकों पर व्यय, परियोजना प्रशासनिक व्यय को छोड़कर है। इस परियोजना में 338.215 लाख रु. तक ऋण की व्यवस्था की गई है। इसमें केरेबो के संपूर्ण हिस्से एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के रु 497.192 लाख का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया।

- इस परियोजना के अधीन 157 स्वयं सहाय समूह तथा 3526 स्वरोज़गारियों को सहायता दी गई है । 639.76 हेक्टेयर ब्लॉक पौधरोपण, 2430 चॉकी बागान इकाइयाँ [0.1 हे.] तथा 40.5 हेक्टेयर एरंडी उगाया गया है ।

- 1409 अंगीकृत बीज कीटपालकों ने 2.32839 लाख रोमुच के नाभिकीय बीज का कूर्चन किया तथा 138.265 लाख नाभिकीय बीज कोसों का उत्पादन किया जिसमें से बुबीप्रवप्रके द्वारा आगामी संसाधन के लिए 70.264 लाख कोसों का क्रय किया गया।

- 2502 बीज कीटपालकों ने 6.56767 लाख बुनियादी बीज रोमुबीच का कूर्चन किया और लगभग 183.883 लाख बीज कोसें का उत्पादन किया, जिसमें से 139.879 लाख बीज कोसों का क्रय किया गया और 109 निजी बीजागारों द्वारा कोसा रोमुच अनुपात 4:1 मानक के सापेक्ष अनुपात 2.87:1 में 805 बीजागार प्रचालन में 33.811 लाख वाणिज्यिक रोमुबीच के उत्पादन के लिए 97.192 लाख बीज कोसों का संसाधन किया गया । इस परियोजना के अधीन शामिल 1710 वाणिज्यिक कीटपालकों ने 31.059 लाख वाणिज्यिक रोमुबीच का कूर्चन किया और कुल 14250 कीटपालन के माध्यम से 1205.602 लाख धागाकरण कोसे उत्पादित किए।

- 21 कीटपालक,11 धागाकार व कताईकर्त्ता सहकारी समितियाँ गठित की गईं । इस परियोजना के अधीन 15 संसाधन कार्मिकों तथा 4741 स्वरोज़गारियों को प्रशिक्षित किया गया, 24 स्वरोज़गारियों को अध्ययन दौरे पर ले जाया गया और दो कृषक दिवस आयोजित किए गए ।

उत्तराखंड में शहतूत रेशम उत्पादन विकास के लिए विशेष स्वर्ण ग्रामीण स्वरोज़गार योजना सबंधी परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 917.48 लाख रु. की कुल लागत पर उत्तराखंड में शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना परियोजना की मंजूरी रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2007-08 से 2011-12 तक 5 वर्ष की अवधि तक कार्यान्वित करने के लिए की है । इस परियोजना को

मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया है । इस परियोजना की कुल लागत में ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा [417.009 लाख रु.] तथा केरेबो/राज्य का हिस्सा 379.636 लाख रु. [केरेबो- 299.383 लाख रु. तथा राज्य-80.253 लाख रु.] है, बैंक ऋण 76.205 लाख रु. है और लाभार्थी का अंशदान 44.991 लाख रु. है । केरेबो इसके निष्पादन का एक समन्वय अभिकरण है । इस परियोजना का कार्यान्वयन रेशम निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा नैनीताल जिले में और ग्रामीण कृषि विकास समिति, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा उधमसिंह नगर जिले में किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 361.65 लाख रु. तथा केरेबो हिस्सा 295.79 लाख रु. को मिलाकर 775.55 लाख रु. की राशि मार्च, 2012 तक परियोजना के लिए दी गई । उपर्युक्त के अलावा, केरेबो के हिस्से में से 37.89 लाख रु. की प्रशासनिक लागत गैर-सरकारी संगठन को दी गई। राज्य ने तदनुरूप हिस्सा 80.253 लाख रु. दिया और परियोजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 68.04 लाख रु. का ऋण तथा लाभार्थी का हिस्सा 32.75 लाख रु. की व्यवस्था भी की गई । वर्ष के दौरान परियोजना के अधीन प्राप्त प्रगति निम्नानुसार है :

- 50 वर्मी कंम्पोस्ट हेतु छप्पर बनाए गए और कार्य प्रारंभ किया गया है । इस परियोजना के अधीन शुरुआत से इन इकाइयों ने कुल 341.6 मीटरी टन वर्मी कंम्पोस्ट खाद तैयार की है।
- एस-146 शहतूत प्रजाति का उपयोग करते हुए नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिलों में 974 इकाई आधा एकड़ वृक्ष पौधरोपण एवं 26 इकाई झाड़ी पौधरोपण किया गया है । पौधारोपण का पूरा लक्ष्य प्राप्त किया गया है ।
- पौधारोपण का भौतिक सत्यापन संचालित किया गया । क्षेत्र में 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान किए गए पौधारोपण में 90% जीवित हैं ।
- परियोजना के लक्ष्य के सापेक्ष बीचपुरी, नाथुनगर, चनकपुर, मनकांतपुर, रानीकोटा, राजपुरा क्यारी, विजयपुरा एवं पाचवाला में 9 चॉकी कीटपालन केन्द्र बनाए गए और उन्हें प्रचालित किए गए।
- कीटपालन गृह के निर्माण एवं कीटपालन उपकरण के लिए बैंक द्वारा 1000 स्वरोजगारियों को ऋण प्रदान किया गया जिसमें 933 स्वरोजगारियों ने निर्माण कार्य पूरा किया। इसके अतिरिक्त, 835 स्वरोज़गारियों को कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति की गई । बैंक द्वारा शेष स्वरोजगारियों के लिए ऋण की मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
- परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी 1000 स्वरोज़गारियों को पौधारोपण के रखरखाव तथा रेशम कीटपालन तकनीक में प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त, स्वयं सहाय समूहों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और कुल 85 पदाधिकारियों को 3 दलों में प्रशिक्षित किया गया ।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 500 स्वरोज़गारियों को विभिन्न स्थानों यथा; देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा बेंगलूरु /मैसूर में रेशम उत्पादन कार्यकलापों के बारे में दौरे पर ले जाया गया।
- जिन स्वरोज़गारियों ने पौधारोपण किया है, उन्हें निवेश समर्थन तथा परियोजना के अधीन किए गए कार्यकलापों के विवरण अभिलिखित करने के लिए कीटपालकों को पास बुक दिए गए । इसके अतिरिक्त लक्ष्य के अनुसार 10 कृषि मेला का आयोजन भी किया गया ।
- दो फ़सलों के दौरान 85,850 रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 28.16 मी.टन द्विप्रज कोसे उत्पादित किए गए । शुरुआत से परियोजना क्षेत्र में कुल 2,84,550 रोमुबीच का कीटपालन कर 85.77 मी.टन कोसों का उत्पादन किया गया ।

परियोजना प्रगति पर है तथा इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की संभावना है।

एकौवियो (आईएसडीएस)
एकीकृत कौशल विकास योजना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, देश में रेशम के विकास हेतु पर्यवेक्षण का शीर्ष अभिकरण, वस्त्र मंत्रालय की 'ध्वज-पोत' पहल - 'एकीकृत कौशल विकास योजना (ए कौ वि यो)' के अधीन वित्त पोषित 'कुशल बीजारोपण' एवं 'कौशल उन्नयन' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक व्यापक योजना कार्यान्वित करता रहा है । कुल परियोजना व्यय रु 39.77 करोड़ तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्य में पांच वर्ष (बारहवीं योजना अवधि) के दौरान 34,553 लाभार्थियों को शामिल करना है । कुल परिव्यय में भारत सरकार का हिस्सा रु 34.18 करोड़ (85.95%) है जबकि, शेष रु 5.58 करोड़ (14.05%) केन्द्रीय रेशम बोर्ड से है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस एकौवियो को अपने नौ अनुसंधान व विकास संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा हैं। आगे 2013-14 से केरेबो ने विशेष रूप से तसर क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन में सहायक एक गैससं - मेसर्स प्रदान के साथ हाथ मिलाया है ।

एकौवियो के अंतर्गत, सभी रेशम क्षेत्र (अर्थात् शहतूती, एरी, तसर तथा मूगा) और रेशम मूल्य-श्रृंखला (पौध उगाना, पौधरोपण विकास, रेशमकीट बीज उत्पादन से लेकर गुणवत्ता कोसा उत्पादन एवं रेशम धागाकरण, कताई, बुनाई से लेकर रँगाई, छपाई, अनुकृति, परिष्करण, आदि में आने वाले संबंधित क्रियाकलापों के 66 विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं । ये पाठ्यक्रम उनकी प्रकृति एवं निवेश के आधार पर एक सप्ताह से लेकर 3 महीने की अवधि तक भारत के सभी प्रमुख रेशम उत्पादन समूह/अंचल को शामिल करते हुए संचालित किए जाते हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान सभी नौ अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा गैससं प्रदान (पीआरएडीएएन) के साथ इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, योजना में निर्धारित 8694 व्यक्तियों के सापेक्ष कुल 8235 लाभार्थियों को शामिल किया गया है । शामिल किए गए लाभार्थियों में से करीब 4000 व्यक्तियों को वर्ष के दौरान रोजगार से जोड़ा जा सकता है ।

एकौवियो के अंतर्गत, कौशल प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी उप-क्षेत्रों एव गतिविधियों जैसे कोसे की गुणवत्ता तथा मात्रा अथवा कच्चे रेशम उत्पादन में देखा जा सकता है। इस परियोजना ने कौशल बीजारोपण तथा कौशल उन्नयन/विकास के माध्यम से कृषक, धागाकार एवं उद्योग के अन्य पणधारियों को अच्छी आय भी दी है।

एकीकृत कौशल विकास योजना प्रदान ने बुतरेबीसं, बिलासपुर तथा केतअवप्रसं, राँची के सहयोग से लिया है। वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धि का ब्योरा नीचे प्रस्तुत है :

केन्द्र का नाम	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति			
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	सीएपीईएक्स	ओपीईएक्स	कुल	उपगत व्यय
बुतरेबीस, बिलासपुर	695	519	74.68	3.40	22.79	26.19	28.50
केतअवप्रसं,राँची	2375	1675	70.53	1.60	85.99	87.59	69.61

वित्त व लेखा

• वर्ष, 2013-14 की प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान)

वर्ष, 2013-14 के सहायता अनुदान

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-9(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान दिया गया ताकि अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों एवं कार्य का निर्वहन किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विमोचित सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है :

I. गैर-योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान 01.01.36 - सहायता अनुदान - वेतन	26,447.00
	कुल - गैर-योजना	**26,447.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

	निर्यात संवर्धन / ब्राण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
03.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	49.0
03.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	17.00
	अ & वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1890.0
04.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	897.00
	बीज संगठन	
05.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1834.00
05.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	426.00
	समन्वयन & विपणन विकास (मा सं वि)	
06.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	500.00
06.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	163.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
07.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	400.00
07.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	100.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उविका)	
08.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	4433.50
08.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	11109.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
24.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1089.00
24.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2132.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
25.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	300.00
25.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	
	कुल - योजना	**25,939.50**

III. उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं सिक्किम के अंतर्गत परियोजना / योजना

(₹ लाख में)

	अ व वि , प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.01.31	सहायता अनुदान-सामान्य	600.0
04.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	410.00
	बीज संगठन	
04.02.31	सहायता अनुदान-सामान्य	213.00
04.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	191.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
04.03.31	सहायता अनुदान-सामान्य	40.00
04.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	15.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
04.04.31	सहायता अनुदान-सामान्य	150.00
04.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	50.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
04.05.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1,827.00
04.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8085.00
	कुल - योजना [उ पू]	**11,581.00**

कुल योग (गैर योजना + योजना + उ-पू)

(₹ लाख में)

	प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान	
	सहायता वेतन	**26,447.00**
	निर्यात संवर्धन / ब्रैण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	49.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	17.00
	अ & वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान-सामान्य	2,490.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1,307.00
	बीज संगठन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	2,047.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	617.00

	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	540.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	178.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान-सामान्य	550.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	150.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	6,260.50
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	19,194.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	1,089.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	300.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	600.00
	कुल योग :	**63,967.50**

• वर्ष 2013 - 14 के लिए व्यय

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड व इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा उपगत/दर्ज़ व्यय निम्नानुसार है :

I. गैर योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान 01.01.36 - सहायता-वेतन	26,447.00
	कुल - गैर-योजना	**26,447.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

	निर्यात संवर्धन / ब्राण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
03.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	24.50
03.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	5.50
	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1890.00
04.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	897.00
	बीज संगठन	
05.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1834.00
05.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	426.00

	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
06.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	500.00
06.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	163.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
07.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	400.00
07.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	100.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
08.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	4433.50
08.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	11109.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
24.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1089.00
24.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2132.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
25.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	300.00
25.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	600.00
	कुल - योजना	**25,903.50**

III. उ-पू क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / योजना

(₹ लाख में)

	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.01.31	सहायता अनुदान-सामान्य	600.00
04.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	410.00
	बीज संगठन	
04.02.31	सहायता अनुदान-सामान्य	213.00
04.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	191.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
04.03.31	सहायता अनुदान-सामान्य	40.00
04.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	15.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
04.04.31	सहायता अनुदान-सामान्य	150.00
04.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	50.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
04.05.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1,827.00
04.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8085.00
	कुल - योजना [उ-पू]	**11,580.99**

कुल योग (गैर योजना + योजना + उ-पू)

(₹ लाख में)

	प्रशासनिक व्यय के प्रति अनुदान	
	सहायता वेतन	26,447.00
	निर्यात संवर्धन / ब्राण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	24.50
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	5.50
	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान-सामान्य	2,490.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1,307.00
	बीज संगठन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	2,047.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	617.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	540.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	178.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान-सामान्य	550.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	150.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	6,260.50
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	19,194.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	1,089.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2,132.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	300.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	600.00
	कुल योग	**63,931.50**

• वर्ष 2013-14 के लिए ऋण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2013-14 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को गृह निर्माण अग्रिम के लिए कोई ऋण राशि नहीं दी गई।

• वर्ष 2014-15 के लिए आकलित बजट में वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रावधान निम्नानुसार है:

I गैर-योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासनिक व्यय के प्रति अनुदान : 01.01.36 - सहायता वेतन	27,447.00
	कुल - गैर योजना	**27,447.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

	निर्यात संवर्धन / ब्राण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
03.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	75.00
03.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	25.00
	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	2401.00
04.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	819.00
	बीज संगठन	
05.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1847.00
05.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	609.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
06.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	660.00
06.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	182.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
07.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	19.00
07.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
08.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	3090.00
08.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	9051.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
24.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	275.00
24.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2225.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
25.00.31	सहायता अनुदान-सामान्य	85.00
25.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	कुल योजना	**21,940.00**

III. उ-पू क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / योजना

(आँकड़े ₹ लाख में)

	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
04.01.31	सहायता अनुदान-सामान्य	916.00
04.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	314.00
	बीज संगठन	
04.02.31	सहायता अनुदान-सामान्य	453.00
04.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	147.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
04.03.31	सहायता अनुदान-सामान्य	47.00
04.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13.00
	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
04.04.31	सहायता अनुदान-सामान्य	17.00
04.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
04.05.31	सहायता अनुदान-सामान्य	1355.00
04.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	4645.00
	कुल योजना [उ-पू]	**7,910.00**

कुल योग (गैर योजना + योजना + गैर आकलित)

(₹ लाख में)

	प्रशासनिक व्यय के प्रति अनुदान	
	सहायता वेतन	27,917.00
	निर्यात संवर्धन / ब्राण्ड संवर्धन भारेनिसंप व भारेमासं द्वारा तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	75.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	25.00
	अ व वि, प्रशिक्षण, टीओटी व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान-सामान्य	3,317.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1,133.00
	बीज संगठन	
	सहायता अनुदान-सामान्य	2,300.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	756.00
	समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	707.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	195.00

	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान-सामान्य	36.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	6.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
	सहायता अनुदान-सामान्य	4,445.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13,696.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	275.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2,225.00
	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान-सामान्य	85.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	कुल योग	**57,767.00**

• आंतरिक लेखा-परीक्षा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध बोर्ड सचिवालय तथा केतअवप्रसं,राँची (आंलेपद-ए), केरेअवप्रसं, बहरमपुर (आंलेपद-बी), केरेअवप्रसं, मैसूरु (आंलेपद-सी), क्षेरेअके, जम्मू (आंलेपद-डी)तथा मूरेबीसं, गुवाहाटी (आंलेपद-ई) में गठित 5 आंचलिक लेखा परीक्षा दलों ने वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए निम्नानुसार केरेबो इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित की है :

क्रम सं	आं ले प दल का नाम	शामिल की गई वास्तविक इकाई		योग
		प्रत्यायोजित	अ-प्रत्यायोजित	
1	के का - आं ले प दल	39	21	60
2	आंलेपद - ए, केतअवप्रसं, राँची	21	08	29
3	आंलेपद - बी, केरेअवप्रसं, बहरमपुर	13	10	23
4	आंलेपद - सी, केरेअवप्रसं, मैसूरु	21	19	40
5	आंलेपद - डी, क्षेरेअके, जम्मू	13	20	33
6	आंलेपद -ई, मूरेबीसं, गुवाहाटी	03	18	21
	कुल	**110**	**96**	**206**

2013-14 के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थित केरेबो की 13 इकाइयों की लेखा परीक्षा पीडीसी, एमएबी, हैदराबाद तथा अन्य राज्यों के पीडीसी ने संचालित कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और समय समय पर पीडीसी को उपयुक्त उत्तर भी भेजा गया है ।

2013-14 के दौरान विभिन्न अनुभागों से प्राप्त 42 संदर्भित फाइलों में लेखा परीक्षा राय भी दी गई है ।

रेशम उत्पादन सांख्यिकी

रेशम उत्पादन सांख्यिकी

• कच्चा रेशम उत्पादन

भारत को पॉचों प्रकार के रेशम अर्थात् शहतूती, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी तथा मूगा का उत्पादन करने वाले एक मात्र देश का गौरव प्राप्त है जिसमें स्वर्णिम पीला एवं चमकने वाला मूगा, भारत का अनुपम एवं विशिष्ट उत्पाद है । वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में कच्चे रेशम का कुल वार्षिक उत्पादन 26,480 मी.टन था, जिसमें शहतूती कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 19,476 मी.टन (73.55%) रहा । शेष 7,004 मी.टन (26.45%) का उत्पादन वन्य रेशम (तालिका-1) का था :

तालिका 1: 2013-14 के दौरान देश में कच्चे रेशम का उत्पादन

#	विवरण	लक्ष्य 2013-14 (मी.टन)	2013-14 (मी.टन)	लक्ष्य की प्राप्ति का %	2012-13 (मी.टन)	2012-13 की तुलना में वृद्धि/कमी
क	शहतूत पौधारोपण (हेक्टेयर)	215660	203023	94.1	186015	9.1
ख	शहतूत कच्चा रेशम (मी.टन)					
	द्विप्रज	2480	2559	103.2	1984	29.0
	संकर नस्ल	17205	16917	98.3	16731	1.1
	उप - कुल (ख)	19685	19476	98.9	18715	4.1
ग	वन्य रेशम (मी.टन)					
	तसर	2310	2619	113.4	1729	51.5
	एरी कता रेशम	3345	4237	126.7	3116	36.0
	मूगा	140	148	105.5	119	24.3
	उप - कुल (ग)	5795	7004	120.9	4964	41.1
	कुल (ख+ग)	**25480**	**26480**	**103.9**	**23679**	**11.8**

स्रोत : राज्य के रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त रिपोर्ट से संकलित

वर्ष 2013-14 में देश में कच्चे रेशम का उत्पादन, वर्ष 2012-13 के 23,679 मी.टन की तुलना में सभी समय से बढ़कर 26,480 मी.टन पहुँच गया। वर्ष 2012-13 के 18,715 मी.टन की तुलना में 2013-14 के दौरान देश में शहतूती कच्चे रेशम का उत्पादन 19,476 मी.टन था जिससे 4.1% की वृद्धि हुई । आगे, 2012-13 के 4,964 मी.टन की तुलना में 2013-14 के दौरान वन्य रेशम का उत्पादन 7,004 मी.टन था जो उत्पादन में 41.1% की वृद्धि दर्शाता है । 2013-14 के दौरान द्विप्रज तसर, एरी एवं मूगा रेशम का क्रमश: 2559 मी. टन 2619 मी.टन 4237 मी.टन तथा 148 मी.टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

बड़े पैमाने पर उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने, उविका तथा राज्य की योजनाओं के कार्यान्वयन, समय पर गुणवत्ता बीज की आपूर्ति, कोसे तथा कच्चे रेशम के मूल्य का स्थिरीकरण, कच्चे रेशम के आयात में कमी तथा राज्य विभागों के साथ उचित समन्वयन एवं अनुश्रवण आदि के परिणाम स्वरूप 2013-14 में रेशम उत्पादन में उत्कृष्ट निष्पादन हुआ । 2012-13 की तुलना में 2013-14 के कच्चे रेशम का राज्य-वार एवं प्रजाति-वार उत्पादन अनुबंध 1(क) व 1(ख) में दिया गया है ।

पिछले तीन वर्ष के शहतूत क्षेत्रफल, कच्चा रेशम उत्पादन तथा प्रजाति-वार वन्य रेशम का उत्पादन चित्र 1क ,1ख,1ग तथा 2क, 2ख व 2ग में दर्शाया गया है।

कच्चे रेशम का मूल्य :

शहतूत कच्चे रेशम का मूल्य : वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कर्नाटक के सभी रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए सभी किस्म के कच्चे रेशम का औसत मूल्य तालिका 2 में दिया गया है। फिलेचर/कुटीर थाला का औसत मूल्य 2012-13 के रु 2235/ किग्रा से 29.68% बढकर 2013-14 में रु. 2899/किग्रा हो गया। इसी प्रकार 2012-13 का चरखा रेशम रु 2182/कि ग्रा से 23.95% बढ़कर 2013-14 में रु 2704/किग्रा रहा ।

तालिका 2: कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए कच्चे रेशम के औसत मूल्य

(मूल्य: रु./कि ग्रा)

माह	फिलेचर/कुटीन थाला		चरखा		डुपियॉन	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
अप्रैल	1910	2529	1759	2380	959	941
मई	2020	2539	1949	2482	1039	988
जून	2011	2649	2016	2478	868	907
जुलाई	2111	2654	2105	2520	1028	979
अगस्त	2227	2766	2235	2580	1250	1080
सितम्बर	2366	3071	2265	2902	1021	1147
अक्टूबर	2313	3030	2205	2806	1223	1482
नवम्बर	2347	3120	2153	3223	1267	1081
दिसम्बर	2303	3182	2281	2643	969	1381
जनवरी	2391	3082	2327	2991	1100	1325
फरवरी	2313	3042	2396	2565	1334	1098
मार्च	2439	2879	2270	2471	1011	1490
औसत	**2235**	**2899**	**2182**	**2704**	**1096**	**1096**
पिछले वर्ष में वृद्धि का %		**29.68**		**23.95**		**0.01**

स्त्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए फिलेचर/कुटीर थाला एवं चरखा रेशम का मूल्य क्रमश: चित्र 3क तथा 3ख में दिया गया है।

शहतूत कोसा मूल्य: वर्ष, 2012-13 की तुलना में वर्ष, 2013-14 के दौरान कर्नाटक के रामनगरम बाज़ार में द्विप्रज संकर धागाकरण कोसे तथा रामनगरम एवं सिद्दलगट्टा बाजारों में उन्नत संकर नस्ल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य तालिका 3 में दिया गया है । सरकारी कोसा बाजार रामनगरम में द्विप्रज कोसे का औसत मूल्य 2012-13 के रु 309/किग्रा से 24.18% बढ़कर 2013-14 में रु 384/ किग्रा हो गया। इसी प्रकार संकर नस्ल धागाकरण कोसों की वृद्धि रामनगरम बाजार में 26.63% तथा सिद्दलगट्टा बाजार में 29.28% दर्ज की गई।

तालिका 3: कर्नाटक के विभिन्न बाजार में द्विप्रज संकर तथा संकर नस्ल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य

(मूल्य: रु./कि ग्रा)

नस्ल	द्विप्रज		उन्नत नस्ल			
बाज़ार	रामनगरम		रामनगरम		सिद्दलगट्टा	
वर्ष	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
अप्रैल	250	353	210	302	235	312
मई	269	387	221	322	260	347
जून	294	396	241	319	250	362
जुलाई	312	354	254	308	259	326
अगस्त	321	365	268	315	278	334
सितम्बर	312	402	258	326	272	367
अक्टूबर	291	348	239	292	251	313
नवम्बर	303	386	259	334	254	356
दिसम्बर	332	400	278	353	288	370
जनवरी	346	423	295	357	296	373
फरवरी	342	428	287	360	298	376
मार्च	338	365	284	330	302	357
औसत	**309**	**384**	**258**	**327**	**270**	**349**
पिछले वर्ष में वृद्धि का %		**24.18**		**26.63**		**29.28**

रामनगरम बाज़ार में द्विप्रज संकर धागाकरण कोसे तथा रामनगरम एवं सिद्दलगट्टा बाजारों में उन्नत संकर नस्ल धागाकरण कोसों का मूल्य क्रमश: चित्र 4क ,4ख तथा 4 ग में दिया गया है ।

वन्य रेशम : 2012-13 के तुलनात्मक ऑकडे सहित वर्ष 2013-14 में वन्य रेशम उत्पादन राज्यों के प्रमुख बाजारों में कोसा एवं तसर कच्चा रेशम, एरी एवं मूगा के मूल्य तालिका 4 में दिये गये हैं।

तालिका 4: वन्य कोसा एवं कच्चे रेशम का मूल्य (इकाई : मूल्य : रु./कि ग्रा)

क़िस्म	2012-13	2013-14
क) तसर मूल्य *		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं.)		
क) रैली	2200-2800	2700-3200
ख) डाबा	1200-2200	2100-2900
2. धागाकृत सूत	2000-2750	2415-3200
3. घीचा सूत	1200-1600	1400-1700
ख) एरी मूल्य **		
1. काटे गए कोसे	360-600	360-640
2. स्पॅन सूत	1100-1500	1200-1600
ग) मूगा मूल्य **		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं.)	1200-1600	1400-2000
2. कच्चा रेशम		
क) ताना सूत	10000-12000	1000-15000
ख) बाना सूत	8000-9000	8000-12000

टिप्पणी : *चाईबासा (झारखण्ड),चंपा व रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा भागलपुर (बिहार) बाजारों में तसर मूल्य. **गुवाहाटी (असम) बाजार में एरी एवं मूगा मूल्य

स्रोत : कच्चा माल बैंक,केरेबो, चाईबासा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी

• आयातित शहतूत कच्चा रेशम (चीन) का मूल्य

वर्ष, 2012-13 की तुलना में वर्ष, 2013-14 के दौरान, 3 ए श्रेणी एवं अधिक की श्रेणी के आयातित चीनी शहतूती कच्चे रेशम के अवतरित मूल्य इसके विक्रय मूल्य सहित तालिका 5 में अमेरिकी डालर में दिए गए हैं। 2012-13 में 47-56 अमेरीकी डॉलर / किग्रा की तुलना में 2013-14 में आयातित रेशम के अवतरित मूल्य की श्रेणी 54-56 अमेरीकी डॉलर / किग्रा रही।

तालिका 5 : आयातित कच्चे रेशम का मूल्य

(मूल्य : अमेरिकी डालर/किग्रा)

	अवतरित मूल्य (3 ए श्रेणी एवं अधिक की श्रेणी) *				वाराणसी बाज़ार मूल्य **			
	2012-13		2013-14		2012-13		2013-14	
माह	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
अप्रैल	47.00	50.00	54.00	55.00	48.26	51.83	57.93	61.60
मई	47.00	50.00	54.00	55.00	48.65	49.94	58.17	63.62
जून	46.00	49.00	55.00	56.00	48.09	50.15	57.36	63.36
जुलाई	46.00	49.00	55.00	56.00	48.65	50.46	53.20	63.57
अगस्त	47.00	50.00	55.00	56.00	50.40	52.65	60.51	66.45
सितम्बर	47.00	50.00	55.00	56.00	50.36	51.46	62.75	66.51
अक्टूबर	50.00	51.00	55.00	56.00	50.92	53.38	64.10	66.54
नवम्बर	51.00	52.00	55.00	56.00	50.20	54.76	63.31	63.87
दिसम्बर	51.00	52.00	55.00	56.00	53.25	54.16	64.04	64.61
जनवरी	53.00	55.00	55.00	56.00	57.07	57.44	63.88	64.44
फरवरी	55.00	56.00	55.00	56.00	58.02	60.44	63.69	64.26
मार्च	54.00	55.00	55.00	56.00	60.11	60.66	66.07	66.66

टिप्पणी : * अवतरित मूल्य

** वाराणसी बाजार में प्रचलित बिक्रय मूल्य जिसमें सीमा-शुल्क शामिल है।

स्रोत : * क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, मुंबई द्वारा मेसर्स शाह ट्रेडिंग कंपनी, मुंबई से संग्रहित।

** प्रमाणन केन्द्र, केरेबो, वाराणसी

• रेशम वस्तुओं का आयात एवं निर्यात

रेशम वस्तुओं का निर्यात

वस्त्र, बने-बनाये और सिले-सिलाये पोशाक भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं, जो देश के कुल रेशम वस्तुओं के निर्यात का लगभग 95% आता है। वर्ष, 2012-13 में रु. 2303.58 करोड़ (423.37 मिलियन अमेरीकी डॉलर) की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय रु. 2480.89 करोड़ (410.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जो रुपए में 7.7% की वृद्धि तथा अमेरीकी डॉलर में 3.01% की कमी दर्शाता है। (तालिका-6 तथा चित्र 5)

2013-14 के दौरान, पिछले वर्ष से बने बनाए वस्त्र एवं रेशम अपशिष्ट से प्राप्त निर्यात आय में वृद्धि हुई । तथापि प्राकृतिक रेशम सूत, कपड़ा निर्मित वस्त्र एवं कालीन के निर्यात आय में कमी हुई।

तालिका 6 : 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम एवं रेशम माल से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

क्रम सं	निर्यात मदें	2013-14		2012-13		% वृद्धि /कमी	
		करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.	करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.	करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.
1	प्राकृतिक रेशम सूत,वस्त्र, निर्मित वस्त्र,	1491.88	246.93	1432.32	263.24	4.16	-6.20
2	बने बनाए वस्त्र	874.00	144.65	787.15	144.67	11.03	0.01
3	रेशम कालीन	15.71	2.60	21.14	3.89	-25.69	-33.08
4	रेशम अपशिष्ट	99.30	16.43	62.97	11.57	57.69	42.01
	योग	**2480.89**	**410.61**	**2303.58**	**423.37**	**7.70**	**-3.02**

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, हॉगकॉग और सिंगापुर भारतीय रेशम माल के परम्परागत प्रमुख बाज़ार हैं । वर्ष, 2013-14 के दौरान, सर्वोच्च आयातक देशों के साथ निर्यात आय, कुल निर्यात आय का 62.68% है, जो 2012-13 के दौरान उसी स्थानों से किये गये निर्यात की तुलना में 4.05% की वृद्धि दर्शाता है। 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय तालिका-7 में दी गई है।

तालिका- 7 : 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

क्रम सं	देश +	2013-14		2012-13		% वृद्धि /कमी
		करोड़ ₹	% हिस्सा	करोड़ ₹	% हिस्सा	
1	सं राज्य अमेरिका	372.99	15.03	384.17	16.68	-2.91
2	सं अरब अमीरात	400.56	16.15	298.95	12.98	33.99
3	ब्रिटेन	191.48	7.72	217.88	9.46	-12.12
4	फ्रांस	121.79	4.91	121.19	5.26	0.50
5	इटली	120.10	4.84	112.04	4.86	7.19
6	जर्मनी गणराज्य	114.88	4.63	103.53	4.49	10.96
7	सउदी अरब	25.45	1.03	82.68	3.59	-69.22
8	स्पेन	55.87	2.25	71.71	3.11	-22.09
9	अफगानिस्तान	76.37	3.08	51.32	2.23	48.81
10	चीन गणराज्य	75.66	3.05	51.13	2.22	47.98
	अन्य	925.76	37.32	808.98	35.12	14.44
	योग	**2480.89**	**100.00**	**2303.58**	**100.00**	**7.70**

टिप्पणी : + सर्वोच्च 10 देशों का संदर्भ

स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

रेशम वस्तु का आयात

कच्चा रेशम, वस्त्र और सिले-सिलाये पोशाक प्रमुख आयात की सामग्रियां हैं, जिनका आयात कुल आयात का लगभग 93% है । वर्ष, 2012-13 के ₹ 1726.58 करोड़ (317.33 मिलियन अमेरिकी डालर) की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम वस्तुओं का आयात मूल्य ₹ 1357.22 करोड़ (224.63 मिलियन अमेरिकी डालर) है, जो रुपए में 21.39% तथा अमेरिकी डालर में 29.21% की कमी दर्शाता है (तालिका-8) । कच्चे रेशम के आयात की मात्रा भी वर्ष, 2012-13 के 4959 मी.टन से 34.26% घटकर 2013-14 में 3260 मी.टन हुआ । 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान आयात रेशम एवं रेशम मालों के मूल्य तालिका-8 में दी गई है । आयातित कच्चे रेशम की कुल मात्रा चित्र-6 में दी गई है ।

तालिका 8 : 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान रेशम एवं रेशम माल से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

क्रम सं	निर्यात मदें	2013-14		2012-13		% वृद्धि /कमी	
		करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.	करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.	करोड़ ₹	मिलियन अ.डा.
1	प्राकृतिक रेशम सूत	100.07	16.56	80.26	14.75	24.68	12.27
2	कच्चा रेशम	896.44 (3260 मी.ट.)	148.37	1238.56 (4959 मी.ट.)	227.63	-27.62	-34.82
3	वस्त्र व निर्मित वस्त्र	360.71	59.70	407.76	74.94	-11.54	-20.34
	कुल	**1357.22**	**224.63**	**1726.58**	**317.33**	**-21.39**	**-29.21**

टिप्पणी : कोष्ठक के ऑकड़े आयातित कच्चे रेशम की मात्रा दर्शाते हैं

स्त्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

अनुबंध

अनुबंध - I

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु - 560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों की दिनांक 31.03.2014 को यथाविद्यमान सूची

क्रम सं.	सदस्य का नाम व पता
I	धारा 4(3)(क) के अधीन
1	**श्री एन. एस. बिस्से गौड़ा,** अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु, कर्नाटक. (12.12.2012 से 11.12.2015) **आवासीय पता :** सं. 4,16 वाँ क्रास, 6वाँ मेन, एइसीएस लेआउट, संजय नगर, बेंगलूरु - 560 094, कर्नाटक आवास : 080 - 2341 5899 (मो) : 098453 90139
II	धारा 4(3)(ख) के अधीन
2	**श्रीमती मोनिका एस.गर्ग,** भा प्र से, संयुक्त सचिव (रेशम) एवं उपाध्यक्ष, केरेबो, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, "उद्योग भवन", नई दिल्ली - 110 011 (07.05.2013 से 06.05.2016) कार्या. : 011 - 2306 1450 फैक्स: 011 - 2306 2741 ई-मेल : ms.garg@nic.in
3	**श्रीमती नीलम एस. कुमार,** मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, "उद्योग भवन", नई दिल्ली -110 107 (27.07.2012 से 26.07.2015)
4	**श्रीमती ईशिता रॉय,** भा प्र से, सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बी टी एम लेआउट, मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068, कर्नाटक (03.10.2011 से 02.10.2014) कार्या: 080 - 2668 0190 फैक्स: 080-2668 1511 ई-मेल: ms@csb.gov.in
III	धारा 4(3)(ग) के अधीन
5	**डॉ. पुलिन बिहारी बस्के,** सांसद (लोक सभा) 405, वी. पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 (27.08.2012 से 26.08.2015) (मो) 09013180250 ई-मेल. pb.baske@sansad.nic.in **आवास :** "स्वप्नपुरी" कोठी बाज़ार, डाकघर. मेंदिनीपुर जिला, पश्चिम मेंदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-721 101 दूरभाष: 03222-263238 फैक्स : 03222-276919
6	**श्री पी. सी. मोहन,** सांसद (लोक सभा) 1928, 30 वाँ क्रास, 12 वाँ मेन, बनशंकरी 2 वाँ स्टेज, मोनोटाइप, जी. के. कल्याण मंडपम, बेंगलूरु - 560 050, कर्नाटक फैक्स: 080- 2271985 (27.08.2012 से 26.08.2015) दूरभाष : (कार्या) 080 - 22865454, 22865656 (आवास) 080-26760450 (मो) 9845003600 सं.160, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली -110 011 दूरभाष: 011-23016074(मो) 9013180136
7	**श्री एम. के. राघवन,** सांसद (लोक सभा) सं. 204, केरल हाउस, नई दिल्ली -110 001 (27.08.2012 से 26.08.2015) (मो) 9013180178, 9847341577 फैक्स: 011-23745523 **आवास :** "अशोका" सिविल व्यू स्ट्रीट, डाकघर - सिविल स्टेशन, कोष़िकोड - 673 020, केरल दूरभाष : 0495 - 2376622, (मो) 9446063011 फैक्स: 0495 - 2376611

8 **श्री ई. जी. सुगावणम,**
सांसद (लोक सभा),
173/128-बी, कृष्णगिरि मेन रोड,
बरूगुर - 635 104, कृष्णगिरि जिला (त.ना.)
(27.08.2012 से 26.08.2015)
(मो) 94432 65405 (कार्या) 04343-265405
(आवास) 04343-266205
ई-मेल: egsugu.nic@yaho

श्री ई.जी. सुगावणम, सांसद (लोक सभा),
#119, साउथ एवेन्यू नई दिल्ली-110 001
(आ) 011-23795257 (मो) 09868180354

9 **श्री मणि शंकर अय्यर,**
(सांसद) राज्य सभा,
सं.12, सफ़दरजंग लेन, दिल्ली ज़िमखाना क्लब
निकास फाटक के सामने,
नई दिल्ली - 110 011
(04.05.2012 से 03.05.2015)
(कार्या) 011-23795402 (मो) 9868217868
ई-मेल: manirsmp@gmail.com
आवासीय पता:
सं.12, अवैयाम्बलपुरम मेलियादुत्राई - 709 001
तमिलनाडु. दूरभाष : 04364 - 221234

10 **श्री बसवराजा पाटिल,**
सांसद (राज्य सभा),
सं. सी-703, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ. बी. डी. मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001
(04.05.2012 से 03.05.2015)
दूरभाष: 011-23737833 (मो) 09448476153
ई-मेल: bpatil.mp@gmail.com
आवासीय पता:
सं. 3/1/28, विद्यानगर कालोनी, सेडम,
गुलबर्गा जिला - 585 222, (मो) 09448476153

IV धारा 4(3)(घ) के अधीन

11 **श्री एम. के. शंकरलिंगे गौड़ा,** भा प्र से,
प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार,
बागवानी विभाग, कमरा सं. 404, चौथा तल,
3 रा फाटक,एम.एस. बिल्डिंग, बेंगलूरु - 560 001
[09.09.2011 से 08.09.2014]
(का) 080-22353939 (आ) 080-25449737
फैक्स : 080-22385687
ई-मेल: secyhorti-ah@karnataka.gov.in
मोबाइल: 98440 39168

12 **श्री जी. सतीश,** भ व से,
आयुक्त, रेशम उत्पादन विभाग एवं निदेशक,
रेशम उत्पादन, कर्नाटक सरकार,
डॉ. अम्बेदकर वीधि, एम.एस. बिल्डिंग,
बेंगलूरु - 560 001
[09.09.2011 से 08.09.2014]
(कार्या.) 080-22253856
फैक्स: 080-22353881
(मो) 9845256115
आवास : 080 - 23419096

13 **रिक्त - कर्नाटक**

14 **रिक्त - कर्नाटक**

15 **रिक्त - कर्नाटक**

V धारा 4(3)(ङ) के अधीन

16 **श्री हरमन्दर सिंह,** भा प्र से,
सरकार का प्रधान सचिव, हथकरघा,
हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग,
तमिलनाडु सरकार, सचिवालय,
फोर्ट सेंट जोर्ज,
चेन्नई - 600 009
(23.03.2011 से 22.03.2014)
(कार्या) 044-2561623
फैक्स : 044 - 25672261
(मो) 091 944312 24282
ई-मेल: htksec@tn.gov.in
वेब: www.tn.gov.in

VI धारा 4(3)(च) के अधीन

17 **डॉ. अश्विनी कुमार यादव,** भा प्र से,
आयुक्त, वस्त्र एवं रेशम उत्पादन,
पश्चिम बंगाल सरकार, 6 वाँ तल, ब्लॉक-ए,
नया सचिवालय भवन, 1 के.एस. रॉय रोड,
कोलकाता - 700 001
(29.07.2011 से 28.07.2014)
(कार्या.) 033-2262 2914
फैक्स : 033 - 2262 1812
ई-मेल : cotwestbengal@gmail.com

18 **श्री हूमायूँ कबीर,**
ग्राम- नारकेल बाड़ी, डाकघर - सोमपारा,
थाना - शक्तिपुर, जिला - मुर्शिदाबाद,
पिन - 742163, पश्चिम बंगाल
(01.08.2013 से 31.07.2016)

VII धारा 4(3)(छ) के अधीन

19 **श्रीमती सी. एस. रमालक्ष्मी,** भा व से,
आयुक्त, रेशम उत्पादन,
आंध्र प्रदेश सरकार, रोड सं.72,
प्रशासन नगर, पानी टंकी के पास,
जुबिली हिल्स, हैदराबाद - 500 033
(21.11.2011 से 20.11.2014)
(कार्या) : 040-23541339/23541534/43/47
फैक्स : 040-23541543 (मो) 9849903399

20 **श्री रामानन्द फुकन,** अ आ से,
निदेशक, रेशम उत्पादन, असम सरकार,
रेशम उत्पादन निदेशालय,
(अनुसंधान फाटक के पास)
गुवाहाटी - 781 022 (असम)
(01.06.2011 से 31.05.2014)
फैक्स : 0361-2361021
मोबाइल : 094351 68333

21 **श्री नरेन्द्र कुमार सिंह,** भा प्र से,
निदेशक, हथकरधा व रेशम उत्पादन,
उद्योग विभाग, बिहार सरकार,
विकास भवन, पटना - 800 015
(25.03.2011 से 24.03.2014)
(कार्या) 0612-2215637
फैक्स: 0612-2226637 (मो) 94314 85168

22 **प्रधान सचिव,**
ग्रामोद्योग विभाग, रेशम उत्पादन अनुभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार, सोनाखान भवन,
रिंग रोड, रायपुर - 492 006, छत्तीसगढ़
(24.06.2013 से 23.06.2016)

23 **श्री अरूण कुमार सोलंकी,** भा प्र से,
आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, गुजरात सरकार,
ब्लॉक सं. 7, उद्योग भवन, गाँधी नगर, गुजरात
(01.06.2011 से 31.05.2015)
फैक्स: 079-2325 9479 (का) 079-2325 9479

24 **श्री धीरेन्द्र कुमार,** भा व से,
विशेष सचिव व निदेशक, हथकरघा,
रेशम उत्पादन व हस्तशिल्प, उद्योग विभाग,
झारखण्ड सरकार,नेपाल हाउस,
डोरंडा, राँची - 834 002
(07.05.2013 से 06.05.2016)
0651-2591305 फैक्स: 0651-2491858
(मो) 97714 34645
ई-मेल: jharkhand_sericulture@rediffmail.com

25 **श्री एस. डी. पटेरिया,** आई एफ एस,
निदेशक, रेशम उत्पादन,
मध्य प्रदेश सरकार, लोअर बेसमेण्ट,
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462 004
(01.06.2011 से 31.05.2014)
(का) 0755-2552118 (आ) 0755-2480689
(मो) 094251 08747
ई-मेल: spateriya@gmail.com

26 **श्री विष्णु स्वरूप मिश्र,** भा प्र से,
निदेशक, रेशम उत्पादन व बुनाई, रेशम उत्पादन
निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार,
एल डी ए कामर्शियल काम्प्लेक्स,
प्रथम तल, विश्वासखंड - III,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश
(16.10.2012 से 15.10.2015)
कार्यालय : 0522-2309485, 0522-2309630
फैक्स : 0522 - 2308566

27 **डॉ. सुधीर मोहन शर्मा,**
निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय,
उत्तराखण्ड सरकार, प्रेमनगर, देहरादून-248 007
(07.05.2013 से 06.05.2016)
कार्या. दूरभाष सं. 2773227, 2774130
फैक्स : 2774744 आवास : 2774011
मोबाइल : 9412056895
ई-मेल: dosua2002@yahoo.com

VIII धारा 4(3)(ज) के अधीन

28 **डॉ. मलिक फारूख,**
निदेशक, रेशम उत्पादन विकास विभाग,
जम्मू व कश्मीर सरकार, तुलसीबाग,
रेशम कारखाना रोड, श्रीनगर-190 009 (ज व क)
(21.11.2011 से 20.11.2014)
कश्मीर : 2313309 / 2313247

IX धारा 4(3)(झ) के अधीन

29 **डॉ. सी. जे. हिवारे,**
निदेशक (रेशम उत्पादन), महाराष्ट्र सरकार,
प्रशासनिक भवन सं. 2, 6 वाँ तल, बी-विंग,
सिविल लाइन्स, आयुक्त कार्यालय परिसर,
सिविल लाइन्स नागपुर - 440 001
(07.05.2013 से 06.05.2016)
दूर. : 0712-22569927/28
फैक्स : 0712-2569928

30 **श्री चंदन बसेरा,**
निदेशक, रेशम उत्पादन निदेशालय,
नागालैण्ड सरकार, नया सचिवालय
काम्प्लेक्स के नीचे, कोहिमा - 797 001, नागालैण्ड
(07.05.2013 से 06.05.2016)
कार्यालय: 0370-2270939
(मो) 9158106540, 9423472437
09612166916

31 **श्री मोहन चौहान,** भा प्र से,
निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश सरकार,
उद्योग भवन, बिमलोइ, शिमला -171 001
(25.03.2011 से 24.03.2014)
(कार्या) 0177-2813414 (मो) 094180 54077

X धारा 4(3)(ञ) के अधीन

32 **श्री आर. के राम कृष्णप्पा,**
मेलुर डाकघर, सिद्दलगट्टा तालुक,
चिक्कबल्लापुर - 562 102, कर्नाटक
(05.09.2013 से 04.09.2016)
08158 - 251188 (मो) 99023 30380

33 **श्री एम. पी. लक्ष्मीकान्त,**
सं. 1554, 16 वाँ मेन, एम. सी. लेआउट,
विजयनगर, बेंगलूरु - 560 040
(05.09.2013 से 04.09.2016)
080 -2335 0369 (मो) 93412 18956

34 **श्री अब्दुल गनी वकील,**
टी-17, तुलसी बाग,
श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
(26.09.2013 से 25.09.2016)
(मो) 09419008090

35 **श्री आज़ाद कुमार चलासानी,**
प्लाट सं.158, एमएलए, एमपी. कालोनी,
रोड सं. 10-सी, जुबिली हिल्स,
हैदराबाद-500 034, आन्ध्र प्रदेश
(12.09.2013 से 11.09.2016)
040 - 2355 4457 (मो) 098490 44755

36 **श्री एन. रमेश**
यलुहल्ली, चिक्कबल्लापुर तालूक,
चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक
(12.09.2013 से 11.09.2016)
(मो) 9845221343

37 **श्री बी. सी. उमेश बाबू**
आवास # 342, "मेथाला" वार्ड सं. 3,
शिव मंदिर के पास, डोम्मासान्द्रा,
सरजापुर होब्ली, आनेकल तालुक,
बेंगलूरु - 562 125, कर्नाटक
(18.09.2013 से 17.09.2016)
080 - 2782 2037
ई-मेल: ubabu2008@gmail.com

38 **श्री आर. एच. जयराम रेड्डी,**
ग्राम-क्षीरसागरम, कोंगातम डाकघर,
वी. कोटामंडल, चित्तूर जिला - 517 424,
आध्र प्रदेश
(27.09.2013 से 26.09.2016)

39 **श्री पिट्चिकला लक्ष्मीनारायण,**
ग्राम-बदराला, वेमुलापल्ली डाकघर,
लिंगापलेम मंडल, पश्चिमी गोदावरी जिला,
आन्ध्र प्रदेश - 534 452
(17.10.2013 से 16.10.2016)
08823 - 242439 / 213355
(मो) 09440658564,
ई-मेल: lakshminarayanap1966@gmail.com

XI स्थायी आमंत्रित

1 **वस्त्र आयुक्त**
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, न्यू सी जी ओ भवन
48, न्यू मरीन लाइन, पी बी सं 11500
मुम्बई-400 020. (का): 022 - 2004510
महाराष्ट्र
(आ) 022-2201444
फैक्स : 022 - 2004693

2 **अध्यक्ष**
भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्,
बी-1 विस्तार, ए-39,
मोहन सहकारी औद्योगिक आस्थान,
मथुरा रोड, नई दिल्ली -110 044,
दूरभाष और फैक्स : 011-4057 1366
ई-मेल: roisepc@gmail.com

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की संगठनात्मक रूपरेखा

श्री एन.एस. बिस्से गौड़ा
अध्यक्ष

↓

श्रीमती मोनिका एस. गर्ग
उपाध्यक्ष

↓

श्रीमती ईशिता रॉय
सदस्य-सचिव

डॉ.बी.शरत्चन्द्र
निदेशक
बोर्ड सचिवालय,
बेंगलूरु (कर्नाटक)

क्षेका/प्रके	-13
पका, किशनगंज	- 1
चॉकीके	- 1
सविके	- 2
कमाबैं	- 1
उप डिपो	- 4
मूकमाबैं	- 1
उप डिपो	- 1
भारेमासं	- 2

श्रीमती पी.वी. लीला
निदेशक (वित्त)
बोर्ड सचिवालय, बेंगलूरु
(कर्नाटक)

डॉ. सी. गुरुप्रसाद राव
वैज्ञानिक-घ
रेजैप्रौअप्र, बेंगलूरु
(कर्नाटक)

डॉ. ए. मंजुला
निदेशक
केरेजसंके, होसूर
(तमिल नाडु)

डॉ. बी.बी.बिन्द्रू
निदेशक, केरेअवप्रसं
बहरमपुर
(पश्चिम बंगाल)

क्षेरेअके	- 4
अविके	- 12
उप इकाई	- 2
फार्म	- 1

डॉ. वी. शिवप्रसाद
निदेशक, रारेबीसं
बेंगलूरु (कर्नाटक)

आँरेबीसं	- 2
फार्म	- 20
रेबीउके	- 21
रेसेके	- 32
बीकोक्रके	- 3
रेबीप्रौप्र	- 1
शी सं	- 3
रेसेइ	- 30

डॉ. एस.एम.एच. कादरी
निदेशक, केरेअवप्रसं,
मैसूरु (कर्नाटक)

क्षेरेअके	- 4
उरेप्रके	- 1
अविके	- 19
उप इकाई	- 11
फार्म	- 1
सविके	- 2
ससंके	- 1

डॉ. मनोज कुमार सिन्हा
वैज्ञानिक-घ
केतअवप्रसं
राँची (झारखंड)

क्षेतअके	- 8
अविके	- 14
पी4 केन्द्र	- 3

डॉ. अरिन्दम बसु
निदेशक, केरेप्रौअसं
बेंगलूरु
(कर्नाटक)

रेअप्रगृ	- 6
प्रवतसेके	- 9
पारि-प.प्र	- 1
वपप्र	- 1
आँच. कार्यालय	- 1
क्षेरेप्रौअके	- 1
कोपके	- 3
करेपके	- 2

डॉ. के.ए. सहाफ़
निदेशक, केरेअवप्रसं
पाम्पोर
(जम्मू व कश्मीर)

क्षेरेअके	- 3
अविके	- 12
उप इकाई	- 5
फार्म	- 1
रेप्रवि	- 1
सविके	- 1

डॉ. के. गिरिधर
निदेशक
केमूएअवप्रसं
लाहदोईगढ़ (असम)

क्षेमूअके	- 1
क्षेएअके	- 2
अविके	- 2
मू अविके	- 3
उप इकाई	- 1
एरी अविके	- 2
क्षेत्र प्रयो.	- 1

डॉ. पी. जयप्रकाश
वैज्ञानिक-घ, मूरेबीसं
गुवाहाटी (असम)

फार्म	- 8
मूगा रेबीउके	- 1
एरेबीउके	- 5

निदेशक
बुतरेबीसं, बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

केतरेबीके	- 1
बुबीप्रप्रके	- 21
क्षेत्र इकाई	- 1

बुबीप्रप्रके	बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केंन्द्र
बुतरेबीसं	बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन
केरेजसंके	केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केंद्र
केमूएअप्रसं	केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रके	प्रमाणन केन्द्र
सविके	समूह विकास केन्द्र
ससंके	समूह संवर्धन केन्द्र
शीसं	शीतागार संयंत्र
केरेअप्रसं	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
केरेप्रौअसं	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
कोपके	कोसा परीक्षण केन्द्र
केतअप्रसं	केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
प्रवतसेके	प्रदर्शन व तकनीकी सेवा केन्द्र
रेसेके	रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र
मूकमाबै	मूगा कच्चा माल बैंक
मूरेबीसं	मूगा रेशमकीट बीज संगठन
रारेबीसं	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन

अविके	अनुसंधान विस्तार केन्द्र
क्षेएअके	क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
कमाबै	कच्चा माल बैंक
क्षेमूअके	क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षेका	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेरेअके	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
करेपके	कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र
क्षेतअके	क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रेजैप्रौअप्र	रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला
बीकोक्रके	बीज कोसा क्रय केन्द्र
रेअपगृ	रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
रेबीउके	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
रेबीप्रौप्र	रेशमकीट बीज प्रौद्योगिक प्रयोगशाला
आँरेबीसं	आँचलिक रेशमकीट बीज संगठन
व प प्र	वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला
रेसेइ	रेशम उत्पादन सेवा इकाई
स्माई	भारतीय रेशम मार्क संगठन

31.03.2014 को यथा विद्यमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाई

अनुबंध - II (ख)

केरेअ व प्रसं, मैसूरु (40)

क्षेरेअके बेंगलूरु
क्षेरेअके चामराजनगर
क्षेरेअके सेलम
क्षेरेअके अनंतपुर
उरेप्रके कूनूर

अविके मडिवाला
अविके बिदरगुप्पे
अविके चित्रदुर्ग
अविके रायचोटी
अविके विकाराबाद
अविके कृष्णगिरि
अविके समयनल्लूर
अविके परभणी
अविके बरामती
अविके मडकसिरा
अविके वेंकटगिरिकोटा
अविके उदमलपेट
अविके इलूरु
अविके होसूर
अविके जी. पालयम
अविके अमरावती
अविके होशंगाबाद
अविके पालक्काड
अविके कल्याणिदुर्गम्

उप-इकाई औरंगाबाद
उप-इकाई कनकपुरा
उप-इकाई बीदर
उप-इकाई कोप्पल
उप-इकाई निकनहल्ली
उप-इकाई पेनुकोण्डा
उप-इकाई शिमोगा
उप-इकाई मद्दुरु
उप-इकाई श्रीवल्लिपुत्तुर
उप-इकाई वाणियमवाडी
उप-इकाई कलपट्टा (वाइनाड)

सविके हिन्दुपुर
सविके पालमनेर
सविके होसकोटे

पी4 हासन

क्षेरेअके	= 4
उरेप्रके, कूनूरु	= 1
अविके	= 19
सविके	= 2
उप-इकाई	= 11
फार्म	= 1
सविक	= 1
कुल	**= 39**

केरेअ व प्रसं, पाम्पोर (24)

क्षेरेअके जम्मू
क्षेरेअके सहसपुर (उत्तराखंड)
क्षेरेअके घुमरवीं
अविके नदौन (हि प्र)
अविके सुजानपुर (पंजाब)
अविके बरनोती (ज व क)
अविके गोण्डा (उ प)
अविके फतेहनगर
अविके नवशेरा (ज व क)
अविके गोरखपुर (उ प्र)
अविके छुटमलुर (उ प्र)
अविके बागेश्वर (उत्तराखंड)
अविके उना (हि प्र)
अविके उधमसिंहनगर
अविके घुमरवीं
उप-इकाई तिक्री (ज व क)
उप-इकाई त्राल (ज व क)
उप-इकाई बंदीपोरा (ज व क)
उप-इकाई पंचकुला(हरि)
उप-इकाई भद्रासी(उप्र)
रेप्रवि फतेहनगर
पी4 मानसबल (बहु)
सविके कालसी

क्षेरेअके	= 3
अविके	= 12
सविके	= 1
उप-इकाई	= 5
रेप्रवि	= 1
फार्म	= 1
कुल	**= 23**

केरेअ व प्रस **बहरमपुर (20)**

क्षेरेअके कोरापुट (उड़ीसा)
क्षेरेअके कलिम्पोंग (प बं)
क्षेरेअके राँची (झार)
अविके देवगढ़ (उड़ीसा)
अविके रांग्पू (सिक्किम)
अविके कामनगर (प.बं)
अविके महेशपुरराज(झार)
अविके गुमला (झार)
अविके बडेमरंगा (छत्तीसगढ़)
अविके बाघमारा (प बं)
उप.इ.ई राजमहल (झार)
उप-इ ाई भंडरा (झार)
पी4 कलिम्पोंग (प.बं)

क्षेरेअके जोरहाट (असम)
अविके आरतला (त्रिपुरा)
अविके शिलांग (मेघालय)
अविके दिमापुर (नागालैंड)
अविके आइज़ोल (मिजोरम)
अविके इम्फाल (मणिपुर)

क्षेरेअके	= 4
अविके	= 12
फार्म	= 1
उप-इकाई	= 2
कुल	**= 19**

केतअ व प्रसं राँची (26)

क्षेतअके जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
क्षेतअके दुमका (झार)
क्षेरेअके बारीपदा (उड़ीसा)
क्षेतअके वारंगल(आ प)
क्षेतअके भण्डारा (महा)
क्षेतअके भीमताल (उत्तराखंड)
क्षेतअके बटोत (ज व क)
क्षेतअके इम्फाल (मणिपुर)
अविके, पुरुलिया, (प बं)
अविके नासिक (महाराष्ट्र)
अविके पालमपुर(हि.प्र)
अविके हाटगाम्हारिया (झार)
अविके कटघोड़ा (छत्तीसगढ़)
अविके बांगरीपोसी(उड़ीसा)
अविके राबर्ट्सगंज (उ प्र)
अविके भन्द्राचलम(आं प्र)
अविके कपिस्ता (प बं)
अविके गोपेश्वर (उत्तराखंड)
अविके उमरांगशु (असम)
अविके किफ्रूमा (नागालैण्ड)
अविके ऐकोंगपओ(मणिपुर)
अविके पुरुलिया (प बं)
अविके झांसी (उ प्र)
ससके पल्लाहारा(ओडिशा)
पी4 केन्द्र, कर्गिकोटा(छत्तीसगढ़)
पी4 केन्द्र, चक्रधरीपुर(झारखंड)
पी4 केन्द्र, सरियाहट(झारखंड)

क्षेतअके	= 8
पी4 केन्द्र	= 3
अविके	= 14
कुल	**= 25**

बुतरेबीसं, बिलासपुर (छ ग)(24)
केतरेबीके करगी, कोटा (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके चिन्नूर (आं प्र)
बुबीप्रप्रके नरसापुर (आं प्र)
बुबीप्रप्रके रामपचूड़ावरम् (आं प्र)
बुबीप्रप्रके खरसवाँ (झार)
बुबीप्रप्रके काठीकुंड (झार)
बुबीप्रप्रके मधुपुर (झार)
बुबीप्रप्रके देवघर (झार)
बुबीप्रप्रकेअंबिकापुर(छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके पाली (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके बस्तर (छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके बालघाट (म प्र)
बुबीप्रप्रके बोयरदादर(छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके भंडारा (महा)
बुबीप्रप्रके नवरंगपुर (उड़ीसा)
बुबीप्रप्रके सुंदरगढ़ (उड़ीसा)
बुबीप्रप्रके पटेलनगर (प बं)
बुबीप्रप्रके दुधी (उ प)
बुबीप्रप्रके भागलपुर (बिहार)
बुबीप्रप्रके बिलासपुर(छत्तीसगढ़)
बुबीप्रप्रके बारीपदा (उड़ीसा)
बुबीप्रप्रके केन्दुझार(उड़ीसा)
क्षेत्र इ ाई पल्लाहारा(उड़ीसा)

बुबीप्रप्रके	= 21
क्षेत्र इकाई	= 1
केतरेबीके	= 1
कुल	**= 23**

रारेबीसं बेंगलूरु (84)

कर्नाटक

बीकोक्रके कुणिगल
बीकोक्रके के.आर.पेट

पी3 मैसूरु
पी3 नागमंगला
पी2 धर्मपुरा(द्वि.)
पी2 गविमठ (द्वि.)
पी2 नागेनहल्ली (बहु.)

रेबीउके बेंगलूरु
रेबीउके मैसूरु
रेबीउके रामनगरम्
रेबीउके विजयपुरा
रेबीउके चिंतामणि
रेबीउके के.आर.नगर
रेबीउके मलवल्ली

बीजागार/पी1
चिक्कमलावाडी

रेसेके के.आर.पेट
रेसेके चन्नरायपट्टण
रेसेके चामराजनगर
रेसेके के.पी.दोड्डी
रेसेके सी.बी.पुर
रेसेके गौरीबिदनूर
रेसेके श्रीनिवासपुर
रेसेके के.एम.दोड्डी
रेसेके बेलगांव
रेसेके मुदलगी
रेसेके हावेरी
रेसेके अत्तिबेले

रेबीप्रौप कोड्‌ती
मूबीफा येडियूर

शी सं मैसूरु

तमिल नाडु

बीकोक्रके डेकणि ट्टाई

पी2 कृष्णगिरि (बहु)
पी2 येलगिरि हिल्स(द्वि.)

रेबीउके धर्मपुरी
रेबीउके होसूर
रेबीउके तिरुपत्तुर

रेसेके बागलूर
रेसेके नन्नमपल्ली
रेसेके कोयम्बटूर

रेसेइ गोपिचेट्टीपालयम
शी सं होसूर

आंध्र प्रदेश

पी2 हारसली हिल्स
पी2 मडकसिरा(द्विप्र)
पी2 पारिगी (बप्र)

रेबीउके हिन्दुपुर
रेबीउके मदनपल्ली
रेबीउके चित्तूर

रेसेके पेनुकोण्डा
रेसेके कुप्पम्
रेसेके विजयवाड़ा
रेसेके पालमनेर
रेसेके मोलकलचेरुवु
रेसेके मडकसिरा

केरल

रेबीउके पालक्काड
पी2 पालक्काड

ऑरेबीसं मालदा — पश्चिम बंगाल

पी3 ए.फलकट्टा (बहु)
पी2 कांसुबर्णा(द्विप्र)
पी2 बंगुरीया (बप्र)
पी2 धुबुलिया (बप्र)

रेबीउके बहरमपुर
रेबीउके दक्षिण भावनीपुर
रेबीउके कालिता
रेबीउके रायगंज

रेसेके हेमताबाद
रेसेके बद्रापुर
रेसेके गडदाधरपुर
रेसेके अलिनगर
रेसेके अमृति
रेसेके सुजापुर
रेसेके मोथाबारी
रेसेके पंचग्राम
रेसेके कलियाचक
रेसेके कलियाताला
रेसेके कलियागंज

बिहार

पी2 पूर्णिया

उड़ीसा

सविके रामगिरि

ऑरेबीसं देहरादून — उत्तराखण्ड

पी3 माजरा
पी2 शीशामबाड़ा

रेबीउके देहरादून

शी सं देहरादून

जम्मू व कश्मीर

रेबीउके उधमपुर

रेबीप्रौप	= 1
ऑरेबीसं	= 2
मूबीफा	= 20
रेबीउके	= 20
रेसेके	= 32
बीकोक्रके	= 3
रेसेइ	= 1
बी	= 1
शीसं	= 1
कुल	**= 83**

क्षेका (10)
क्षेका नई दिल्ली
क्षेका जम्मू
भारेमासं, पंचुकुला
क्षेका मुम्बई
क्षेका कोलकाता
क्षेका पटना
मूएरेविप किशनगंज
सविके सहरसा

क्षेका हैदराबाद
क्षेका चेन्नई
भारेमासं, कोयम्बत्तूर
क्षेका भुवनेश्वर
क्षेका गुवाहाटी
क्षेका लखनउ

प्रमाणन केन्द्र (3)

प्र के वाराणसी
प्रके बेंगलूरु
प्रके श्रीनगर

केरेप्रौअसं बेंगलूरु (24)

वपप्र वाराणसी
रेअवपगृ बेंगलूरु
रेअवपगृ धर्मावरम्
रेअवपगृ काँचीपुरम्
रेअवपगृ/पारि-प्रयोगशाला, जम्मू
रेअवपगृ श्रीनगर
रेअवपगृ मालदा
आँचलिक कार्यालय बिलासपुर
कोपके कोयम्बटूर
कोपके रामनगरम्
कोपके धर्मपुरी
क्षेरेप्रौअके गुवाहाटी
करेपके सिद्दलगट्टा
करेपके कोलेगाल

प्रवतसेके रायपुरा (कर्नाटक)
प्रवतसेके हिन्दुपुर (आं प्र)
प्रवतसेके धर्मपुरी (तना)
प्रवतसेके भण्डारा (महा)
प्रवतसेके कटक (उड़ीसा)
प्रवतसेके देहरादून (उ ख)
प्रवतसेके जम्मू (ज व क)
प्रवतसेके भागलपुर (बिहार)
प्रवतसेके सिउडी (प बं)

क्षेरेप्रौअके गुवाहाटी	= 1
वपप्र	= 1
रेअवपगृ	= 6
प्रवतसेके	= 9
आँ का बिलासपुर	= 1
करेपके	= 2
कोपके	= 3
कुल	**= 23**

के का बेंगलूरु
भारेमासं पालक्काड
चॉकीके चेंगन्नूर
सविके अगली
कमाबै चाईबासा (झारखंड)
कमाबै उडि भागलपुर (बिहार)
कमाबै उडि रायगढ़(छत्तीसगढ़)
कमाबै उडि वारंगल
कमाबै उडि भंडारा
मूकमाबै शिवसागर
मूकमाबै उडि सुआलकुची

केरेजसंके होसूर
रेजैप्रौअसं बेंगलूरु

मूरेबीसं गुवाहाटी (15)

पी4 नोंगपोह (मेघा)
पी4 तुरा (मेघा)
पी3 रोमपारा(मेघा)
पी3 अडोकगिरि (मेघा)
पी3 जिया (अरुणाचल)
पी3 हाहिम (असम)
पी3 मेंदीपथार (मेघा)
पी3 नारायणपुर (असम)
मूगा-रेबीउके कालियाबाड़ी

एरी रेबीउके अज़ारा
एरी रेबीउके पेद्दापुर
एरी रेबीउके फतेहपुर
एरी रेबीउके होसूर
एरी रेबीउके सुजानपुर

फार्म	= 8
मूरेबीउके	= 1
एरी रेबीउके	= 5
कुल	**= 14**

केमूएअवप्रसं लाहदोईगढ़ (13)
क्षेएअके मेंदीपथार (मेघा.)
क्षेएअके शादनगर

अविके लखीमपुर(असम)
अविके मंगलादाई (असम)
अविके नवसरी

एरी अविके दीफू (असम)
एरी अविके फतेहपुर (उ प्र)

क्षेत्र प्रयो. तिताबार
क्षेमूअके बोको (असम)
अविके कूचबिहार (प बं)
अविके तुरा (मेघालय)
उप-इकाई कोकराझार

क्षेमूअके	= 1
क्षेएअके	= 2
मू. अविके	= 3
अविके	= 2
एरी अविके	= 2
उप-इकाई	= 1
क्षेत्र प्रयो.	= 1
कुल	= 12

सार

केरेबो मुख्यालय	-> 1
केरेअ व प्र सं	-> 3
केतअ व प्रसं	-> 1
केरेप्रौअसं	-> 1
रारेबीसं	-> 1
मूरेबीसं	-> 1
केमूएअवप्रसं	-> 1
क्षेएअके	-> 2
केरेजसंके	-> 1
रेजैप्रौअप्र	-> 1
रेबीप्रौप्र	-> 1
क्षेका / प्रके	->13
भारेमासं	-> 3
मूएबीविप किशनगंज	-> 1
वपप्र, वाराणसी	-> 1
क्षेरप्रौअके गुवाहाटी	-> 1
क्षेरेअके (शह)	->11
उरेप्रके कूनूर	-> 1
क्षेमूअके (मूगा)	-> 1
क्षेतअके(तसर)	-> 8
अविके (शह)	->45
अविके (तसर)	->14
अविके (मूगा)	-> 3
अविके (एरी)	-> 2
उप-इकाई(शह)	->18
उप-इकाई (मूगा)	-> 1
कमाबै(तसर)	-> 1
कमाबै-उडि (तसर)	-> 4
मूकमाबै (मूगा)	-> 1
मूकमाबै उडि	-> 1
रेअवपगृ	-> 6
आँ का बिलासपुर	-> 1
प्रवतसेके	-> 9
कोपके	-> 3
करेपके	-> 2
बुतरेबीसं बिलासपुर	-> 1
केतरेबीके करगी/कोटा	-> 1
बुबीगुप्रके (तसर)	->21
क्षेत्र इकाई, पल्लाहारा	-> 1
ऑरेबीसं (शह)	-> 2
बीकोक्रके(शह.)	-> 3
मूबीफा (शह)	->23
मूबीफा (मूरेबीसं)	-> 8
रेबीउके (शह)	-> 21
रेबीउके (मूगा)	-> 1
रेसेके (शह)	->32
रेप्रवि/रेसेइ/शीसं	-> 5
एरी रेबीउके	-> 5
सविके/चाकीके/पविके	-> 7
पी4 केन्द्र	-> 3
क्षे प्र तीताबार	-> 1
कुल	**300**

संकेताक्षर

बुतरेबीसं	- बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन	रेसेके	- रेशम उत्पादन सेवा केन्द्र	क्षमूअके	- क्षेत्रीय मूगा उत्पादन अनुसंधान केन्द्र		
प्रके	- प्रमाणन केन्द्र	मूकमाबै	- मूगा कच्चा माल बैंक	क्षे का	- क्षेत्रीय कार्यालय		
केरेअवप्रसं	- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षा संस्थान	रारेबीसं	- राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन	क्षेएअके	- क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र		
केरेप्रौअसं	- केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगि अनुसंधान संस्थान	पी4 पी3 पी2	- बुनियादी बीज फार्म	क्षेतअके	- क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र		
केतअवप्रसं	- केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षा संस्थान	क्षेविका	- क्षेत्रीय विकास कार्यालय	रेअवपगृ	- रेशम अनुकूलन व परीक्षा गृह		
केरेजसंके	- केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र	अविके	- अनुसंधान विस्तार केन्द्र	बीकोक्रके	- बीज कोसा क्रय केन्द्र		
केतरेबीके	- केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र	कमाबै	- कच्चा माल बैंक	उप-इकाई	- अनुसंधान विस्तार केन्द्र के संबद्ध उप-इकाई		
प्रवतसेके	- प्रदर्शन व तकनीकी सेवा केन्द्र	कमाबै-उडि	- कच्चा माल बैंक (उप डिपो)	रेबीउके	- रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र		
वपप्र	- वस्त्र परीक्षा प्रयोगशाला	ऑरेबीसं	- आँचलिक रेशमकीट बीज संगठन	कोपके	- कोसा परीक्षा केन्द्र		

अनुबंध - III

वर्ष 2012-13, 2013-14 के दौरान अंचल-वार, राज्य-वार अनुमोदित बजट आकलन एवं निर्मोचित निधि तथा वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित परिव्यय

(₹करोड़ में)

#	राज्य	XII वीं योजना आबंटन	2012-13		2013-14		2014-15
			अनुमोदित ब आ	निर्मोचित निधि	अनुमोदित ब आ	निर्मोचित निधि	अनुमोदित ब आ
I	**दक्षिण अंचल**						
1	कर्नाटक	167.07	38.31	39.36	45.32	50.09	35.62
2	आंध्र प्रदेश	74.09	14.52	16.93	27.11	25.63	19.82
3	तमिल नाडु	62.62	13.84	12.97	18.13	11.86	14.35
4	केरल	4.68	1.29	-	1.81	0.01	0.84
5	महाराष्ट्र	25.21	4.36	6.36	16.46	12.98	10.31
	अंचल-I का योग	**333.66**	**72.32**	**75.62**	**108.83**	**100.57**	**80.94**
II	**मध्य व पश्चिम अंचल**						
6	उत्तर प्रदेश	32.64	7.59	7.36	10.65	10.92	9.23
7	मध्य प्रदेश	30.22	7.22	7.72	11.48	12.12	10.72
8	छत्तीसगढ़	10.00	3.46	1.28	3.59	2.27	3.05
9	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
10	गुजरात	0.50	0.25		0.15	-	0.10
	अंचल -II का योग	**73.36**	**18.52**	**16.36**	**25.87**	**25.32**	**23.10**
III	**पूर्वी क्षेत्र अंचल**						
11	पश्चिम बंगाल	27.05	7.12	5.20	7.25	5.77	3.44
12	बिहार	10.06	2.65	2.84	3.17	1.08	1.10
13	झारखण्ड	65.46	12.39	15.02	32.63	30.52	17.54
14	ओडिशा	21.23	5.13	5.09	7.77	5.37	2.74
	अंचल - III का योग	**123.80**	**27.29**	**28.15**	**50.82**	**42.74**	**24.82**
IV	**उत्तर पश्चिम अंचल**						
15	जम्मू व कश्मीर	51.40	12.96	15.94	15.97	15.65	15.38
16	हिमाचल प्रदेश	13.07	2.88	0.98	3.23	8.12	5.10
17	उत्तराखण्ड	25.90	7.40	4.94	7.62	4.24	2.86
18	हरियाणा	0.73	0.22	-	0.30	-	0.20
19	पंजाब	1.08	0.31	0.32	0.36	-	0.60
	अंचल- IV का योग	**92.18**	**23.77**	**22.18**	**27.47**	**28.01**	**24.14**
V	**उत्तर पूर्वी अंचल**						
20	असम	85.00	18.40	20.22	25.00	30.67	16.75
21	केएएसी (करबी अंगलांग)	5.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0
22	बो रा प (बोडोलैण्ड)	32.00	5.20	6.39	9.50	13.20	8.00
23	अरुणाचल प्रदेश	10.00	2.20	2.20	2.50	4.10	1.60
24	मणिपुर	35.00	6.80	6.89	9.00	10.01	8.00
25	मेघालय	24.00	6.70	6.70	7.00	10.64	5.67
26	मिज़ोरम	25.00	6.00	6.00	7.00	9.88	5.77
27	नागालैण्ड	25.00	5.20	5.21	9.00	10.80	7.70
28	सिक्किम	5.00	1.29	0.46	1.00	0	1.00
29	त्रिपुरा	20.00	6.70	7.78	7.00	8.84	5.51
	अंचल - V का योग	**266.00**	**59.49**	**62.85**	**78.00**	**99.12**	**60.00**
	सभी अंचल का योग	**889.00**	**201.89**	**205.16**	**291.00**	**295.75**	**213.00**

अनुबंध - IV (क)

(एकीकृत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम)

XII वीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना

2013-14 के दौरान उविका के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि

(रु. करोड़ में)

#	योजना/घटक का नाम	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
1	**शहतूत क्षेत्र**			
क)	**शहतूत बीज**			
1	रारेबीसं के विशेषाधिकार रोगाणुनाशन कार्यक्रम	0.00	0.38	
2	रारेबीसं के अंगीकृत बीज कीटपालकों के लिए कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु सहायता	0.00	1.11	
3	राज्य बीजागार एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए परिक्रामी पूँजी निधि सहायता	0.00	0.20	
4	राज्य बीजागार एवं निजी पंबीउ के लिए बीज परीक्षण उपकरणों की खरीदी हेतु सहायता	0.00	0.13	
5	राज्य के मूल बीज फार्म को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	0.94	0.74	0.36
6	राज्य एवं निजी वाणिज्यिक बीज उत्पादन इकाइयों के उन्नयन के लिए सहायता	0.54	0.93	0.08
	शहतूत बीज के लिए योग	**1.48**	**3.48**	**0.44**
ख)	**शहतूत कोसा**			
1	शहतूत पौधारोपण विकास के लिए सहायता	16.79	13.92	2.67
2	सिंचाई तथा अन्य पानी संरक्षण तथा प्रयोग तकनीकी के लिए सहायता	20.98	18.59	1.36
3	कीटपालन उपकरण (उन्नत चंद्रिका सहित)/फार्म उपकरण की आपूर्ति	61.50	54.27	7.98
4	कृषकों को गुणवत्तायुक्त रोगाणुनाशन सामग्री एवं अन्य फ़सल संरक्षण उपाय की आपूर्ति	5.00	5.52	0.80
5	कीटपालन गृह (की गृ) के निर्माण हेतु सहायता - मॉडल	64.29	74.88	32.6393
6	चॉकी बागान के रखरखाव, चॉकी कीटपालन केन्द्र (चॉ की के) भवन के निर्माण तथा चॉकी कीटपालन उपकरण की खरीदी हेतु सहायता	3.31	3.81	1.25
7	जैविक निवेश के लिए उत्पादन इकाइयाँ/रोगाणुनाशन तथा निवेश अपूर्ति के लिए द्वार-द्वार सेवा अभिकरण तथा रेशम उत्पादन पॉली क्लीनिक के लिए सहायता	0.39	1.46	0.24
8	किसान नर्सरी विकास के लिए सहायता	0.92	1.58	0.24
9	3 वर्ष के लिए X व XI वीं योजना के दौरान किए गए शहतूत पौधारोपण की रखरखाव लागत			
10	केंचुआ खाद गृह के निर्माण हेतु सहायता	0.50	0.17	0.16
11	उत्तर पूर्व राज्यों में शहतूत उद्यान की घेराबंधी के प्रति सहायता	1.16	0.11	0.11
12	उत्तर पूर्व राज्यों में कोसा बनाने हेतु रखने के हॉल के निर्माण हेतु कीटपालन गृह के विस्तार के प्रति सहायता	3.60	3.90	3.90
13	पानी संरक्षण तकनीक के माध्यम से विद्यमान वर्षाश्रित शहतूत उद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता	0.07	1.50	1.25
	शहतूत कोसा के लिए योग	**178.51**	**179.73**	**52.59**
	शहतूत क्षेत्र के लिए योग	**179.99**	**183.21**	**53.03**
	राजस्व शीर्ष - 31	***24.44***	***22.81***	***5.22***
	पूँजी शीर्ष - 35	**155.55**	**160.41**	**47.81**

#	योजना/घटक का नाम	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
2	**वन्य क्षेत्र**			
क)	**वन्य बीज**			
i	**तसर**			
1	निजी तसर बीज उत्पादक को सहायता	9.00	8.36	
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान तसर बीज उत्पादकों को सहायता	0.03		
2	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (उष्णकटिबंधीय तसर)	1.37	1.09	
क	मूल बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना (स्वयं सहाय समूह, सहकारी/गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से)	0.00	0.19	
3	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (ओक तसर)	0.14	0.14	0.14
4	उष्णकटिबंधीय तसर कीटपालकों को सहायता	3.59	3.26	
क	ओक तसर बीज कीटपालकों को सहायता	0.00		
ख	रोग अनुश्रवण तथा बीज कोसा परीक्षण के लिए चल परीक्षण सुविधा के लिए सहायता	0.00	0.03	
	तसर बीज के लिए योग	**14.13**	**13.07**	**0.14**
ii	**एरी**			
5	एरी फार्म सह बीजागार को सुदृढ करने के लिए राज्य विभाग को सहायता	1.96	1.89	1.71
क	एरी निजी बीज उत्पादकों को सहायता	0.00		
ख	अंगीकृत एरी बीज कीटपालकों को सहायता	0.80	0.80	0.67
ग	राज्य एरी मूल बीज फार्म सह बीजागार का उन्नयन	0.00		
घ	स्वयं सहाय एरी बीजागार इकाइयों (स्व स ए बी) की स्थापना के लिए सहायता	0.06		
ङ	चल परीक्षण एवं प्रमाणन इकाई	0.00		
	एरी बीज के लिए योग	**2.82**	**2.69**	**2.38**
iii	**मूगा**			
6	मूगा निजी बीज उत्पादक को सहायता	2.55	2.55	2.55
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान मूगा निजी बीज उत्पादकों को सहायता	0.39		
7	मूगा बीज प्रगुणन अवसंरचना(पी2) को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभाग को सहायता	2.00	3.50	3.50
क	मूगा पी3 मूल बीज उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए सहायता	0.00		
ख	अंगीकृत मूगा बीज कीटपालकों को सहायता	1.35	1.35	1.35
	मूगा बीज के लिए योग	**6.29**	**7.39**	**7.39**
	वन्य बीज के लिए योग	**23.24**	**23.15**	**9.91**
ख)	**वन्य कोसा**			
i	**तसर**			
1	तसर खाद्य पौधारोपण के संवर्धन के लिए कीटपालकों को सहायता	8.00	7.61	
क	तसर नवोदभिद् खाद्य पौध (किसान नर्सरी) उगाने के लिए लाभार्थियों को सहायता	0.45	0.79	
ख	चॉकी उद्यान के विकास के लिए तसर वाणिज्यिक कीटपालकों को सहायता	0.45	1.51	
ग	विद्यमान चॉकी पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता	0.06		
घ	विद्यमान तसर पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता	0.42	1.36	
ङ	साल आधारित तसर पारि-प्रजाति के संरक्षण एवं उपयोग	1.03	0.18	
2	व्यवस्थित ओक तसर पौधारोपण करने एवं रखरखाव के लिए सहायता	1.16	1.16	1.08
3	तसर क्षेत्र में कोसा भण्डारण गृह के निर्माण के लिए सहायता	1.03	0.52	
क)	तसर कीटपालकों के लिए कोसा भण्डारण गृह का निर्माण एवं कोसा दमघोंटने की सुविधा के लिए सहायता	0.00	0.04	
	तसर कोसा के लिए योग	**12.60**	**13.16**	**1.08**

#	योजना/घटक का नाम	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
ii	**एरी**			
4	प्रारंभिक औज़ार सहित एरण्डी/कसावा उत्पादकों को सहायता	0.99	0.97	
5	प्रारंभिक औज़ार की आपूर्ति सहित बहुवर्षी एरी खाद्य पौधों का संवर्धन	4.63	4.60	4.60
क	कस्सेरु खाद्य पौध नर्सरी उगाने के लिए सहायता	0.22		
6	कीटपालन गृह के निर्माण हेतु सहायता	22.00	24.37	21.46
	एरी कोसा के लिए योग	**27.84**	**29.94**	**26.06**
iii	**मूगा**			
7	प्रारंभिक औज़ार सहित मूगा खाद्य पौध का संवर्धन एवं रखरखाव	4.73	4.69	4.54
क	मूगा खाद्य पौध नर्सरी उगाने के लिए सहायता	0.17		
ख	विद्यमान मूगा खाद्य पौधारोपण के रखरखाव के लिए सहायता			
	मूगा कोसा के लिए योग	**4.90**	**4.69**	**4.54**
	वन्य कोसा के लिए योग	**45.34**	**47.79**	**31.67**
	वन्य क्षेत्र के लिए योग	**68.58**	**70.94**	**41.58**
	राजस्व शीर्ष - 31	***22.31***	***22.86***	***10.22***
	पूँजी शीर्ष - 35	**46.27**	**48.08**	**31.36**
	शहतूत व वन्य क्षेत्र के लिए योग	**248.57**	**254.16**	**94.61**
	राजस्व शीर्ष - 31	***46.75***	***45.67***	***15.44***
	पूँजी शीर्ष - 35	**201.82**	**208.49**	**79.17**
3	**कोसोत्तर क्षेत्र**			
I	**धागाकरण व कताई क्षेत्र**			
1	धागाकरण गृह के निर्माण हेतु सहायता			
क	उन्नत कुटीर थाला इकाइयाँ			
(i)	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले)	0.00	0.02	
(ii)	48 छोरीय इकाई (प्रत्येक 8 छोरीय के 6 थाले)	0.00		
ख	बहुछोरीय धागाकरण इकाई			
(i)	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)	0.48	0.21	
(ii)	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)	0.18	0.45	
2	बाल श्रम निवारण के लिए मोटर चालित चरखा के लिए सहायता	0.03	0.03	
3	उन्नत कुटीर थाला धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहयता			
क	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले)	0.32	0.29	0.26
ख	48 छोरीय इकाई (प्रत्येक 8 छोरीय के 6 थाले)	0.00		
4	बहुछोरीय धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहयता			
क	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)	1.67		
ख	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)	2.46	2.72	0.35
ग	अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी/पुन: अनुकूलन के लिए विद्यमान बहुछोरीय इकाई के लिए सहायता	0.19	0.61	

#	योजना/घटक का नाम	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
5	स्वचालित धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता			
क	200 छोरीय इकाई	0.36		
ख	400 छोरीय इकाई	2.70	1.94	
6	स्वचालित दुपिया धागाकरण इकाइयाँ (142 छोरीय) की स्थापना के लिए सहायता			
7	ऐंठन इकाई (480 छोरीय) को सहायता	0.71	0.88	
8	वन्य धागाकरण/कताई क्षेत्र को सहायता			
क	धागाकरण व ऐंठन मशीन	1.20	0.48	0.19
ख	गीला धागाकरण मशीन (प्रत्येक 6 छोरीय के 2 थाले)	0.00		
ग	एक में दो धागाकरण सह ऐंठन मशीन	0.00		
घ	गैर-सरकारी संगठन/सहकारी/स्वयं सहाय समूह के लिए तसर कोसा छाँटने की मशीन	0.00		
ङ	मोटर चालित/पैर चालित कताई मशीन	0.23	0.22	0.22
च	सौर ऊर्जा चालित कताई मशीन	0.00		
9	धागाकरण इकाइयों को बैंक द्वारा मंजूर कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज इमदाद	0.50		
10	द्विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन			
क	कुटीर थाला इकाई पर धागाकृत श्रेणीकरण योग्य द्विप्रज रेशम (रु 50/- प्रति किग्रा)	3.52	0.28	
ख	स्वचालित धागाकरण इकाई पर धागाकृत 2ए श्रेणी तथा अधिक श्रेणी के द्विप्रज रेशम (रु.150/- प्रति किग्रा)	2.17	0.06	
11	गर्म वायु शुष्कन यंत्र की स्थापना के लिए सहायता			
क	50 किग्रा क्षमता की इकाई (विद्युत)	0.38	0.36	0.18
ख	100 किग्रा क्षमता की इकाई (विद्युत)	0.11	0.09	
ग	50 किग्रा क्षमता की इकाई (बहुइंधनीय)	0.00		
घ	100 किग्रा क्षमता की इकाई (बहुइंधनीय)	0.00		
ङ	2000 किग्रा क्षमता के कन्वेयर गर्म वायु शुष्कन यंत्र (चीन गणतंत्र से आयातित)	0.00		
12	मास्टर धागाकार/तकनीशियन की सेवा प्रदान करना			
क	मास्टर धागाकार	1.00	0.55	0.12
ख	मास्टर तकनीशियन	0.03		
	धागाकरण व कताई के लिए योग	**18.24**	**9.19**	**1.31**
II	सूतोत्तर क्षेत्र			
13	हथकरघा क्षेत्र को सहायता			
क	जकार्ड तथा अन्य उपकरण के माध्यम से करघा उन्नयन	1.00	0.51	0.08
ख	हथकरघा के लिए वायवीय उत्थापक यंत्र-रचना			
(i)	2 करघा इकाई	0.00		
(ii)	4 करघा इकाई	0.00		
14	सूत रँगाई एवं कपड़े के प्रक्रमण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता			
क	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास (सीएटीडी)	0.62	0.52	0.06
ख	नाँद रँगाई 25 किग्रा क्षमता की इकाई	0.03	0.03	0.03
ग	नाँद रँगाई 50 किग्रा क्षमता की इकाई	0.05	0.05	0.05
घ	हत्था रँगाई 50 किग्रा क्षमता की इकाई			
ङ	वस्त्र प्रक्रमण 250 किग्रा क्षमता की इकाई			

#	योजना/घटक का नाम	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
च	सूत रँगाई तथा वस्त्र प्रक्रमण इकाई (विद्यमान एवं नयी इकाई) के लिए बहि:स्राव उपचार के लिए सहायता			
(i)	अत्यल्प विसर्जन प्रकार (5000 लीटर/दिन)			
(ii)	भू-प्रकार का विसर्जन (5000 लीटर/दिन)			
15	मास्टर बुनकर/विन्यासकार/तकनीशियन की सेवा प्रदान करना			
क	मास्टर बुनकर/विन्यासकार	0.14	0.27	0.06
ख	मास्टर रंगरेज	0.00		
ग	मास्टर तकनीशियन	0.00	0.01	
	सूतोत्तर के लिए योग	**1.84**	**1.40**	**0.28**
IV	**विपणन**			
16	कोसा एवं कच्चे रेशम की गुणवत्ता संबद्ध मूल्य सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता	4.40	1.35	0.27
17	वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन (वरेबासं)	0.26	0.15	0.15
	विपणन के लिए योग	**4.66**	**1.50**	**0.42**
	कोसोत्तर क्षेत्र के लिए योग	**24.74**	**12.09**	**2.01**
	राजस्व शीर्ष - 31	***7.62***	***1.33***	***0.32***
	पूँजी शीर्ष - 35	**17.12**	**10.76**	**1.69**
4	**सहायता सेवा**			
1	फ़सल बीमा सहायता (सभी क्षेत्र में)	2.00	0.76	
2	रेशम उत्पादन क्षेत्र पर प्रचार	3.00	1.65	0.38
3	केरेबो तथा राज्यों द्वारा आयोजित अध्ययन/परामर्श/सर्वेक्षण के लिए सहायता	1.00	0.23	0.21
4	उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता	0.20	0.05	
5	रेशम उत्पादन कृषकों एवं कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	2.83	10.43	
6	रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण (सभी प्रशिक्षण तथा केरेबो,राज्य एवं अन्य पणधारियों का क्षेत्र दौरा सहित)			
क	लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम (ला स का)	7.60	4.75	1.85
ख	रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र (रे सं के)	0.32	0.03	
ग	कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रम (कौप्रउका)	0.17	0.39	0.06
7	रेशम दूत अवधारणा के अनुसार समुदाय आधारित संगठन (स आ सं)विकसित करना	0.06	2.42	
8	रेशम उत्पादन विकास के लिए अभिमुखी गतिविधियों को सहायता			
क	समूह विकास परियोजना	0.26	1.77	
	सहायता सेवा के लिए योग	**17.44**	**22.48**	**2.50**
5	**विशेष पहल (लचीली निधि)-प्रतीक**	**5.00**	**7.02**	
	राजस्व शीर्ष - 31	***22.12***	***29.48***	***2.50***
	पूँजी शीर्ष - 35	**0.32**	**0.03**	**0.00**
	उविका के लिए कुल योग (I से IV)	**295.75**	**295.75**	**99.12**
	राजस्व शीर्ष - 31	***76.49***	***76.48***	***18.26***
	पूँजी शीर्ष - 35	**219.26**	**219.27**	**80.86**

अनुबंध - IV (ख)

(एकीकृत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम)

XII वीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना

वर्ष 2013-14 के दौरान उविका के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(रु. करोड़ में)

#	योजना/घटक का नाम	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
1	**शहतूत क्षेत्र**				
क)	**शहतूत बीज**				
1	रारेबीसं के विशेषाधिकार रोगाणुनाशन कार्यक्रम	संख्या	0	35	
2	रारेबीसं के अंगीकृत बीज कीटपालकों (अं बी की) के लिए कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु सहायता	संख्या	0	111	
3	राज्य बीजागार एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए परिक्रामी पूँजी निधि सहायता	संख्या	0	8	
4	राज्य बीजागार एवं निजी पंबीउ के लिए बीज परीक्षण उपकरणों की खरीदी हेतु सहायता	संख्या	0	10	
5	राज्य के मूल बीज फार्म को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	संख्या	30	24	9
6	राज्य एवं निजी वाणिज्यिक बीज उत्पादन इकाइयों के उन्नयन के लिए सहायता	इकइयों की संख्या	35	51	1
ख)	**शहतूत कोसा**				
1	शहतूत पौधारोपण विकास के लिए सहायता	एकड़	20,080	17123	2380
2	सिंचाई तथा अन्य पानी संरक्षण तथा प्रयोग तकनीकी के लिए सहायता	एकड़	14,293	13542	680
3	कृषक-भूमि रहित कृषकों सहित के लिए कीटपालन उपकरण (उन्नत चंद्रिका सहित)/फार्म उपकरण की आपूर्ति	संख्या/एकड़	21,907	15806	2388
4	कृषकों के लिए गुणवत्ता रोगाणुनाशन सामग्री की आपूर्ति एवं अन्य फ़सल संरक्षण उपाय	बीज कृषक	19,479	19917	2492
5	कीटपालन गृह (की गृ) के निर्माण हेतु सहायता	संख्या	12,271	13564	2552
6	चॉकी बागान के रखरखाव, चॉकी कीटपालन केन्द्र (चॉ की के) भवन के रखरखाव तथा चॉकी कीटपालन उपकरण की खरीदी हेतु सहायता	संख्या	134	143	26
7	जैविक निवेश के लिए उत्पादन इकाइयों/रोगाणुनाशन तथा निवेश आपूर्ति के लिए द्वार-द्वार सेवा अभिकरण तथा रेशम उत्पादन पॉली क्लीनिक के लिए सहायता	संख्या	29	231	20
8	किसान नर्सरी विकास के लिए सहायता	एकड़	150	254	26
9	3 वर्ष के लिए X वीं व XI वीं योजना के दौरान किए गए शहतूत पौधारोपण की रखरखाव लागत	एकड़			
10	केंचुआ खाद गृह के निर्माण हेतु सहायता	संख्या	329	105	100
11	उत्तर पूर्व राज्यों में शहतूत बागान की घेराबंधी के प्रति सहायता	एकड़	1,450	139	139
12	उत्तर पूर्व राज्यों में कोसा बनाने हेतु रखने के हॉल के निर्माण हेतु कीटपालन गृह के विस्तार के प्रति सहायता	संख्या	1,500	1627	1627
13	पानी संरक्षण तकनीक के माध्यम से विद्यमान वर्षाश्रित शहतूत बागान का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता	एकड़	90	2060	1560

#	योजना/घटक का नाम	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपलक्षे संबंधी प्रगति
2	**वन्य क्षेत्र**				
क)	**वन्य बीज**				
i	**तसर**				
1	निजी तसर बीज उत्पादक को सहायता	बीज उत्पादक	492	891	
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान तसर बीज उत्पादकों को सहायता	बीज उत्पादक	10		
2	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (उष्णकटिबंधीय तसर)	पीपीसी	40	37	
क	मूल बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना (स्वयं सहाय समूह, सहकारी/गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से)	बीज उत्पा.इ ाई		4	
3	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (ओक तसर)	बीजागार	1	1	1
4	उष्णकटिबंधीय तसर कीटपालकों को सहायता	कीटपालक	2360	5772	
क	ओक तसर बीज कीटपालकों को सहायता	कीटपालक			
ख	रोग अनुश्रवण तथा बीज कोसा परीक्षा के लिए चल परीक्षण सुविधा हेत सहायता	संख्या		1	
ii	**एरी**				
5	एरी फार्म सह बीजागार को सुदृढ़ करने हेतु राज्य विभाग को सहायता	फार्म-सह बीजागार	21	20	17
क	एरी निजी बीज उत्पादकों को सहायता	बीज उत्पादक			
ख	अंगीकृत एरी बीज कीटपालकों को सहायता	कीटपालक	765	764	630
ग	राज्य एरी मूल बीज फार्म सह बीजागार का उन्नयन	फार्म-सह बीजागार			
घ	स्वयं सहाय एरी बीजागार इकाइयों (स्व स ए बी) की स्थापना के लिए सहायता	बीजागार	90		
ङ	चल परीक्षण एवं प्रमाणन इकाई	संख्या			
iii	**मूगा**				
6	मूगा निजी बीज उत्पादकों को सहायता	बीज उत्पादक	125	125	125
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान मूगा निजी बीज उत्पादकों को सहायता	बीज उत्पादक	60		
7	मूगा बीज प्रगुणन अवसंरचना (पी2) को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभाग को सहायता	फार्म-सह बीजागार	8	14	14
क	मूगा पी3 मूल बीज उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए सहायता	कीटपालक			
ख	अंगीकृत मूगा बीज कीटपालकों को सहायता	कीटपालक	226	226	226
ख)	**वन्य कोसा**				
i	**तसर**				
1	तसर खाद्य पौधारोपण के संवर्धन के लिए कीटपालकों को सहायता	हे	2,777	2759	
क	तसर नवोदभिद् खाद्य पौध (किसान नर्सरी) उगाने के लिए लाभार्थियों को सहायता	नर्सरी इकाई	70	124	
ख	चॉकी बागान के विकास के लिए तसर वाणिज्यिक कीटपालकों को सहायता	कीटपालक	1,000	3000	
ग	विद्यमान चॉकी पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता	कीटपालक	570		

#	योजना/घटक का नाम	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपलक्षे संबंधी प्रगति
घ	विद्यमान तसर पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर तसर कीटपालकों को सहायता	हे	340	1000	
ङ	साल आधारित तसर पारि-प्रजाति के संरक्षण एवं उपयोग	शिविरों की संख्या	90	26	
2	व्यवस्थित ओक तसर पौधारोपण करने एवं रखरखाव के लिए सहायता	हे	295	295	275
3	तसर क्षेत्र में कोसा भण्डारण गृह के निर्माण के लिए सहायता	संख्या	165	111	
क	तसर कीटपालकों के लिए कोसा भण्डारण गृह का निर्माण एवं कोसा दमघोंटने की सुविधा के लिए सहायता	संख्या	केवल 25% केरेबो के अंतर्गत वहन किया जाएगा	10	
ii	**एरी**				
4	प्रारंभिक औज़ार सहित एरण्डी/कसावा उत्पादकों को सहायता	एकड़	1,275	1955	
5	प्रारंभिक औज़ार की आपूर्ति सहित बहुवर्षी एरी खाद्य पौधों का संवर्धन	एकड़	1,865	1855	1855
क	कस्सेरु खाद्य पौध नर्सरी उगाने के लिए सहायता	नर्सरी इकाई	55		
6	कीटपालन गृह के निर्माण हेतु सहायता	संख्या	3,964	4376	3489
iii	**मूगा**				
7	प्रारंभिक औज़ार सहित मूगा खाद्य पौध का संवर्धन एवं रखरखाव	एकड़	1,915	2110	1830
क	मूगा खाद्य पौध नर्सरी उगाने के लिए सहायता	नर्सरी इकाई	40		
ख	विद्यमान मूगा खाद्य पौधारोपण के रखरखाव के लिए सहायता	एकड़			
3	**कोसोत्तर क्षेत्र**				
I	**धागाकरण व कताई क्षेत्र**				
1	धागाकरण गृह के निर्माण हेतु सहायता	संख्या			
क	उन्नत कुटीर थाला इकाई				
(i)	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले)			1	
(ii)	48 छोरीय इकाई (प्रत्येक 8 छोरीय के 6 थाले)				
ख	बहुछोरीय धागाकरण इकाई				
(i)	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)		31	11	
(ii)	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)		10	25	
2	बाल श्रम निवारण के लिए मोटर चालित चरखा के लिए सहायता	संख्या	50	50	
3	उन्नत कुटीर थाला धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
क	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले)		11	10	9
ख	48 छोरीय इकाई (प्रत्येक 8 छोरीय के 6 थाले)				
4	बहुछोरीय धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
क	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)		27		
ख	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला)		33	40	3
ग	अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी/पुनः अनुकूलन के लिए विद्यमान बहुछोरीय इकाई को सहायता		10	50	
5	स्वचालित धागाकरण इकाई की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
क	200 छोरीय इकाई		1		
ख	400 छोरीय इकाई		4	3	

#	योजना/घटक का नाम	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
6	स्वचालित दुपिया धागाकरण इकाइयों (142छोरीय) की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
7	ऐंठन इकाइयों (480 छोरीय) को सहायता	संख्या	12	15	
8	वन्य धागाकरण/कताई क्षेत्र के लिए सहायता	संख्या			
क	धागाकरण सह ऐंठन मशीन		350	224	50
ख	गीला धागाकरण मशीन (प्रत्येक 6 छोरीय के 2 थाला)				
ग	एक में दो धागाकरण सह ऐंठन मशीन				
घ	गैर-सरकारी संगठन/सहकारी/स्वयं सहाय समूह के लिए तसर कोसा छाँटने की मशीन				
ङ	मोटर चालित/पैर चालित कताई मशीन		404	394	389
च	सौर ऊर्जा चालित कताई मशीन				
9	धागाकरण इकाइयों को बैंक द्वारा मंजूर कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज इमदाद	संख्या	50		
10	द्विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन	कि ग्रा		3596	
क	कुटीर थाला इकाई पर धागाकृत श्रेणीकरण योग्य द्विप्रज रेशम के उत्पादन हेतु (रु. 50/- प्रति कि ग्रा)		997,329		
ख	स्वचालित धागाकरण इकाई पर धागाकृत 2ए श्रेणी तथा अधिक श्रेणी के द्विप्रज रेशम (रु.150/- प्रति किग्रा)	कि ग्रा	230,000		
11	गर्म वायु शुष्कन यंत्र की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
क	50 कि ग्रा क्षमता की इकाई (विद्युत)		44	45	45
ख	100 कि ग्रा क्षमता की इकाई (विद्युत)		15	10	10
ग	50 कि ग्रा क्षमता की इकाई (बहुइंधनीय)				
घ	100 कि ग्रा क्षमता की इकाई (बहुइंधनीय)				
ङ	2000 कि ग्रा क्षमता के कन्वेयर गर्म वायु शुष्कन यंत्र (चीन गणतंत्र से आयातित)				
12	मास्टर धागाकार/तकनीशियन की सेवा प्रदान करना	संख्या			
क	मास्टर धागाकार		19	39	8
ख	मास्टर तकनीशियन		2		
II	सूतोत्तर क्षेत्र				
13	हथकरघा क्षेत्र के लिए सहायता	संख्या			
क	जकार्ड तथा अन्य उपकरण के माध्यम से करघा उन्नयन		1,316	637	65
ख	हथकरघा के लिए वायवीय उत्थापक यंत्र-रचना				
(i)	2 करघा इकाई				
(ii)	4 करघा इकाई				
14	सूत रँगाई एवं वस्त्र प्रक्रमण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता	संख्या			
क	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास (सीएटीडी)	संख्या	30	25	2
ख	नॉद रँगाई 25 कि ग्रा क्षमता की इकाई		1	1	1
ग	नॉद रँगाई 50 कि ग्रा क्षमता की इकाई		1	1	1
घ	हत्था रँगाई 50 कि ग्रा क्षमता की इकाई				
ङ	वस्त्र प्रक्रमण 250 कि ग्रा क्षमता की इकाई				
च	सूत रँगाई तथा वस्त्र प्रक्रमण इकाई (विद्यमान एवं नयी इकाई) के लिए बहि:स्राव उपचार के लिए सहायता				

#	योजना/घटक का नाम	इकाई	वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित आबंटन	प्रगति	जिसमें उपूक्षे संबंधी प्रगति
(i)	अत्यल्प विसर्जन प्रकार (5000 लीटर/दिन)				
(ii)	भू-प्रकार का विसर्जन (5000 लीटर/दिन)				
15	मास्टर बुनकर/विन्यासकार/तकनीशियन को सेवा प्रदान करना	संख्या			
क	मास्टर बुनकर/विन्यासकार		10	19	
ख	मास्टर रंगरेज				
ग	मास्टर तकनीशियन			1	
IV	**विपणन**				
16	कोसा एवं कच्चा रेशम के लिए गुणवत्ता संबद्ध मूल्य सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता	राज्य / अभिकरण	2	3	1
17	वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन (वरेबासं)	-	माँग आधारित	1	1
4	**सहायता सेवा**				
1	फ़सल बीमा सहायता (सभी क्षेत्र के लिए)	-	सभी राज्य	1510000	
2	रेशम उत्पादन क्षेत्र पर प्रचार		सभी राज्य		
3	केरेबो तथा राज्यों द्वारा आयोजित अध्ययन/परामर्श/सर्वेक्षण के लिए सहायता	-	माँग आधारित		
4	उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता	-	सभी राज्य		
5	रेशम उत्पादन कृषकों एवं कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	पॉलिसियों की संख्या	43,742	106000	
6	रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण (सभी प्रशिक्षण तथा केरेबो, राज्य एवं अन्य पणधारियों के क्षेत्र दौरा सहित)				
क	लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम (ला स का)	संख्या	26,473	14703	4105
ख	रेशम संसाधन केन्द्र (रे सं के)	संख्या	20	2	
ग	कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रम (कौप्रउका)	बैचों की संख्या	20	5	
7	रेशम दूत अवधारणा के अनुसार समुदाय आधारित संगठन (स आ सं) विकसित करना	स्व स स की संख्या	3	14	
8	रेशम उत्पादन विकास के लिए अभिमुखी गतिविधियों के लिए सहायता				
क	समूह विकास परियोजना	समूह	3		
	सहायता सेवा के लिए योग				
5	**विशेष पहल (नम्य निधि)-प्रतीक**	**परियोजना**	**सभी राज्य**		

अनुबंध - IV (ग)

उविका के अंतर्गत वर्ष 2013-14 बारहवीं योजना के दौरान निर्मोचित राज्य-वार निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

#	राज्य	2013-14
I	**दक्षिण अंचल**	
1	कर्नाटक	50.09
2	आंध्र प्रदेश	25.63
3	तमिल नाडु	11.86
4	महाराष्ट्र	12.98
5	केरल	0.01
	दक्षिण अंचल के लिए योग	**100.56**
II	**मध्य व पश्चिमी अंचल**	
1	उत्तर प्रदेश	10.92
2	मध्य प्रदेश	12.12
3	छत्तीसगढ़	2.27
4	राजस्थान	
5	गुजरात	
	मध्य व पश्चिमी अंचल के लिए योग	**25.32**
III	**पूर्वांचल**	
1	पश्चिम बंगाल	5.78
2	बिहार	1.08
3	झारखंड	30.52
4	ओडिशा	5.37
	पूर्वांचल के लिए योग	**42.74**
IV	**उत्तर-पश्चिमी अंचल**	
1	जम्मू व कश्मीर	15.65
2	हिमाचल प्रदेश	4.24
3	उत्तराखंड	8.12
4	हरियाणा	
5	पंजाब	
	उत्तर-पश्चिमी अंचल के लिए योग	**28.01**
V	**उत्तर-पूर्वी अंचल**	
1	असम	31.64
2	बोड़ोलैण्ड राज्य क्षेत्रीय परिषद्	13.20
3	अरुणाचल प्रदेश	4.10
4	मणिपुर	10.01
5	मेघालय	10.64
6	मिज़ोरम	9.88
7	नागालैण्ड	10.80
8	सिक्किम	
9	त्रिपुरा	8.84
	उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए योग	**99.12**
	सभी अंचल के लिए योग	**295.75**

अनुबंध - IV (घ)

उविका के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 (बारहवीं योजना) के दौरान निर्मोचित राज्य-वार निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

#	राज्य	2012-13	2013-14
I	**दक्षिणी अंचल**		
1	कर्नाटक	39.36	50.09
2	आंध्र प्रदेश	16.93	25.6
3	तमिलनाडु	12.96	11.86
4	महाराष्ट्र	6.36	12.98
5	केरल	0.00	0.01
	दक्षिणी अंचल के लिए योग	**75.62**	**100.56**
II	**मध्य व पश्चिमी अंचल**		
1	उत्तर प्रदेश	7.36	10.92
2	मध्य प्रदेश	7.72	12.12
3	छत्तीसगढ़	1.28	2.27
4	राजस्थान		
5	गुजरात		
	मध्य व पश्चिमी अंचल के लिए योग	**16.36**	**25.32**
III	पूर्वांचल		
1	पश्चिम बंगाल	5.19	5.78
2	बिहार	2.85	1.0
3	झारखंड	15.02	30.52
4	ओडिशा	5.09	5.37
	पूर्वांचल के लिए योग	**28.15**	**42.74**
IV	**उत्तर-पश्चिमी अंचल**		
1	जम्मू व कश्मीर	15.94	15.65
2	हिमाचल प्रदेश	0.98	4.24
3	उत्तराखंड	4.94	8.12
4	हरियाणा		
5	पंजाब	0.32	
	उत्तर-पश्चिमी अंचल के लिए योग	**22.18**	**28.01**
V	**उत्तर-पूर्वी अंचल**		
1	असम	21.22	31.64
2	बोड़ोलैण्ड राज्य क्षेत्रीय परिषद्	6.39	13.20
3	अरुणाचल प्रदेश	2.20	4.10
4	मणिपुर	6.89	10.01
5	मेघालय	6.70	10.64
6	मिज़ोरम	6.00	9.88
7	नागालैण्ड	5.21	10.80
8	सिक्किम	0.46	
9	त्रिपुरा	7.78	8.84
	उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए योग	**62.85**	**99.12**
	सभी अंचल के लिए योग	**205.16**	**295.75**

अनुबंध - V

उविका के अधीन 2013-14 के दौरान सीधे सहायता प्राप्त लाभार्थी

(लाभार्थियों की इकाई संख्या)

#	घटक	संख्या
1	शहतूत पौधारोपण	17123
2	बीज परीक्षण सुविधा	10
3	तसर बीज उत्पादक	657
4	तसर बीज कीटपालक	6584
5	मूगा निजी बीज उत्पादक	125
6	तसर पौध संवर्धन	3421
7	एरी खाद्य पौधारोपण	1955
8	बहुवर्षी एरी पौधारोपण	1855
9	मूगा खाद्य पौधारोपण	2110
	उप-योग (कृषक)	**33840**
10	बहुछोरीय धागाकरण	91
11	स्वचालित धागाकरण मशीन	3
12	कुटीर थाला धागाकरण इकाई	11
13	चरखा धागाकरण	50
14	दुपिया धागाकरण	0
15	मास्टर धागाकार	58
16	वन्य धागाकरण व कताई	618
17	हथकरघा	637
18	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास	25
19	सामान्य सुविधा केन्द्र	2
	उप-योग (कोसोत्तर लाभार्थी)	**1495**
	कुल योग	**35335**
	शहतूत	**17133**
	वन्य	**16707**
	कोसा पूर्व	**1495**

अनुबंध - VI (क)

राज्य-वार शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन

मात्रक: मी.टन

राज्य	2012-13			2013-14		
	द्विप्रज	संकर नस्ल	कुल	द्विप्रज	संकर नस्ल	कुल
अ. परंपरागत राज्य						
कर्नाटक	572	7647	8219	808	7766	8574
आन्ध्र प्रदेश	259	6291	6550	380	6531	6911
तमिलनाडु	576	609	1185	711	410	1120
पश्चिम बंगाल	7	2011	2018	14	2016	2029
जम्मू व कश्मीर	145	-	145	136		136
उप-योग (क)	**1559**	**16558**	**18117**	**2048**	**16723**	**18771**
ख. गैर परंपरागत राज्य						
असम	25	-	25	27		27
अरूणाचल प्रदेश	3	-	3	1.87		1.87
बिहार	-	12	12		15	15
छत्तीसगढ़	1	5	6	0.79	5.49	6.28
हरियाणा	0.13	-	0.13	0.13		0.13
हिमाचल प्रदेश	23	-	23	25.18		25.18
झारखण्ड	-	2	2		3	3
केरल	6	-	6	4.05		4.05
मध्य प्रदेश	73	33	106	67	41	108
महाराष्ट्र	63	25	88	107.19	4.33	111.52
मणिपुर	101	14	115	113.00	15.90	128.90
मिज़ोरम	34	-	34	18	16	34
मेघालय	11	-	11	14		14
नागालैण्ड	4	-	4	6.57		6.57
ओडिशा	3	1	3	1.20	2	3.20
पंजाब	4		4	4		4
सिक्किम	2	-	2	0		0
त्रिपुरा	7	8	15	25	15	40
उत्तराखण्ड	17	-	17	18.20		18.20
उत्तर प्रदेश	55	69	124	77.89	76.69	154.58
उप-योग (ख)	**425**	**173**	**599**	**511**	**194**	**705**
कुल योग (क+ख)	**1984**	**16731**	**18715**	**2559**	**16917**	**19476**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट से संकलित।

अनुबंध - VI (ख)

राज्य-वार वन्य कच्चा रेशम उत्पादन

मात्रक : मी.टन

क्र.सं.	राज्य	2012-13	2013-14
	उष्णकटिबंधीय तसर (क)		
1	आन्ध्र प्रदेश	0.64	0.46
2	बिहार	7.30	32
3	छत्तीसगढ़	384.87	384
4	झारखण्ड	1088.35	2000
5	मध्य प्रदेश	83.00	86
6	महाराष्ट्र	9.75	10
7	ओडिशा	95.00	45.13
8	उत्तर प्रदेश	12.30	14
9	पश्चिम बंगाल	43.76	42
	योग	**1725**	**2614**
	ओक तसर (ख)		
1	अरुणाचल प्रदेश	नग.	-
2	मणिपुर	2.80	4
3	मिज़ोरम	0.72	0.7
4	नागालैण्ड	0.21	-
5	जम्मू व कश्मीर	-	-
6	उत्तराखण्ड	-	0.1
	योग	**4**	**5**
	कुल (क+ख)	**1729**	**2619**
	एरी		
1	आन्ध्र प्रदेश	0	-
2	अरुणाचल प्रदेश	17.5	11.30
3	असम	1934.3	2612.70
4	बिहार	2.4	5.0
5	छत्तीसगढ़	0.3	0.26
6	झारखण्ड	0	-
7	मध्य प्रदेश	1.6	0.80
8	मणिपुर	300	352.75
9	मेघालय	500	613.79
10	मिज़ोरम	5.4	8.0
11	नागालैण्ड	318	597.42
12	ओडिशा	6	4.8

जारी.....

अनुबंध - VI (ख)

राज्य-वार वन्य कच्चा रेशम उत्पादन

मात्रक : मी.टन

क्र.सं.	राज्य	2012-13	2013-14
	एरी		
13	पंजाब	1	-
14	सिक्किम	1.5	-
15	उत्तर प्रदेश	20.5	19.91
16	उत्तराखण्ड	0	2.93
17	पश्चिम बंगाल	7.2	6.8
	योग	**3116**	**4236**
	मूगा		
1	अरुणाचल प्रदेश	2	1.44
2	असम	108.52	126.04
3	मणिपुर	0.64	0.80
4	मेघालय	6.04	16.0
5	मिज़ोरम	0.32	1.0
6	नागालैण्ड	1.39	1.93
7	उत्तराखण्ड		0.4
8	पश्चिम बंगाल	0.26	0.18
	योग	**119**	**148**
	कुल योग वन्य	**4964**	**7004**

स्रोत: राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट से संकलित।

संक्षिप्त रूप

से फै वि सं	सेना फैशन विन्यास संस्थान
अ भा श स प्रा प	अखिल भारतीय शहतूत समन्वित प्रायोगिक परीक्षण
बु बी प्र व प्र के	बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र
बु त रे बी सं	बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन
मू ला अ	मूल्य लाभ अनुपात
प्र के	प्रमाणन केन्द्र
उ वि का	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
ए रे अ के	एकीकृत रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
के मू ए अ व प्र सं	केन्द्रीय मूगा, एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
चॉ की के	चॉकी कीटपालन केन्द्र
के रे ज सं के	केन्द्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केन्द्र
के रे अ व प्र सं	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
के रे प्रौ अ सं	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
के त अ व प्र सं	केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान
के त रे बी के	केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र
प्र व त से के	प्रदर्शन व तकनीकी सेवा केन्द्र
रो मु च/रो मु बी च	रोग मुक्त बीज चकत्ते
म पा वि सं शु	महानिदेशक पाटन विरोधी व संश्रित शुल्क
प्र की द	प्रभावी कीटपालन दर
ए रे बी उ के	एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
बी वि के	बीजागार विस्तार केन्द्र
ग ए कृ प	गहन एकीकृत कृषि प्रबंध
ग ए पो प्र	गहन एकीकृत पोषक प्रबंध
सं ग्रा सं का	संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम
जा अ स अ	जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक
जा अ स अ	जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण
क रा रे अ वि सं	कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान व विकास संस्थान
मू क मा बै	मूगा कच्चा माल बैंक
मू रे बी सं	मूगा रेशमकीट बीज संगठन
मी ट	मीटरी टन
रा प व्यु वि लि	राष्ट्रीय पण्य व्युत्पन्न विनिमय लिमिटेड
गै स सं	गैर-सरकारी संगठन
रा ह वि नि	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम
रा रे बी सं	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन
प्र अ प	प्रचालन अनुसंधान परियोजना
स प्रौ प	सहभागिता प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी
अ व वि	अनुसंधान व विकास
अ वि के	अनुसंधान विस्तार केन्द्र
क्षे ए अ के	क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र
क मा बै	कच्चा माल बैंक
क्षे मू अ के	क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र
क्षे का	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षे रे अ के	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
क्षे त अ के	क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र
रे जै प्रौ अ प्र	रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला
बी को क्र के	बीज कोसा क्रय केन्द्र
रे अ व प गृ	रेशम अनुकूलन व परीक्षण गृह
भा रे मा सं	भारतीय रेशम मार्क संगठन
रे बी उ के	रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र
रे बी प्रौ प्र	रेशमकीट बीज प्रौद्योगिक प्रयोगशाला
रे प्र वि	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय
प्रौ मू व शो	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन व शोधन
वि बौ सं सं	विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन
आँ रे बी सं	आँचलिक रेशमकीट बीज परियोजना कार्यालय